बुधवार,
६ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, ६ अगस्त, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

[प्रश्न नहीं पूछे गये भाग १]
प्रकाशित नहीं हुआ]

राज्य परिषद का संदेश

सचिव: श्रीमान्, राज्य परिषद् के सचिव के यहां से निम्नलिखित संदेश आया है :

"राज्य परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-चालन के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा को यह सूचना देने का मुझे निदेश मिला है कि राज्य परिषद् ने ४ अगस्त १९५२ की अपनी बैठक में बिना संशोधन किए निम्नलिखित उन विधेयकों पर सहमति दे दी है जो लोक सभा ने क्रमशः २८ और २९ जुलाई १९५२ को अपनी बैठक में पारित किए थे :

१. आवश्यक वस्तु (घोषणा तथा बिक्री और खरीद पर लगाए गए कर का विनियमन) विधेयक, १९५२.

२. भ्रष्टाचार निवारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९५२".

पटल पर रखे गये पत्र

श्री दशरथदेव की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन ।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं विशेषाधिकार-समिति के प्रेतिवेदन की छपी हुई प्रति पटल पर रखता हूं। इस सदन के सदस्य श्री दशरथ देव की गिरफ्तारी के कारण विशेषाधिकार प्रश्न उठा था। वह १६ जून १९५२ को समिति को सौंपा गया था। उस पर किया गया वाद-विवाद, टिप्पण और परिशिष्ट इसमें सम्मिलित हैं। [प्रति पुस्तकालय में रख दी है। क्रमांक ४ सी० (बी) (१३१) देखिए।]

पंचम विश्व स्वास्थ्य सभा के भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिवेदन

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर): मैं भारतीय शिष्टमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखती हूं। यह शिष्टमंडल पंचम विश्व स्वास्थ्य सभा में गया था जो कि जिनेवा में मई १९५२ में हुई थी [प्रति पुस्तकालय में रख दी है क्रमांक ४ ई० ओ (२७) देखिए]।

मोटरों की बटरियों को संरक्षण देते रहने के विषय में सीमा शुल्क आयोग का प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति मैं पटल पर रखता हूं :

(१) मोटरों की बैटरियों को संरक्षण देते रहने के विषय में सीमा शुल्क आयोग

[श्री टी०टी० कृष्णमाचारी]

का प्रतिवेदन [प्रति पुस्तकालय में रख दी है। क्रमांक ४, आर १०३ (३२) देखिए]

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प क्रमांक ५ (२) टी० बी०।५२, दिनांक ३ अगस्त १९५२ [प्रति पुस्तकालय में रख दी है। क्रमांक पी० ५०।५२ देखिए]

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक

खंड ६—(धारा ७ का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय: अब सदन निवारक निरोध विधेयक पर आगे विचार करेगा, खंड ६ के संशोधन संख्या ७८ और २५ विचाराधीन हैं।

आज १ बजे दोपहर को खंडशः विचार समाप्त होगा, उसके बाद मुखबंध लगा दिया जायगा और खंडों पर वाद-विवाद किए बिना तथा संशोधनों पर विचार किए बिना मत लिया जायेगा। यदि सदस्य सब संशोधनों पर विचार करना चाहें तो यथानुसार विभिन्न संशोधनों के लिए समय निश्चित कर लें।

गृहकार्य तथा राज्य-मंत्री (डा०काटजू): श्रीमान् जी कल जब बैठक समाप्त हुई थी उस समय मैं इस संशोधन पर यह बोल रहा था कि निरोध के कारणों के अतिरिक्त ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए। सब उच्च न्यायालयों में तथा सर्वोच्च न्यायालय में इस खंड की बहुत जांच हो चुकी है तथा बात तय हो चुकी है। इस खंड में यदि हम और शब्द जोड़ दें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा तथा मुकद्दमेबाजी बढ़ जाएगी। संविधान के अनुच्छेद २२ के अनुसार उस व्यक्ति को निरोध का कारण बता दिया जाना चाहिए जिससे कि उनके आधार पर वह सरकार को अभ्यावेदन कर सकें। इससे यह बात निकलती है कि निरोध के कारण इतने पर्याप्त होने चाहियें कि वह व्यक्ति अपना अभ्यावेदन कर सके। शायद आरम्भ में कानून ठीक-ठीक नहीं समझ में आया जिसकी वजह से निरोध के कारण अपर्याप्त, अस्पष्ट और अनिश्चित हुआ करते थे। न्यायालयों के निर्णयों के कारण अब सब ठीक हो गया है। पर संविधान की भाषा से यह पूर्ण स्पष्ट है कि उस मनुष्य को निरोध के कारणों के सिवाय और कुछ नहीं बताया जाना चाहिए।

मैं एक बात पर फिर से जोर देना चाहूंगा जब निवारक निरोध अधिनियम १९५०, पारित हुआ था तब कहीं पर भी मन्त्रणा बोर्ड नहीं थे और निवारक निरोध कानून १९४६–४७ से लेकर १९५० तक सब राज्यों में वे लागू थे। १९५० में मन्त्रणा बोर्ड बने पर उनका क्षेत्राधिकार बहुत सीमित था। याने आवश्यक वस्तुओं तथा आवश्यक सेवाओं तक ही सीमित था। १९५१ में ही मन्त्रणा बोर्ड का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया और उसमें सब मामले आने लगे। निवारक निरोध अधिनियम १९५१ की कुछ धाराओं में यह उपबन्ध है कि सरकार निरोध करने कारणों तथा निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन को मंत्रणा बोर्ड के सामने रखेगी। यदि जिलाधीश जैसे व्यक्ति का प्रेतिवेदन हो जिसने कि प्रथम बार आदेश दिया हो तो वह भी समक्ष रखा जायगा। ये आधारभूत वस्तुएं हैं। यह भी कहा गया है कि मन्त्रणा बोर्ड उस सरकार या उस व्यक्ति से और सूचना प्राप्त कर सकता है जिसे वह उचित समझता है। यदि ऐसा मौका आ जाए जब मन्त्रणा बोर्ड कहे कि अवरोध के कारण विस्तृत रूप में नहीं दिए गए या वह किसी बात का स्पष्टीकरण आवश्यक समझे तो वह सरकार से और सूचना मांग सकता है तथा उस व्यक्ति से भी सूचना ले सकता है; इस तरह से उसे उत्तर देने का अलसर मिल सकता

है। निरुद्ध व्यक्ति को जब हम यह अधिकार दे रहे हैं कि यदि वह चाहे तो अपनी सुनवाई करा सके तो उस तर्क में कोई बल नहीं रह जाता; क्योंकि यदि निरुद्ध व्यक्ति के मत में अवरोध के कारण उचित अभ्यावेदन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो वह उन्हें मांग सकता है। यदि मन्त्रणा बोर्ड कहता है कि अभ्यावेदन में कुछ कमी है अथवा उत्तर पूरा नहीं है तो वह व्यक्ति कह सकता है "अच्छी बात है, मैं उसे अब पूरा किए देता हूं।" अब मंत्रणा बोर्ड का अधिकारक्षेत्र बढ़ गया है तथा अधिक जांच करने का अधिकार मिल गया है, अतः मेरा निवेदन है कि जो बात उठाई गई है उसका सारा महत्त्व जाता रहा है। पहिले महत्व रहा हो पर अब बिल्कुल नहीं है।

मैं इस वाद-विवाद के स्थान को न्यायालय नहीं बनाना चाहता। परन्तु श्रीमान् जी जब आप यहां नहीं थे तब एक माननीय सदस्य ने बहुत से विनिर्णयों का उल्लेख किया था। बैठक के उठते समय एक विशेष न्याय निर्णय का निदेश किया गया था। जब यहां न्याय निर्णय अथवा उनके अंश पढ़े जाते हैं तब पता नहीं लग पाता कि वह विमति न्याय निर्णय है अथवा बहुमत न्याय निर्णय। न्यायालयों में तो बहुमत निर्णय को ही महत्व दिया जाता है। इस सदन में कभी कभी विमति-निर्णय बहुमत निर्णय से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। विधान बनाने वाले होने के कारण हम कह सकते हैं कि दूसरे न्यायाधीशों की अपेक्षा विमति न्याय देने वाला हमारे अभिप्राय को ठीक तरह जान सका तथा उसे अच्छी तरह मालूम हो सका कि उस समय हमारी विचार धारा क्या थी? पर जो बात वास्तव में है वह तो कहनी ही चाहिए।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण पूर्व): बात तो कह ही दी गई थी। मैंने अवश्य कहा था कि मैं विमति न्याय निर्णय में से उद्धरण दे रहा हूं तथा बहुमत निर्णय से भी।

डा० क.टजू: मैं किसी पर छींटाकशी नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कि मेरे माननीय मित्र ने मुझे इस प्रकार क्यों टोका।

मैं सदैव न्याय निर्णय की तारीख पूछता हूं। न्यायाधीश का भी नाम पूछता हूं तथा मालूम करता हूं कि वह अल्पमत न्याय निर्णय था अथवा बहुमत। पहिले जस्टिस बोस का उद्धरण दिया गया था। जब पूछने पर मालूम हुआ कि वह विमति न्याय निर्णय था। यह कहा गया था, आशा है मैं ठीक कह रहा हूं, कि बहुमत वाले न्यायाधीशों का भी वही मत था पर उन्होंने मत बदल दिया। विमति न्याय निर्णय अधिक महत्वपूर्ण था और एक बात पर बहुमत न्यायाधिपति बोस के मत के विरुद्ध था। मैं बहुमत वाले न्याय निर्णय अर्थात् मुख्य न्यायाधिपति कानिया और न्यायाधिपति पतांजलि शास्त्री के न्याय निर्णय की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा:

"हमारे मत में यह विनिर्णय श्री हार्डी द्वारा समर्थित इस विस्तृत सिद्धान्त का समर्थन नहीं करता कि यदि अवरोध करने का आदेश अवरुद्ध किए जाने वाले मनुष्य के भाषणों पर आधारित है तो निरोध करने वाले प्राधिकारियों को चाहिये कि वे उसको उसके भाषण के उन अंशों की सूचना दें जिनका बोलना अपराध माना गया है.....

मेरी समझ में यह बात उठाई जा रही थी कि किसी मनुष्य से यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि आपने अमुक दिन को अमुक स्थान पर भाषण दिया था जिससे ये प्रवृत्तियां झलकती थीं। आपको उसके भाषण के उन वाक्यों का उद्धरण देना चाहिये जिनके कारण अपराध होना समझा गया है, जिससे कि वह ऐसे वाक्यों में उठाई गई बातों का उत्तर दे सके तथा कह सके कि

[डा० काटजू]

मैंने ऐसा नहीं कहा इत्यादि, इत्यादि। विद्वान् न्यायाधीश उस बात पर विचार कर रहे हैं।

"अवरोध करने वाले प्राधिकारी को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को वे वाक्य बतला दे अथवा उन वाक्यों का सारांश दे दे। जिनको कहना अपराध समझा गया है। यदि वह ऐसा न करे तो वह आदेश रद्द कर देना चाहिए। हमारे सामने जो मामले हैं उनमें यह बताया गया है कि भाषण कब और कहां दिए गए थे। उनका सामान्य स्वरूप तथा प्रभाव (ऐसा है कि हिन्दू मुसलमानों में दुर्भावना फैले) भी दिया गया है।

पहिले दी गई विस्तृत बातों के अतिरिक्त किसी विशेष मामले में और क्या देना आवश्यक है.....

श्रीमान् जी, आपको और अन्य माननीय सदस्यों को पता चल जायगा कि विद्वान न्यायाधीशों ने 'Particulars' (सम्बन्धित बातें) शब्द का उपयोग किया है। यह वकीलों की भाषा है। इसमें बात यह हुई कि अवरोध के कारणों में वे बातें भी सम्मिलित हैं जिनके आधार पर आदेश दिया जाना है। मैं फिर से पढ़ता हूं :

"यह समझना बड़ा कठिन है कि पहिले बताई गई बातों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों अथवा उनके सार को किस प्रकार बतला देना आवश्यक है जिस से कि याचक अपना अभ्यावेदन कर सके—एक याचक ने तो नकार दिया था कि उसने निर्दिष्ट दिन कोई भाषण दिया था।"

अब इन शब्दों का निर्वचन स्पष्ट हो चुका है। यदि अब हम यह जोड़ें कि संविधान के अनुसार निरोध के कारण बताए जाएं तथा यह भी कहें कि साथ में सम्बन्धित बातें वस्तार में बताई जायें तो न्यायालयों में फिर से इस बात पर वाद-विवाद होगा कि वे बातें हैं क्या ? कारणों के अतिरिक्त वे कुछ न कुछ तो होनी ही चाहियें। बहुत न्यायिक वाद-विवाद चलेगा।

मेरा कहना यह है कि 'Grounds of detention' (निरोध के कारण) ये शब्द पर्याप्त हैं। यदि वह लेख्य सावधानी से बनाया जाये तो निरुद्ध व्यक्ति अपना अभ्यावेदन उसकी सहायता से बना सकता है। दूसरी बात यह है कि अब मंत्रणा बोर्डो को पूर्ण क्षेत्राधिकार मिल गया है। यह बोड सामान्य नहीं है। इसके पास बड़ी शक्ति है। इसका सभापति उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त अथवा कार्यकारी न्यायाधीश होगा। दो बड़े विद्वान इस के सदस्य होंगे तथा वे निरुद्ध व्यक्ति को व्यर्थ की हानि न पहुंचने देंगे तथा यह न होने देंगे कि उसको यह पता ही न चले कि निरोध के क्या कारण हैं तथा उनका क्या जवाब देना पड़ेगा। वे और आवश्यक सूचना मांगेंगे तथा उस व्यक्ति से और स्पष्टीकरण करने के लिए कहेंगे। इस आधार पर मैं सुझाव देता हूं कि हम अधिनियम को अछूता रहने दें तथा संविधान की भाषा के के अनुसार जैसा अभी है उसे वैसा ही रहने दें। अतएव श्रीमान् मैं संशोधनों का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय ने पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह अस्वीकार हुआ। अध्यक्ष महोदय ने दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सदन में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ५५ और विपक्ष में १८६ मत पड़े। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि: "खंड ६ इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ स

अध्यक्ष महोदय : अगले तीन खण्ड मंत्रणा बोर्ड के बारे में हैं। मैं उन्हें साथ ही साथ लूंगा।

जो सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे कर सकते हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने क्रम से संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए—श्री पोकर साहिब, सरदार हुक्मसिंह, श्री एच० एन० मुखर्जी, श्री पोकर साहेब, श्री ए० के० गोपालन, श्री ० के० के० बसु, श्री पोकर साहेब, श्री एस० एस० मोरे, श्री के० के० बसु, श्री विट्ठल राव, श्री ए० के० गोपालन, श्री के० के० बसु, श्री वी० जी० देशपांडे, श्री एस० एस० मोरे, श्री तुषार चटर्जी, श्री दामोदर मेनन, श्री बनर्जी, श्री पाटसकर, श्री एस० एस० मोरे श्री तुषार चटर्जी, श्री के० के० बसु, श्री एच० एन० मुखर्जी, श्री के० के० बसु, श्री पोकर साहेब, श्री के० के० बसु, श्री तुषार चटर्जी, श्री के० के० बसु, श्री पोकर साहेब।

श्री पाटसकर ने अपने मूल संशोधन प्रस्ताव में और संशोधन किए तथा उसे प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा :

श्री पाटसकर: मेरे संशोधन से खंड का लगभग वही रूप हो जाता है जैसा कि प्रवर समिति के संशोधनों के कारण होता है। मंत्रणा बोर्ड केवल वही सामग्री नहीं देखता जो सामने होती है अपितु उसे सरकार से अन्य आवश्यक सूचना मंगाने का अधिकार भी है। प्रवर समिति में हमने संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार यदि निरुद्ध मनुष्य चाहे तो उसकी सुनवाई हो सकती है। मैं चाहता हूं कि मन्त्रणा बोर्ड को केवल सरकार से ही नहीं अपितु किसी भी व्यक्ति से सरकार द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार द्वारा सूचना प्राप्त करने से उस सरकार को भी स्थिति का पता लग जायेगा। इस अधिनियम के अधीन पारित किया गया निरोध आदेश तो केवल अधिशासी आदेश है। हम चाहते यह हैं कि इन मामलों पर न्याय की दृष्टि से विचार होना चाहिए। इन बोर्डों के सभापति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे और वे इस दृष्टि से विचार कर सकेंगे। मान लीजिए किसी मामले में एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति ने मद्रास में एक भाषण दिया। सुनवाई होने पर यह मालम हुआ कि उस दिन वह व्यक्ति कलकत्ते में एक अस्पताल में बीमार था। ऐसी हालत में बोर्ड सारी सूचना ले सकता है तथा उस अस्पताल के सिविल सर्जन से साक्ष्य ले सकता है।

बोर्ड अच्छी तरह काम कर सकें तथा न्याय कर सकें इस उद्देश्य से हम बोर्डों को किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने की शक्ति देना चाहते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि बोर्ड बिल्कुल न्यायालय ही बन जाएं—फिर तो इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मेरे संशोधन का उद्देश्य तो यह है कि प्राप्त सूचना से, यदि बोर्ड ठीक ठीक निश्चय न कर सकें तो वे किसी से भी, सरकार द्वारा और सूचना प्राप्त कर सकें। कुछ लोग कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ही क्यों, प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं ? बात यह है कि बोर्ड इसलिए हैं कि वे सरकार के इस कार्य को न्यायिक दृष्टि से देख सकें। यदि कोई सरकार किसी व्यक्ति से प्राप्त करके आवश्यक सूचना नहीं देती तो बोर्ड वह आदेश नहीं मानेगा और वह व्यक्ति छोड़ दिया जायेगा। यह धारा जैसी अब है उसके अनुसार भी बोर्ड को यह शक्ति है। पर इस उपबन्ध को स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन किया गया है। यदि वह व्यक्ति कहे कि जिस दिन मुझ पर यह अपराध लगाया गया था कि मैं जन शान्ति अथवा देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य किया है उस दिन वह मद्रास में नहीं था तो बोर्ड और सूचना मंगवा सकता है। यदि सरकार और सूचना नहीं देती तो वह व्यक्ति छोड़

[श्री पाटसकर]

दिया जायेगा । सरकार कुछ सूचना नहीं छिपा सकती । अतएव यह आपत्ति करना कि सूचना सरकार के द्वारा ही मंगाई जाए, व्यर्थ है । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन बोर्डों को न्यायालय नहीं बनाया जा रहा है । अवरोध का आदेश, संदेह, पूर्व आचरण, और ऐसी कई बातों पर निर्भर रहता है जिनको लोक हित के कारण सामान्य न्यायालयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता । इन बोर्डों के रहने से लाभ यह रहेगा कि मामला ऐसे लोगों के सामने पहुंचेगा जो उस पर न्यायिक दृष्टि से विचार करेंगे तथा कार्यपालिका यदि कुछ अन्याय कर रही होगी तो उसको ठीक कर देंगे । इस दृष्टि से यह संशोधन किया जा रहा है । बोर्ड का सभापति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा अतएव न्याय अवश्य हो सकेगा तथा सरकार को भी इसे ये शक्तियां देने में कोई हिचक न होगी ।

वाद विवाद से यह पता चलता था कि मानों उच्च न्यायालय और सरकार में झगड़ा सा हो । ऐसी कोई बात नहीं है । बहुत बार उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को उचित कहा है । किसी भी व्यक्ति से कैसी भी सूचना प्राप्त करने की शक्ति के मिल जाने से बोर्ड बड़े प्रभावी होंगे । उच्चन्यायालय के व्यक्ति बड़े जिम्मेवार हैं वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा राज्य की सुरक्षा और लोकशान्ति में समन्वय स्थापित कर सकेंगे । इन बोर्डों के सभापति सरकार और कार्यपालिका के अधीन न होंगे । इन बोर्डों को पूर्ण शक्ति दी जानी चाहिये । उनसे यह नहीं कहा जाना चाहिए कि सरकार आपको जो सूचना दे उसी पर आप कार्यवाही कीजिए यह उपबन्ध निरुद्ध व्यक्ति के हित में है । इससे नये मन्त्रणा बोर्डों का गौरव तथा शक्ति बढ़ जाती है । मुझे आशा है क मेरे संशोधन से सबको सन्तोष होगा तथा गृह मन्त्री जी भी उसे स्वीकार करेंगे ।

श्री के० के० बसु: क्या केवल सरकार को ही सूचना मंगाने का अधिकार दिया गया है अथवा केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यक्ति ही बुलाए जा सकेंगे ?

श्री पाटसकर: बुलाने और जांच करने का प्रश्न नहीं उठता । यदि किसी राज्य का बोर्ड किसी व्यक्ति से कुछ सूचना चाहता है तो वह उस सरकार को लिखेगा जिसने निरोध का आदेश दिया है ।

श्री एस० एस० मोरे: क्या वह व्यक्ति उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा ? वे उस सरकार को लिखेंगे कि वह व्यक्ति उनके पास भेज दिया जाये ।

श्री पाटसकर: जी ।

श्री एस० एस० मोरे: यदि किसी दस्तावेज में आवश्यक सूचना नहीं है और वह किसी व्यक्ति के पास है तो क्या उससे पूछताछ करना आवश्यक न होगा ?

श्री पाटसकर: जी हां ! वे किसी भी व्यक्ति से सूचना ले सकते हैं । सूचना का मतलब केवल मौखिक सूचना नहीं है । उसमें दस्तावेजों में निहित सूचना भी सम्मिलित है ।

श्री नम्बियार: जो सूचना बोर्ड को उपलब्ध की जायेगी क्या वह निरुद्ध व्यक्ति को भी दी जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं । वे दोनों बातें भिन्न हैं । बोर्ड को तो ऐसी सूचना भी मिल जायेगी जिसे सरकार गुप्त समझती है । निरुद्ध व्यक्ति को वे सब बातें नहीं बताई जाएंगी, वह तो प्रत्येक मामले पर निर्भर रहेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): क्या सूचना सरकार के द्वारा बुलवाई जायेगी अथवा सीधे ही ।

अध्यक्ष महोदय: यह स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि जो कुछ सूचना प्राप्त की जाएगी उसका पता सरकार को मिलता रहेगा। न मालूम इस कथन का न्यायालय क्या निर्वाचन करें। आप इसे जैसा समझते हों वैसा समझ लीजिए। हम अब वाद-विवाद जारी रखेंगे।

श्री केलप्पन (पोन्नानी): श्री दामोदर मेनन के धारा १० के संशोधन के विषय में गृह मन्त्री जी ने कहा है कि उसका अर्थ तो अधिनियम को ही समाप्त करना है। हमारा ध्येय यही है। हम चाहते हैं कि यह जांच वैसी ही हो जैसी न्यायालयों के परीक्षण में होती है। हमने इस विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है। यह बात हमारे प्रतिनिधियों ने संयुक्त समिति में स्पष्ट कर दी थी। बिना परीक्षण किये किसी व्यक्ति को बन्दी करना लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय: जब यह कहा जाता है कि विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है तब अर्थ यह होता है कि सदन में उसे स्वीकार किया है, सदस्य का अपना मत कैसा भी हो। सदन में उस पर फ़िर से विचार नहीं किया जा सकता।

श्री केलप्पन: इस स्थिति को मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि यह संशोधन विधेयक के प्रयोजन के विरुद्ध है। इसलिये मैंने यह कहा कि विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है।

विपक्ष में एक माननीय सदस्य ने पूछा कि अवरोध और परीक्षण में क्या अन्तर है? भेद यह है कि परीक्षण में दोष सिद्ध होने के पश्चात् ही व्यक्ति जेल भेजा जाता है परन्तु निरोध में केवल सन्देह पर ही उसे निरुद्ध कर लिया जाता है। उसे वे निर्योग्यतायें नहीं होतीं जो कैदी को होती हैं।

निरोध अधिनियम काफ़ी संपरिवर्तित हो गया है। १९५० म कोई भी व्यक्ति अपने निरोध के कारण न्यायालय को नहीं बता सकता था। श्री गोपालन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया था कि व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है तथा निरोध के कारणों को जंचवा सकता है। इस विधेयक में और रियायतें भी की गई हैं। मैं चाहता हूं कि बिना सुनवाई हुए तथा किसी वकील से अपनी पैरवी करवाए बिना कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं डाला जाना चाहिए। यह होने पर ही इस विधान का दरुपयोग न हो पाएगा।

सब परित्राणों के होते हुए भी इस अधिनियम का दुरुपयोग होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्राधिकारियों को खटकने लगता है तो पुलिस जिलाधीश के पास जाएगी तथा वह निरोध करने का आदेश दे देगा। देश में अभी बड़ा असन्तोष है। उसे भड़काना बड़ा सरल है। यदि कोई मनुष्य प्रचार करता है तथा वह लोकप्रिय हो जाता ह और बहुत से लोग उसके भाषण सुनते हैं तो पुलिस उसके निरोध का आदेश प्राप्त कर लेगी। इस कार्य से सरकार और भी बदनाम हो जाएगी। इस कारण मैं ऐसा विधेयक नहीं चाहता। सामान्य दशा में देश का साधारण कानून शान्ति और सुरक्षा रखने के लिए पर्याप्त है। जब सरकार शान्ति और सुरक्षा रखने में असमर्थ हो जाये तब ही वे इस अधिनियम का उपयोग करें। इस प्रकार का हमने संशोधन प्रस्तुत किया था परन्तु वह स्वीकार नहीं हुआ।

श्री ए० के० गोपालन: श्रीमान् मैं खंड ७,८ और ९ के बारे में बोल रहा हूं।

हमारे विषय म यह कहा गया था कि हमने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि बिना परीक्षण के किसी भी मनुष्य को

[श्री ए० के० गोपालन]

गिरफ्तार किया जाए। हमने बार-बार कहा है कि हम इस सिद्धान्त के विरुद्ध हैं।

यदि सरकार यह विधान बनाना ही चाहती है तो हम चाहते हैं कि निरोध की कठिनाइयां न्यूनतम हों। इसके लिये दो उपबन्ध किए गए हैं—पहला तो मंत्रणा बोर्डों का गठन है तथा दूसरा यह कि निरुद्ध व्यक्ति को उसके गिरफ्तार किये जाने में कारण बताए जायें।

मंत्रणा बोर्डों के गठन के बारे में हमारा कहना यह है कि उसके सदस्य उच्च न्यायालय के सेवायुक्त न्यायाधीश होना चाहिये वे व्यक्ति नहीं जो न्यायाधीश नियुक्त किये जाने वाले हैं अथवा न्यायाधीश के पद पर निवृत्त हो चुके हैं।

यदि मंत्रणा बोर्डों का यही काम होगा कि वे केवल उन कागजों को देखें जो उनके पास भेजे जाते हैं तथा वे गवाहों को बुला कर स्वयं मामलों की जांच न करें तो निरुद्ध व्यक्ति ठीक ठीक अभ्यावेदन न कर पाएगा। उसको पता भी न लग पायेगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया है तथा उसका अपराध क्या है। इसलिए हमने संशोधन प्रस्तुत किए हैं कि निरोध के कारण तथा अन्य सम्बन्धी बातें मन्त्रणा बोर्ड के सम्मुख रखी जानी चाहिए। कल और परसों जब मेरे निरुद्ध किए जाते के कारणों पर विवाद चल रहा था तब मैं अपने मामले को ठीक ठीक न रख सका था। ऐसे समय वकीलों की सहायता आवश्यक हो जाती है।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। गृह मन्त्री जी ने कहा कि वकीलों की कोई आवश्यकता नहीं है। मद्रास में तो इन वकीलों की सहायता से ही बहुत से निरुद्ध किए गये व्यक्तियों को निरोध से छटकारा मिला है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]।

जब मैं मद्रास में कुडालोर जेल में था तब वहां निरुद्ध किए गए ४०० व्यक्तियों में से केवल २५ प्रतिशत लोग ही ऐसे थे जो अंग्रेजी बोल सकते थे तथा मंत्रणा बोर्ड के सामने अपने बचाव में कुछ कह सकते थे। ऐसे लोगों को बिना वकीलों की सहायता के मंत्रणा बोर्ड के सामने ले जाना स्वांग ही होगा क्योंकि वे अपने निरोध के कारणों को पढ़ भी नहीं सकेंगे। यह आवश्यक है कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि वह खुद को निर्दोष सिद्ध कर सके। वह यह बता सके कि जिस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है वह न्यायपूर्ण नहीं है। इस के लिए वकील की सहायता बहुत आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि सारी आवश्यक बातें उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए। माना कि वह व्यक्ति मंत्रणा बोर्ड के सामने गवाह बुलवा सकता है पर क्या वह उनका उपयोग कर सकेगा? निरुद्ध किए गये व्यक्ति अपढ़ होते हैं तथा उन्हें कानूनी ज्ञान नहीं होता वे अपनी वकालत खुद नहीं कर सकते अतएव अपना बचाव करने के लिए उन्हें अपने वकील खड़े करने की अनुज्ञा होनी चाहिए। लोग इसलिए निरुद्ध किये जाते हैं जिससे कि वे विप्लव में भाग न ले सकें। विप्लव समाप्त होने के पश्चात् निरोध करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अतएव ३ या ६ महीने के पश्चात् मन्त्रणा बोर्ड को चाहिये कि वे मामलों का पुनर्विलोकन करे। इससे उन्हें मालूम हो सकेगा कि जिस कारण व्यक्ति निरुद्ध किया गया था वह समाप्त हो गया है तथा स्थिति बदल चुकी है। अतएव शेष अवधि के लिए उसका निरोध आवश्यक नहीं है। माना कि स्थानीय सरकार अपना आदेश रद्द कर सकती है परन्तु यह तो मन्त्रणा बोर्ड का काम होना चाहिए। पुनर्विलोकन के समय निरुद्ध व्यक्ति को यह कहने का अवसर दिया जाना चाहिए कि उसे अब क्यों न छोड़ दिया जाये? यदि

हम चाहते हैं कि इस अधिनियम का दुरुपयोग न हो पाए तो निरुद्ध व्यक्ति को सारी सूचना मिलनी चाहिए। गवाहों को बुलाने दिया जाना चाहिए तथा वकील की सहायता मिलनी चाहिए। लोगों को मंत्रणा बोर्ड के सामने मामला ठीक ठीक पेश करने का अवसर मिलना चाहिये। मामला समझने पर यदि वे कहें कि यह व्यक्ति व्यर्थ में पकड़ा गया है तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए, तब ही इन बोर्डों का कुछ उपयोग होगा अन्यथा यह सब स्वांग ही होगा। आशा है ये संशोधन स्वीकृत किए जायेंगे।

श्री वी० जी० देशपांडे: जब से कांग्रेस दल के हाथों में शासन आया है तब से निरोध अधिनियम का उपयोग सुरक्षा और शान्ति के लिए नहीं अपितु कांग्रेस-विरोधी राजनैतिक दलों का दमन करने के लिए किया जा रहा है। अतएव मंत्रणा बोर्ड पक्षपात रहित कार्य नहीं कर सकते। इसीलिये हमने संयुक्त समिति में कहा था कि बोर्ड का सभापति उच्च न्यायालय का सेवायुक्त न्यायाधीश होना चाहिये, वह व्यक्ति नहीं जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो अथवा जो न्यायाधीश रह चुका हो। माना कि ऐसे व्यक्ति के पास कानूनी योग्यता होती है पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजनैतिक दल का सदस्य हो सकता है। अतएव वे न्यायाधीश ही नियुक्त किये जायेंगे जो उस दल के पक्ष में न्याय करेंगे जिसके हाथों में शक्ति होगी।

यदि ये संशोधन स्वीकार भी कर लिए जायें तो भी इस अधिनियम से देश का कुछ भला न होगा। इसका उपयोग सुरक्षा बनाये रखने के लिये नहीं अपितु राजनैतिक दलों का दमन करने के लिये होगा। सुरक्षा तो अन्य प्रकार से भी स्थापित की जा सकती है। पांच सालों से यही होता आ रहा है। जब यहां लियाकत अली थे तब वीर सावरकर का अवरोध किया गया था। १९४६ में शान्ति स्थापित करने के लिये जिन्ना और लियाकत अली का निरोध किया जा सकता था।

सभापति महोदय: हम विधेयक को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप संशोधन के विषय में तर्क दे सकते हैं परन्तु इसका सारा पुराना इतिहास नहीं सुना सकते। माननीय सदस्य संक्षेप में कहें, क्योंकि समय कम है।

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं यह बताना चाहता था कि उस समय पक्षपात रहित होकर काम नहीं किया गया। मैं वास्तव में यह चाहता हूं कि इसका प्रयोग अशान्ति का दमन करने के लिये किया जाए, राजनैतिक दलों का दमन करने के लिये नहीं, यदि उसका सभापति उच्च न्यायालय का सेवायुक्त न्यायाधीश होगा तो काम पक्षपात रहित होगा।

दूसरी बात यह है कि निरुद्ध व्यक्ति को समस्त सूचना मिलनी चाहिये। गवाह बुलाने का अधिकार होना चाहिये तथा अपनी वकालत करने के लिये वकील खड़े करने का अधिकार होना चाहिए अन्यथा इस अधिनियम का दुरुपयोग होगा। हम चाहते हैं कि नियमत परीक्षण के पश्चात् ही निरोध किया जाए।

मुझे निश्चय है कि कार्यपालिका अपेक्षा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जनाधिकार के अधिक रक्षक होते हैं। वे पक्षपात रहित होकर कार्य कर रहे हैं तथा लोगों को उन पर विश्वास है। मैं फिर से कहूंगा कि निरुद्ध व्यक्ति को उक्त सभी सुविधायें दी जानी चाहियें।

सरदार हुक्म सिंह: श्रीमान् हम तीन धाराओं के विषय में विवाद कर रहे हैं। धारा

[सरदार हुक्म सिंह]

८ गठन के बारे में है । जैसा कहा जा चुका है, मंत्रणा बोर्ड का सभापति उच्च न्यायालय का केवल सेवायुक्त न्यायाधीश ही होना चाहिए इस पद पर उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं अपितु मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए ।

धारा १० सब से अधिक महत्वपूर्ण है । अभी निरुद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार नहीं है । संयुक्त समिति ने इसमें जो सुधार किया है उसके अनुसार अब यदि मन्त्रणा बोर्ड आवश्यक समझे तो वह सुनवाई कर सकता है तथा निरुद्ध व्यक्ति सुनवाई करा सकता है। श्री पाटसकर का संशोधन और प्रगतिशील है । इसके अनुसार सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त की जा सकती है । अभी सुधार के लिये और स्थान है ।

हमारा यह कहना यह था कि निरुद्ध व्यक्ति को गवाह बुलाने, उन्हें जांचने तथा अपनी तरफ़ से वकील खड़ा करने का अधिकार होना चाहिए । हमने आतंकवादियों के विषय में सुना है और मानते हैं कि उनके कारण लोग गवाही देने के लिए तैयार न हों। पर इसके साथ यह भी तो है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा निर्दोष व्यक्ति गिरफ्तार किये जाते हैं ।

मेरे विचार में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए । हम अवरुद्ध व्यक्ति को अधिकार न दें पर सब कुछ मन्त्रणा बोर्ड पर छोड़ दें । यदि वह ठीक समझे तो वह निरुद्ध व्यक्ति को गवाह बुलाने, उनका परीक्षण करने, तथा वकील खड़ा करने की अनुज्ञा दे दे । वे यह अनुज्ञा दें चाहे न दें । ऐसा करने से कानून का दुरुपयोग नहीं हो पायेगा तथा जिन लोगों को इन सुविधाओं की वास्तव में आवश्यकता है उन्हें वे मिल जायेंगे तथा पक्षपात न होगा । आतंकवादी लोग भी इसका लाभ न उठा पाएंगे । श्री पाटसकर का संशोधन पर्याप्त नहीं है ।

श्री **धुलेकर** (झांसी ज़िला दक्षिण) : श्रीमान् जो यदि संशोधन करने वाले लोग ही बोलते रहेंगे तो दूसरे पक्ष के लोगों को बोलने का अवसर ही न मिलेगा ।

सभापति महोदय : सब संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं । मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के लोग बोलें । आप चाहें तो आप भी बोलने के लिए खड़े हो सकते हैं ।

श्री धुलेकर खड़े हुए—

सभापति महोदय : माननीय सदस्य देरी से खड़े हुए । श्री गुरुपादस्वामी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी संशोधी विधेयक में यह उपबन्ध है कि किसी मनुष्य को गिरफ्तार तथा निरुद्ध करने के ३० दिन के भीतर सरकार उसे निरोध के कारण बतलाए । निरोध सामान्यता सन्देह पर ही किया जाता है । ३० दिन बहुत अधिक होते हैं तथा इसमें कार्यपालिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है. मेरा कहना है गिरफ्तार करने के पहिले ही गिरफ्तार करने के कारणों को बतला दिया जाना चाहिये । मेरा निवेदन है कि यह अवधि और कम होनी चाहिये ।

सभापति महोदय : इसका निश्चय हो चुका है निरोध के कारण ५ दिन के भीतर बतला दिये जाने चाहिये, इस विषय का खंड पारित हो चुका है ।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : दूसरी बात मैं कानूनी सलाह के बारे में कहना चाहता था । निरुद्ध व्यक्ति को वकील खड़ा करने का अधिकार होना चाहिए । मंत्रणा बोर्ड

को यदि कुछ बातें स्पष्ट न हों तो वे गलती कर सकते हैं। निरुद्ध व्यक्ति भी अपने वकील के द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। वकील की उपस्थिति से पक्षपातहीनता आ जाएगी। निरुद्ध व्यक्ति और उसके वकील को गवाह बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। किसी व्यक्ति से सीधे सूचना लेने में क्या हानि है, उसकी सूचना उस सरकार को बाद में भेजी जा सकती है। सरकार को सूचना का माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। वैसा करने से उस व्यक्ति पर सरकार का प्रभाव पड़ेगा तथा सूचना उतनी पक्षपात रहित न होगी।

अधिनियम में 'grounds' ('कारणों') की कोई व्याख्या नहीं दी गई। धारा ३ में कुछ कारण दिय गए हैं पर वे स्पष्ट नहीं हैं। मुझे नहीं मालम 'satis faction' ('समाधान') का क्या अर्थ किया जायगा। अर्थ होना चाहिए कि पक्के सबूतों पर पर्याप्त समाधान। कभी कभी तो सरकार तुच्छ आधार पर ही व्यक्तियों का निरोध कर लेती हैं। मेरा निवेदन है कि पक्के सबूतों के होने पर ही लोग गिरफ्तार किए जाएं। मंत्रणा बोर्ड की पहुंच मामले की सारी बातों तक होनी चाहिए। निरुद्ध व्यक्ति को कानूनी सहायता लेने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा निरोध के कारण गिरफ्तार करने के पहिले व्यक्ति को बता दिए जाने चाहिएं।

श्री धुलकर (जिला झांसी दक्षिण) : श्रीमान्, ऐडवाइजरी बोर्ड (मंत्रणा बोर्ड) की शक्तियों के सम्बन्ध में जो ये संशोधन पेश किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों न ये संशोधन पेश किये हैं या तो वह वास्तव में न संशोधनों को पेश कर के केवल यह चाहते हैं कि वह इस बात का अपना ख्याल ज़ाहिर करें कि हम इस बिल को नहीं चाहते हैं। एक सज्जन तो वहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने तो यह कहा कि हमारी नियत इस बात की है कि हम इस बिल को नहीं चाहते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि यद्यपि हम इसको नहीं चाहते हैं लेकिन इस में एक हद तक ऐसे संशोधन कर देना चाहते हैं जिससे जो लोग कि डिटेन(निरोध) किये जायें उन को अधिक से अधिक लाभ मिले और अधिक रक्षा मिले।

ऐडवाइजरी बोर्ड की जो शक्तियां हैं, उनको कुछ हिस्सों में तो वह फैला देना चाहते हैं और कुछ हिस्सों में वह कम कर देना चाहते हैं। श्रीमान् जी, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि यहां पर दो शब्द मौजूद हैं, एक शब्द है, "प्रिवेंटिव" (निवारक)और दूसरा है "डिटेंशन"(निरोध)। यदि इन्ही दो शब्दों के डिक्शनरी मीनिंग (शब्दकोष का अर्थ) हमारे मित्र देखकर समझ लेते तो मेरे विचार में २५ दिन की बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। "प्रिवेंटिव" शब्द का अर्थ यह है कि आगे को रोक देना और "डिटेंशन" का मतलब यह है कि उसको एक स्थान पर रख देना। अब यदि हम इन दो शब्दों को समझ लें कि हम एक आदमी जो आगे काम करना चाहता है उसको रोकना चाहते हैं और दूसरा काम यह है कि हम उस आदमी को डिटेन करना चाहते हैं, यदि इन दो साधारण अंग्रेजी शब्दों को हमारे माननीय मित्र समझ लेते तो कोई ज़रूरत इस बहस की नहीं रहती कि आप यह कहें कि ट्रायल(परीक्षण) कीजिए। अंग्रेजी शब्द 'ट्रायल' के माने यदि अंग्रेजी डिक्शनरी में देखे जायें तो ट्रायल का अर्थ केवल यह है कि यदि किसी मनुष्य ने कोई जुर्म किया हो तो उसके लिए अन्त तक सारे मामले को समझ कर उसको सजा दे दी जाय। तो यदि कोई आदमी इस बात को कहे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल में आप ऐसी शर्तों को जोड़ दीजिये कि जिससे ट्रायल हो, तो मैं पूछता हूं कि फिर आगे क्या किया जाये ? क्या फिर डिटेन किया जाय ? यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। यदि ट्रायल हो या तो सजा

[श्री धुलेकर]

मिलेगी और ट्रायल नहीं होगा तो डिटेन किया जायेगा। दोनों बाते आपके सामने हैं।

लोग कहते हैं कि प्रिवेंटव डिटैंशन बिल में पूरा ट्रायल होना चाहिए। एक संशोधन है कि हमको वकील मिलना चाहिए। एक संशोधन है कि हमको सारे कागज़ात पेश करने चाहियें। एक संशोधन है कि हमको पूरे तौर से बहस कर लेने देनी चाहिए। मैं आनरेबुल श्री गोपालन और एस०पी० मुखर्जी साहब से कहना चाहता हूं और जो वकील वहां एन० सी० चटर्जी वगैरह बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप को वकील दे दें, आप सारी बहस कर लें, सारी शहादत गवर्नमेंट पेश करेगी आपके गवाहों के बयानात हो जावेंगे, जब साबित हो जायेगा कि आपने जुर्म किया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्रीमान् जी आप डिटेन किये जायेंगे। डिटेन क्यों किये जायेंगे। आप तो जेलखाने में सड़ेंगे। देखिए कि आप क्या कहते हैं कि हिन्दुस्तान में हम को सिक्योरिटी आफ इण्डिया (भारत की सुरक्षा) के खिलाफ चुपचाप घूमने दीजिए और हम हर जगह इस बात को कहते फिरें कि पाकिस्तान से झगड़ा करो, अंग्रेज़ों से झगड़ा करो, कोरिया में फौजे ले जाकर कूद पड़ो, ब्रह्मा में झगड़ा करो, नैपाल में गड़बड़ी मचा दो, अमेरिका से जो रुपये आदि की मदद हम आज ले रहे हैं उस को मत लो, क्योंकि वह एक दिन आकर हमारे ऊपर राज्य कर लेगा, आप यह सारी बातें हिन्दुस्तान में करते फिरेंगे जिससे कि हिन्दुस्तान में साल दो साल या चार साल में लड़ाई हो जाये और हमारे दो चार करोड़ आदमी मर जायें, इतना बड़ा काम तो आप करते फिरें और उसके साथ आप कहते हैं कि आपके लिए वकील भी दिया जाय, बैरिस्टर भी दिया जाय, पैंशन भी दी जाय प्राविडेंट फंड (भविष्य निधि) भी दिया जाए, इनहैरिटेंस फंड भी दिया जाय और आपको किताबें भी दी जायें, वह किताबें वह पुस्तकें कि जिनसे आप हिन्दुस्तान की संस्कृति का नाश कर दें, यह कैसे सम्भव है। हमारे डाक्टर काटजू साहब ने जिस वक्त यह बात कही कि मैं वहां डिटैंशन कैम्प में गया तो एक सदस्य ने मुझ से कहा कि मुझको कुछ पुस्तकें मिलनी चाहियें।

श्री के० के० बसु : हम रसगुल्लों पर वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं। चर्चा मंत्रणा बोर्डों के विषय में हो रही है।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य केवल तीन खंडों के ही विषय में कहें।

श्री धुलेकर : रसगुल्लों की बात फिर कहूंगा, अभी मैं यहां पर ऐडवाइजरी बोर्ड के बारे में कह रहा हूं। ऐडवाइजरी बोर्ड के सम्बन्ध में जो बातें आप के अमैंडमैंट्स में रखी गई हैं वह यह हैं कि पूरा मौका इस बात का दिया जाये कि सारी बातें हम जिस प्रकार से अदालत में रखते हैं उसके अनुसार रखें। उसके विरोध में मैं कह रहा हूं कि प्रिवेंटिव डिटैंशन बिल में सिक्योरिटी आफ इंडिया के खिलाफ हमारे मित्र इस प्रकार का काम करें कि हमारे सर पर एक लड़ाई आकर खड़ी हो जाये जिसमें हमारे करोड़ों रुपये लग जायें और जितनी हमारी हिन्दुस्तान की संस्कृति है उसका नाश हो जाये, यह सब तो वह करें और फिर यह सुविधा भी उनके लिए करूं कि ऐडवाइजरी बोर्ड के सामने हम वह चीजें साबित करें कि जो एक मुजरिम के खिलाफ साबित होती हैं। मुझे अफसोस है कि मेरे मित्र भाषा नहीं समझते। हम तो उसको बचाना चाहते हैं, जो जुर्म कि आप आगे करना चाहते हैं उसको हम बचाना चाहते हैं। ऐडवाइ-

जरी बोर्ड का शब्द इसलिए रखा गया है कि गवर्नमेंट को इस बात की सलाह दे कि इस मनुष्य ने हिन्दुस्तान भर में घूम कर जो बातें कही हैं उनका असर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सिक्योरिटी आफ इण्डिया के खिलाफ पड़ता है या आगे चलकर हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा पैदा हो जाय या कोई क्लास स्ट्रगल (वर्ग संघर्ष) होकर ऐसी स्थिति हो जाये कि जो एसेन्शिल कामोडिटीज (आवश्यक वस्तुयें) हमारी तैयार हो रही हैं, जैसे गन फैक्टरीज वगैरह में जिन से कि आगे हम कभी लड़ाई करें तो हमारी रक्षा हो। आप आगे जाकर यूनियन (संघ) के जरिये ट्रेड यूनियनिज्म (श्रम संघ) के बहाने से वहां इस बात का व्याख्यान दें कि लोग सिटिंग स्ट्राइक (बैठे रहो हड़ताल) करें, वह साढ़े चार घंटे ही काम करें हमारे मित्र यह बहाना बतायें कि संसार में तो आठ घंटे काम होगा लेकिन हिन्दुस्तान गरम मुल्क है इसलिए हम यह दावा करते हैं कि हमारे यहां केवल छः घंटे ही काम होना चाहिए। श्रीमान् जी, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह लैक्चर प्लेटफार्म पर कितनी भारी बात है। यह कितनी सुन्दर बात लगती है कि जो आदमी कारखाने में पिस रहे हैं, उनके लिए हम छः घंटे रोजाना काम की बात कहते हैं, लेकिन देश के लिए यह कितना घातक है, यह मैं दिखाना चाहता हूं। हमारे मित्र जो बहुत मासूम अपने को बताते हैं, जैसा कि आनरेबुल श्री हुक्म सिंह ने कहा कि पूअर (गरीब), इल्लिटरेट मैन (अपढ़ लोग) एडवाइजरी बोर्ड के सामने आवेंगे। पूअर इल्लिटरेट कैसे ? वह तो पढ़े लिखे बी.ए., एल. एल. बी., एम. ए. ऐसे लोग ऐडवाइजरी बोर्ड के सामने आयेंगे। यह इल्लिटरेट शब्द आपने जो इस्तेमाल किया तो इन कम्युनिस्टों के लिए मैं अर्ज करता हूं कि वह ठीक नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : मैंने तो अपने लिए कहा इनके लिए नहीं कहा।

श्री धुलेकर : तो आप के मित्र कभी ऐसा जुर्म नहीं करेंगे, यह भी मैं आप से कहता हूं।

सरदार हुक्म सिंह : हमारे ऐसे कई मित्र आगे इसमें पकड़े गये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री धुलेकर : दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह मैं आनुरेबुल डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहना चाहता हूं। उन्होंने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने उनके स्वर्गीय पिता जी के कुछ शब्द पेश किये। मैं भी श्रीमान् आशुतोष मुखर्जी के नाम की दुहाई देकर यह कहना चाहता हूं कि सन् १९०४ और १९०६ से लेकर १९१२ तक मैं बंगाल में था। मैं जानता हूं कि उस जमाने में हमारे माननीय बाबू श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी ने बंगाल में कितनी बड़ी सहायता हमारे विद्यार्थियों को दी थी कलकत्ता के मराठा कालेज में कितनी उन्होंने हमारी मदद की।

उस वक्त यदि डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता न होते तो हमारे हजारों आदमी जेलखानों में चले गये होते, उनके पिता ने हमारी रक्षा की। हालांकि हम गवर्नमेंट के बोर्डिंग हाउसेज (छात्रावासों) में नहीं रहते थे, तो भी उन्होंने डिक्लेयर (घोषित) किया कि चूंकि हमारे बोर्डिंग हाउसेज में पर्याप्त जगह है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी कलकत्ता में जहां कहीं भी रहता हो, वह हमारी छत्रछाया में रहता है। अब मैं दूसरी बात जो अपने मित्र डाक्टर मुखर्जी से कहना चाहता हूं वह यह है कि आप यह किस तरह से डिक्लेयर करते हैं कि वर्तमान हुकूमत द्वारा जो डिटैंशन एक्ट पास किया जा रहा है, और पबलिक सिक्योरिटी एक्ट (लोक सुरक्षा अधिनियम)

[श्री धुलेकर]

जो अंग्रेजों के शासनकाल में चलता था, दोनों एक हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तूर) : क्या हम मंत्रणा बोर्डों के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं ?

श्री धुलेकर : जी हम मंत्रणा बोर्डों पर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय कम है माननीय सदस्य खंड और संशोधनों तक अपना भाषण सीमित रखें।

श्री धुलेकर : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इसमें यह लिखा हुआ है कि पबलिक आर्डर (लोक-शांति) सिक्योरिटी आफ इंडिया और ऐसेन्शियल सप्लाईज वगैरह को जो कट (cut) करते हैं उनके जो मामले हों, वह एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश किये जायें उसी तरह से जैसे कि मुकदमे अदालतों में पेश किये जाते हैं और उनको वकील करने की भी सुविधा दी जाय, अभी हमारे श्री गुरुपाद स्वामी ने कहा कि उनको वकील रखने दिया जाय और उनको हर किस्म का मौका दिया जाय कि वह गवाहों से जिरह कर सकें और जरूरी कागजात पेश कर सकें। इस मांग के सम्बन्ध में श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि एडवाइजरी बोर्ड के सामने दो तरह के आदमी पेश होते हैं। एक आदमी वह थे कि जो देश के हित में लड़ाई लड़ते थे ताकि देश आजाद हो जाय वह देश भक्त थे दूसरी किस्म के वह क्रिमिनल्स (अपराधी) हैं जो जमीन के अन्दर छुपे रहते हैं और सिक्योरिटी आफ इंडिया, पब्लिक आर्डर और ऐसेन्शियल सप्लाईज की चीजें हैं उनको बर्बाद करने के लिए जो लोग फिर रहे हैं उनको और पहले किस्म के आदमियों को आपस में अगर आप तोलें तो दोनों में काफी आपको फर्क और क्लियर डिस्टिंक्शन (स्पष्ट भेद) मिलेगा। हम जो लड़ते थे तो साफ और सामने आकर लड़ते थे हम कोई तार वगैरह ऐसी चीज काटने के लिए तैयार नहीं हैं और न हमारी कोई सीक्रेट ऐक्टिविटीज (गुप्त कार्यवाहियां) हैं, हमें कोई बात छुपानी नहीं है और न ही हमें किसी बात की शर्म है, हमें अदालत या कहीं भी आने में शर्म नहीं है क्योंकि हम तो अपने देश के हित के लिए लड़ते हैं, तो मैं डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इन दोनों तरह के आदमियों में डिस्टिंक्शन बताना चाहता था। मेरे मित्र मुझ से लियाकत में बहुत बड़े हैं लेकिन मैं उनसे पूछूं कि ऐसे आदमी जो देश में गड़बड़ी पैदा करें दूसरे मुल्कों से लड़ाई करा दें या तो गवर्नमेंट फैक्टरियों में, मिलों में और हवाई जहाज के अड्डों पर ऐसी गड़बड़ी फैलायें जिससे हमारी जिन्दगी खत्म हो जाती है, इस प्रकार के लोगों को और पहले किस्म के आदमियों को एक साथ रखना कहां तक मुनासिब और न्यायसंगत है। पंडित मोतीलाल ने जो कहा था वह ठीक कहा था, उन्होंने ऐसे लोगों के लिए नहीं कहा था जो देश को हानि पहुंचाते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : माननीय सदस्य यह भूल गए हैं कि मोतीलाल नेहरू ने उस विधेयक पर भाषण दिया था जो मुख्यतया भारत के ब्रिटिश कम्युनिस्टों के विरुद्ध था, कांग्रेस दल के विरुद्ध नहीं। फिर भी उन्होंने यह कहा था कि उन्हें भी न्यायाधिकरण के सामने अपना मामला रखने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री धुलेकर : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा तो उस समय नेशनल मूवमेंट (राष्ट्रीय आन्दोलन) चल रहा था और हम तो हर क्षेत्र में ब्रिटिश गवर्नमेंट का और उसकी चीजों का पूर्ण बहिष्कार कर रहे थे, यहां तक कि हम उन स्कूल, कालिजों और यूनिवर्सिटियों को जिन्होंने मुझे और डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पैदा किया उनको हम उस समय गुलाम खाने कहते थे, और उस समय तो हम उनकी हर चीज को गिरान

चाहते थे, क्योंकि हम उस विदेशी शासन का अपने देश से अन्त देखना चाहते थे। मैं श्री मुखर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आज आप वही चीज़ करना चाहते हो, जो अंग्रेजों के राज्य में हम करते थे, और अगर आप कहते हैं कि हां हम यह सब करना चाहते हैं तो ऐसी हालत में हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वह नदी के एक पार हैं और हम दूसरी पार हैं। अब आप उस क्लास की तरफ देखिए जिसके नेता हमारे मित्र श्री गोपालन हैं। उनका कहना है कि हम तो हिन्दुस्तानी सभ्यता नहीं रखेंगे, और हम किसी दूसरे मुल्क से मैत्री नहीं रखेंगे और हिन्दुस्तान के जितने कम्युनिटी प्राजैक्ट्स (सामुदायिक योजनायें) हैं हम उनको भी नहीं चलने देंगे, आपकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं हम उनको नहीं चलने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब कारण धारा तीन में दिए गए हैं। अभी तो प्रश्न यह है कि और अधिक बातें बताई जानी चाहियें या नहीं, उसके बाद मंत्रणा बोर्ड के गठन तथा उनको निदेश करने का प्रश्न आता है; फिर वकील खड़ा करने, गवाहें बुलाने तथा जिरह करने के अधिकार का प्रश्न उठता है। क्या आपका कहना यह है कि अपराध इतने बड़े हैं कि ये सुविधायें नहीं दी जानी चाहियें।

श्री धुलेकर : श्रीमान् जी मैं यह अर्ज कर रहा हूं और उन दोनो क्लासेज़ में जो डिस्टिंक्शन है उसको बतला रहा था...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कह चुका हूं कि यथासंभव वे दस मिनट से अधिक भाषण न दें।

श्री धुलेकर : मैं डिस्टिंक्शन बता रहा था दोनों क्लास के आदमियों में और उसी को दृष्टि में रखते हुए मैं आपको बतला रहा था कि अगर प्रीवेन्टिव है तो डिटेंशन होगा और ट्रायल में कनविक्शन (दोष सिद्ध) होगा। मेरे मित्र जो यह चाहते हैं कि प्रीवेन्टिव भी न हो और डिटेंशन भी न हो वह चाहते हैं कि डिटेंशन हो और ट्रायल हो तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है। जब ऐसे लोगों का ट्रायल होगा तो यह मालूम पड़ जायगा और जैसा मैं ने आपको बतलाया कलकत्ता का पावर हाउस उड़ा देने के लिए उन्होंने पांच प्रयत्न किये अगर जुर्म उनका साबित हो जायगा तब तो उनको सजा हो जायेगी ट्रायल के बाद लेकिन अगर हम उनका ट्रायल नहीं करेंगे तो उनको डिटेन करेंगे, देखिए कितना साफ डिस्टिंक्शन उन में है। इसलिए एडवाइजरी बोर्ड के सम्बन्ध में म यह कहना चाहता हूं कि एडवाइज़री बोर्ड को एडवाइज़री ही समझा जाना चाहिए और इस बोर्ड को किसी किस्म के अख्तियारात न दिये जायें जिससे एडवाइज़री बोर्ड कोई एक किस्म का मुकदमे करने वाला एक इजलास हो जाय। मेरे मित्र कहेंगे कि आखिर यह जो एडवाइज़री बोर्ड सरकार बनाने जा रही है यह किसके लिए बना है, मेरे मित्र कहेंगे कि वह डेटन्यू (निरुद्ध व्यक्ति) के लिए बना है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं, मेरी समझ में तो यह बोर्ड उन तीन पब्लिक चीज़ों के सेफ गार्ड (सुरक्षा) के लिए बना है वह है पब्लिक आर्डर, सिक्योरिटी आफ इण्डिया और ऐसेन्शियल सप्लाई की चीज़ों को कायम रखना। इस बोर्ड के कायम करने का उद्देश्य ऐसे क्रिमिनल लोगों से इन तीनों चीज़ों की हिफाज़त करना है और चूंकि ऐसे लोगों के खिलाफ हम पूरा पूरा सबूत अदालत में नहीं दे सकते, चाहे वह किसी कारणवश हो, चाहे वह सेफ्टी आफ इंडिया (भारत की सुरक्षा) की दृष्टि से हो या पब्लिक कानफिडेन्स (लोक विश्वास) की दृष्टि से उसका गुप्त रखना आवश्यक हो, और हम यह फील (सोचें) करें कि अगर हम उस चीज़ को खोल देते हैं तो बड़ी गड़-बड़ी मच जायगी, इस क्लास के लोगों से डील (व्यवहार) करने के लिए ही यह बोर्ड बनाया गया है।

[श्री धुलेकर]

हमारे यह दोस्त क्या चाहते हैं ? यह कहते हैं कि हम बम बनायें, सीक्रेट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें और जब पकड़े जायें, तो हमें अदालत में जिरह करने दिया जाय जिसमें सारी दुनिया जान सके कि बम किस तरह बनाये जाते हैं, उसके बनाने का कायदा क्या है और किस तरह बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज (बिजलीघर) उड़ाये जा सकते हैं। मैं हरगिज़ उनकी इस मांग से सहमत नहीं और मैं तो सरकार व अपने होम मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐडवाइज़री बोर्ड के सामने इस तरह की चीज़ें रखने की व्यवस्था न करें, क्योंकि यह समाज और देश के हित में अहितकर होगा। आखिर में मैं कहूंगा कि हमारे मित्र श्री पुन्नूस ने प्रीवेन्टिव डिटेंशन एक्ट पर बोलते हुए अपना जो सारा केस (मामला) प्लीड किया (वकालत करना) मैं कहता हूं कि उन्होंने अपना सारा केस खो दिया।

उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मामला ऐसा पड़ जायगा कि मैं किसी वक्त में कहीं शान्तिपूर्वक जाता हूंगा और हमको अगर वे रोकेंगे, तो मैं नहीं रुकूंगा। यह उनके शब्द हैं कि अगर वह मेरे ऊपर फोर्स (बल) इस्तेमाल करेंगे, मेरे ऊपर लाठी चार्ज करेंगे तो मैं उन को तमाचा दूंगा, मैं उनको मारूंगा। चलिये खत्म हो गया। आपके लिए प्रीवेन्टिव-डिटेन्शन रखना बेकार है, क्योंकि आपने तो अपने दिल का फोटो रख दिया। आपने कह दिया कि आप शांतिपूर्वक नहीं रुकेंगे, अगर वह रोकेंगे, अगर वह मारेंगे, तो आप भी मारेंगे श्रीमान जी, ऐसे ही लोगों को डिटेन्शन में रखने के लिए यह बिल बनाया जा रहा है।

क्योंकि यह निश्चय हो गया था कि ११.३० बजे तक खंड ७,८ और ९ पर विवाद समाप्त कर दिया जायगा इसलिए उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए कहने के पहिले दूसरे सदस्यों को पांच पांच मिनट बोलने का अवसर दिया।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहता था। श्री जगजीवनराम जी के पास हरिजनों की बहुत सी प्रार्थनायें और अपीलें आई हैं इसलिए उन्हें भी मालूम है कि गत वर्ष आंध्र देश में बिना सुनवाई के बहुत से हरिजनों को केवल इस कारण महीनों महीनों के लिए कैद कर लिया गया है कि वहां कुछ जमीन सम्बन्धी झगड़े हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे न कराने के लिए सरकार को उसके बारे में और बातें जानने की जरूरत पड़ेगी।

श्री बी० एस० मूर्ति : यह सन् १९४९, १९५०, १९५१ और १९५२ में भी हुआ था। अधिकांश हरिजन अपढ़ हैं। वे खेतों में मजदूरी करते हैं। पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिलों में थोड़ी जागृति है तथा समूह विपणन करने की भावना है। कुछ हरिजन नेताओं ने कोशिश की कि उन सब को कुछ अधिक मजूरी मिलने लगे। इस कारण वे पुलिस थाने को भेज दिए गए तथा अन्याय रूप से उनका निरोध कर लिया गया। इसी अधिनियम के अन्तर्गत उनका निरोध किया गया था। श्री बपनय्या को ४ वर्ष तक निरोध में रखा गया था। ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। मेरा कहना है कि अपढ़ व्यक्ति तो क्या पढ़े लिखे लोग भी बिना कानूनी सहायता के अपना बचाव नहीं कर सकते तथा सरकार उनका निरोध करवा सकती है। अतएव उसके बिना इन मंत्रणा बोर्डों को बनाना व्यर्थ है। वह उन निर्दोष व्यक्तियों की बिल्कुल सहायता न कर सकेगा जिनका आज वध किया जा रहा है। 'वध

शब्द मैंने जानबूझ कर प्रयोग किया है। गोदावरी जिले के राजोल जिले में लोगों की उंगलियां काट ली गई हैं। ऐसे कई मामले हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कानूनी सहायता के बारे में बात कर रहे थे। बध का यहां क्या सम्बन्ध है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे उन लोगों के साथ न्याय करें जो अपर्याप्त कारणों पर, सन्देह पर, द्वेष अथवा राजनैतिक कारणों पर निरुद्ध किए गए हैं। इन असहाय हरिजनों को कानूनी सहायता अवश्य ही पहुंचाई जानी चाहिए।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मुझे समझ में नहीं आता कि वकीलों से इतना भय क्यों लगता है। वास्तव में वकील आवश्यक होते हैं। मुझे एक विभागीय जांच का स्मरण है जिसमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति साधारण सी बात तक का अपने अफसर का सामने जवाब नहीं दे सका था। वकील कोई झंझट उपस्थित खड़ा नहीं करते। आप उन्हें भले ही झंझट समझें क्योंकि वे बातों को सिद्ध करना चाहते हैं। हमारे मित्र ने ट्रायल का ठीक अर्थ नहीं समझा। ट्रायल का अर्थ होता है 'सत्य का ढूंढना'। यदि एक मनुष्य को बचाव करने का अवसर न दिया जाय और वह कैद कर लिया जाये तो उसे ट्रायल नहीं कहेंगे। मेरे मित्र ने निवारक निरोध का तो अर्थ समझ लिया परन्तु उन्होंने यह नहीं जाना कि परीक्षण के बाद दण्ड देने के लिए भी निरोध हो सकता है। हम यह चाहते हैं कि निरुद्ध व्यक्ति को कानूनी सहायता दी जाए। वकील देश प्रेमी होते हैं—शत्रु नहीं। अतएव वे निरुद्ध व्यक्ति की अवैध रीति से सहायता नहीं करेंगे। मामले की ठीक जांच करने में वे न्यायाधीश की सहायता करेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने कुछ संशोधन रखे थे। उनका तात्पर्य यह था कि मंत्रणा बोर्ड की शक्तियां बढ़ा दी जायें। श्री पाटसकर के संशोधन से कुछ हद तक यह बात हो जाती है।

इस विधेयक का मूल सिद्धान्त यह है कि केवल कार्यपालिका ही इस बात का निश्चय करेगी कि निरोध किये जाने के कारण पर्याप्त हैं अथवा नहीं। पर वह निरोध की पूरी जिम्मेवारी अपने उपर नहीं लेना चाहती इस कारण मंत्रणा बोर्ड की स्थापना हुई। अब प्रश्न यह है कि ये केवल स्वांग ही होंगे अथवा इनका कुछ प्रभाव भी पड़ेगा।

यदि मंत्रणा बोर्डों को केवल उस साक्ष्य को देखने का अधिकार हो जो उनके सामने प्रस्तुत किया जाय और उनके विवेचन पर कुछ न छोड़ा जाय तो स्पष्ट है कि वे अपना कर्त्तव्य न निभा सकेंगे। पर विधेयक में यह उपबन्ध है कि यदि मंत्रणा बोर्ड चाहें तो वे किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर सकते है। वास्तव में स्थिति यह है कि यदि कोई अभियुक्त यह कहता है कि वह वहां पर था ही नहीं जहां अपराध किया गया था तब मंत्रणा बोर्ड बड़ी सरलता से उसकी जांच करने के लिये गवाह बुलवा सकते हैं।

इस विधेक का दूसरा सिद्धान्त यह है कि न्यायालय में अभियुक्त का जैसा परीक्षण होता है वैसा परीक्षण मंत्रणा बोर्ड न करेगा। या तो निवारक निरोध हो अथवा पूरा परीक्षण। यह तो मंत्रणा बोर्ड के न्यायाधीश तय करेंगे कि निरुद्ध व्यक्ति लोक सुरक्षण के विरुद्ध कुछ कार्य कर सकता है अथवा नहीं। केवल वे व्यक्ति ही निरुद्ध किये जायेंगे जिनका निरोध किया जाना चाहिये, तथा जो धारा ३ के अंतर्गत आते हैं। मुझे हर्ष है कि मंत्रणा बोर्ड की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं और वे न्याय कर सकेंगे। मैं ने ३ बातों के विषय में निवेदन किया था। यदि मंत्रणा बोर्ड

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

चाहे कि निरुद्ध व्यक्ति को और बातें बतलाई जानी चाहियें। तो वे बतलाई जानी चाहिये। यह शक्ति उन्हें है । अच्छा होता कि कानूनी सहायता देने का संशोधन स्वीकार हो जाता जिससे कि मंत्रणा बोर्ड की अनुज्ञा पर निरुद्ध व्यक्ति अपना वकील खड़ा कर पाता । इंगलैंड और अमेरिका में भी इस सुविधा के देने में सरकारों को आपत्ति है । मैं प्रार्थना करूंगा कि निरुद्ध व्यक्ति को अपना मामला पेश करने में वकील से सहायता लेने की सुविधा दी जाय । न मालूम हरिजनों के वध के बारे में अभी क्या कहा गया हैं । श्री धुलेकर ने तो यह कहा था कि जो लोग हरिजनों को सताएं वे अपराधी समझे जायें तथा उन्हें सज़ा दी जाय । उन्होंने यह नहीं कहा कि सताए गये हरिजनों का इस अधिनियम के अतंर्गत निरोध कर लिया जाय तथा आततायियों को पुलिस के अफसर सहायता दें । ऐसी दशा में तो देश का सामान्य नियम ही चलेगा । निवारक निरोध अधिनियम लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि कोई मनुष्य अपराध करे तथा उसे सिद्ध करने के लिये गवाह न हों तथा वह धारा ३ के अंतर्गत आता हो तब ही वह निरुद्ध किया जायगा । मंत्रणा बोर्डों को आवश्यक शक्ति दी गई है जिससे न्याय हो सकेगा । यदि अपना मामला तैयार करने में निरुद्ध व्यक्ति को कुछ कानूनी सहायता मिल जाये तो यह विधेयक सामान्य मनुष्यों को ग्राह्य होगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : अधिनियम को सुधारने के लिये मैं कानूनी सहायता के विषय में बोलना चाहता था । मैं चाहता हूं कि यदि मंत्रणा बोर्ड ठीक समझे तो कानूनी सहायता दी जानी चाहिये । हम यह नहीं कह रहे हैं कि निरुद्ध व्यक्ति को कानूनी सहायता लेने का अधिकार होना चाहिये । मंत्रणा बोर्ड को बहुत शक्तियां दी गई हैं । मान लीजिये कि सूचना प्राप्त करने के पश्चात् मंत्रणा बोर्ड को यह मालूम पड़ा कि मामला इतना जटिल हो गया है कि कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो वह दी जानी चाहियें । जिससे कि निरुद्ध व्यक्ति अपना मामला तैयार करवाए तथा अपनी वकालत करवा सके । इंगलैंड में यह सुविधा दी जाती है । हाउस आफ कामन्स में यह निश्चित हो चुका है कि कानूनी सहायता का प्रश्न मंत्रणा बोर्डों के हाथों में छोड़ देना चाहिये । अमेरिका में भी इस तरह का विधेयक १९५० में पारित हुआ था । उसके अनुसार निरुद्ध व्यक्ति को सुनवाई का, जांच तथा कानूनी सहायता लेने का अधिकार है । वहां के बोर्ड में ९ सदस्य होते हैं जिनमें ५ से अधिक सदस्य किसी एक दल के नहीं होते । उनकी नियुक्ति वहां का प्रेसीडेंट करता है । पुनर्विलोकन की याचना करने के दिन से ४५ दिन के भीतर बोर्ड को यह निश्चित करना पड़ता है कि वह व्यक्ति छोड़ दिया जाये अथवा नहीं । यदि व्यर्थ में निरोध किया गया हो तो बोर्ड हर्जाना दिला सकता है । इस अधिनियम के रहते हुए भी लोग बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख से लाभ उठा सकते हैं ।

यह नियम कम्यूनिस्ट दल के विरुद्ध पारित किया गया था । इस निरोध के कानून का हम यहां अनुसरण कर सकते हैं । आशा है गृह मंत्री यह संशोधन स्वीकार कर लेंगें कि स्पष्टीकरण तैयार करने के पहिले कानूनी सहायता दी जाय तथा यदि मंत्रणा बोर्ड आवश्यक समझे तो सुनवाई के समय निरुद्ध व्यक्ति को कानूनी सहायता दी जाये ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल– पश्चिम कटक) : हमारे देश में ८५ प्रतिशत व्यक्ति अपढ़ तथा १५ प्रतिशत पढ़े लिखे हैं । पढ़े

लिखे व्यक्ति भी अपनी वकालत खुद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं होता, वे दाण्डिक प्रक्रिया संहिता की धाराओं से परिचित नहीं होते । अतएव मेरा निवेदन यह है कि व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो अथवा नहीं, उसे कानूनी सहायता मिलनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री ।

डा० काटजू : श्रीमान् जी मैं सारे विषय को धाराओं के क्रम में लूंगा ।

पहले मंत्रणा बोर्डों के गठन को लीजिये । यह सुझाया गया है कि उच्च न्यायालय के केवल सेवायुक्त न्यायाधीश ही सदस्य हों । संविधान की ओट में कई बार ध्यान आकर्षित करा चुका हूं । इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता जब ऐसा करने से लोगों के तर्क का प्रयोजन सिद्ध होता है । अनुच्छेद २२, खण्ड ४ में मंत्रणा बोर्डों की प्रक्रिया दी गई है । उसमें दिया गया है कि मंत्रणा बोर्ड में वे लोग होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, थे अथवा नियुक्त किये जाने की योग्यता रखते हैं । इस उपबन्ध का संशोधन अथवा परिवर्तन कर उसका निर्बंधन करना वैध है अथवा नहीं इसमें मुझे संदेह है । संभवतः हम यह नहीं कह सकते कि इस में केवल सेवायुक्त न्यायाधीश ही होंगे और वे नहीं होंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं । हमारा कर्तव्य है कि हम संविधानका अक्षरशः तथा वास्तव में पालन करें । मुझे यह सुनकर बड़ा रंज हुआ कि निवारक निरोध अधिनियम का उपयोग सरकार किसी विशेश दल का दमन करने के लिये करेगा चाहे वह अहिंसात्मक तथा संवैधानिक ढंग से काम क्यों न कर रहा हो । जब मैं १९५१ का वादविवाद पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था कि आगामी चुनाव की अवधि में निवारक निरोध नियम निलंबित कर दिया जाये । उस समय यह भय व्यक्ति किया गया था कि उस समय की सरकार किसी राजनैतिक दल की कार्यवाहियों को रोकने अथवा बाधा देने के लिये निवारक निरोध अधिनियम के उपबन्धों का दुरुपयोग कर सकती है । माननीय सदस्य इस पर विचार करें । निवारक निरोध अधिनियम लागू था । चुनाव में क्या हुआ ? क्या एक भी व्यक्ति, समूह, दल अथवा संस्था है जो कह सके कि सरकार ने उसकी राजनैतिक कार्यवाहियों में बाधा दी । मैं दुहराना नहीं चाहता परन्तु बहुत से वे व्यक्ति भी पेरोल पर छोड़ दिये गये थे जो निरुद्ध थे तथा उन्हें प्रचार करने, अपना मत फैलाने, चुनाव लड़ने तथा वोट देने की सुविधाएं दी गई थीं । मेरा निवेदन है कि जो आरोप लगाया गया है वह न्याय नहीं है ।

मेरे ग्वालियर के मित्र ने कहा कि सरकार यह बईमानी कर सकती है कि वह मंत्रणा बोर्ड में उन सेवा निवृत्त न्यायाधीशों मंत्रणा बोर्ड में उन सेवा निवृत न्यायाधीश को रख सकती है जो कांग्रेस दल के सदस्य बन गये हैं । यह दोषारोप उचित नहीं है । क्या ऐसी एक भी बात हुई है ? मैंने मंत्रणा बोर्डों के सदस्यों की सूची घुमाई है । क्या कोई यह कह सकता है कि सेवा निवृत्त न्यायाधीश या जिले के न्यायाधीश कांग्रेस दल के सदस्य बना लिये गये हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मेरे समझ में उन्होंने यह नहीं कहा ।

डा० काटजू : उन्होंने यह नहीं कहा । पर क्या यह किया जा रहा है ? यदि सेवा निवत्त न्यायाधीश दल का सदस्य बन जाता है तो क्या संसद और राज्य की विधान सभा कुछ न करेगी ? मान लीजिए कि

[डा० काटजू]

मंत्रणा बोर्ड में ऐसा न्यायाधीश ले लिया जाता है। आप दल का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कीजिए। सब ठीक हो जायेगा। ऐसे दोषारोप नहीं करना चाहिये। ये असंसदीय हैं।

गठन के बारे में संयुक्त समिति में मैंने कहा कि उसमें कार्यकारी अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश रख लीजिये जिससे कि उसमें विधान अनुभवी, कानून की जानकारी तथा मनुष्य की प्रकृति को समझने वाले लोग रहें। मैंने यहां तक कहा कि भाग 'ग' के राज्यों में जैसे भोपाल और हिमाचल प्रदेश में जहां उच्च न्यायालय नहीं हैं वहां के मंत्रणा बोर्डों के लिये पड़ोस के राज्यों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लायेजायें। इस सहृदयता के विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा। यहां लोग कार्यकारी न्यायाधीश को सारे गुणों से विभूषित कर रहे हैं तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर सारे दोष लाद रहे हैं। मैं इस के विषय में अब कुछ और नहीं कहना चाहता। मैं यह संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि मंत्रणा बोर्ड का सभापति केवल सेवायुक्त न्यायाधीश हो। माननीय सदस्यों को संभवतः इस बात का पता नहीं है कि वकीलों में से अथवा कर्मचारियों में से हाईकोर्ट के लिये न्यायाधीश भरती करने में सरकार को कितनी कठिनाई पड़ती है। प्रत्येक हाईकोर्ट में बकाया काम बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश कह रहा है कि काम चलाना कठिन है। मैं भी चाहता हूं कि यथासंभव सेवायुक्त न्यायाधीश सदस्य हों पर यह वांछनीय नहीं कि वे समय समय पर मामलों का निवटारा करने के अपने काम से हटाए जायें। पर यह बहुत मामूली बात है।

डा० एस० पी० मुखर्जी: यदि वकील हटा दिये जायें तो सब ठीक हो जायेगा।

डा० काटजू: इस पर मैं बात करना चाहूंगा। मैं आज चर्चा करने के लिये तैयार हूं। मैं एक भ्रम मिटाना चाहूंगा। मैं ३०,४० साल तक वकील रहा हूं और यदि मौका आया और यदि उन पर अभियोग चलाया गया तो मैं उनकी वकालत करूंगा। मैं श्री गोपालन से खराब व्यक्ति की भी वकालत करने के लिये तैयार हूं। आवश्यक यह कि वकील उचित कानूनी वातावरण में उचित न्यायाधिकरण के सामने कार्य करें। यह मेरा निजी विचार है। यदि आप मुझसे किसी मध्यस्थ के सामने जाने के लिये कहें—मैं एक बार सैनिक मध्यस्थ के सामने गया था। इस मामले में एक ठेकेदार को कुछ पैसे नहीं दिये गये थे और मामला मध्यस्थ को सौंपा गया था तथा एक ब्रिगेडियर मध्यस्थ था। वह ठेके के कानून का प्रश्न था। वहां जाने के पहिले किसी ने मुझ से कहा कि साथ में कानून की किताबें लेते जाइये। मैं वैसा ही चला गया जैसा मैं यहां बैठा हुआ हूं। जब वह बात आई तब ब्रिगेडियर ने मेरी ओर देखा और कहा "अच्छा डा० काटजू" मैंने कहा "आप क्या समझते हैं कि मैं कानून पर चर्चा करूंगा और पुराने दृष्टान्त दूंगा। आप न्यायाधीश नहीं हैं। यह उचित वातावरण नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा करें।" जब मैंने यह कहा तब उसने मेरी ओर फैसला कर दिया। यदि मैंने मामले पर उस तरह जिरह की होती जिस तरह कि मैं व्यवहार न्यायालय में करता हूं तो मैं हार गया होता। गांव की पंचायत में वकीलों को न आने देने में मेरी जिम्मेवारी है। पंचायतों और अधिकरणों में जो मामले जाते हैं उनके केवल प्रशासी विषयों पर चर्चा की जाती है। हां न्यायालयों में वकील आवश्यक हैं जिससे कि वे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियम पर विचार करें। मामले के दोनों पहलुओं को सामने रखें परीक्षण करें तथा निर्वाचन के कठिन प्रश्न

परीक्षण करें तथा निर्वाचन के कठिन प्रश्न पर बहस करें। यह सब उचित होगा। उन्हें यह करना चाहिये। वकील उत्तम विधान बनाने वाले होते हैं। समाज में केवल वकील ही ऐसे होते हैं जो अच्छे सभासद तथा अच्छे मंत्री बन सकते हैं।

डाक्टर केवल मरीजों से मिलते हैं। इंजीनियर केवल ठेकेदारों आदि से मिलते हैं। व्यापारी अपने कार्यालय में होता है। केवल वकील ही समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं। मैंनें डाक्टरों की वकालत की है--एक मामले में जिसमें यह आरोप किया गया था कि उसने एक मरीज की सावधानी से नहीं देखा जिसे कुत्ते ने काटा था-मैंने पागल की वकालत की है। मैंने सबकी वकालत की है।.

वकालत करने की कला बड़ी कठिन होती है क्योंकि वहां न्यायाधीश होते हैं। कभी चापलूसी करने से निर्णय अपने ओर हो जाता है। ३०,४० साल के अनुभव से मैं कहा रहा हूं कि वकालत की उत्तम कला वह है जिसमें न्यायाधीश यह भूल जायें कि वकील वकील है। वह उसे अभिन्न मित्र समझने लगे जो मंत्रणा दे तथा बताएं कि मामला किस प्रकार तय किया जाना चाहिये। मुझे भय है कि मैं मुख्य बात से परे हट रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने तो यह सिद्ध कर दिया है कि वकील की सहायता दी जानी चाहिये।

डा० काटजू: बिलकुल नहीं ये दूसरे प्रकार के वकील के बारे में सोच रहे हैं।

खंड आठ के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। अवधि ६ सप्ताह से घटाकर ३० दिन कर दी गई है।

खंड ९ लीजिये। मेरे माननीय कलकत्ते के मित्र ने इंगलेंड और अमरिका की प्रक्रिया का जिक्र किया। मैं उसे बिना कुछ अपना मत व्यक्ति किये सदन के सामने रख रहा हूं। गत ५-६ दिनों से विपक्ष के हमारे मित्रों को अमेरिका और इंगलैंड से बड़ा प्रेम हो गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद २२ के ७वें खंड में लिखा है कि खंड (४) के उपखंड (क) के अधीन की गई जांच में मंत्रणा बोर्ड द्वारा अनुसरण कि गई प्रक्रिया को संसद कानून द्वारा विहित कर सकती है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि संसद मंत्रणा बोर्ड को यह शक्ति दे दे तथा उसे अपनी प्रक्रिया के नियम बना लेने दे। यदि ऐसा अभिप्राय होता है तो वैसा संविधान में लिखा गया होता। उस अवस्था में यह कहा जाता कि मंत्रणा बोर्ड की अपनी प्रक्रिया के नियम बनाने का अधिकार होगा। परन्तु संविधान में यह साफ साफ लिखा है कि जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा उसे संसद नियम बना कर विहित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया यहां बनाई जानी चाहिये तथा इसे बोर्ड पर नहीं छोड़ देना चाहिये। यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी: इसमें कोई सार नहीं है।

डा० काटजू: मुझे हर्ष है कि आप न्यायाधीश नहीं हैं तथा आपने दो साल से ज्यादा वकालत नहीं की है।

दूसरी बात यह है कि वकील न रहने पर ही न्यायाधीश मामले पर अधिक ध्यान देते हैं। यही बात मैंने कल कही थी पर सदस्यों ने उसे मज़ाक में ले लिया था। ऐसा कह कर मैं वकीलों का अनादर नहीं कर रहा हूं। जिस वादविवाद का जिक्र मैंने कल किया था उसमें श्री हर्बर्ट मारीसन ने कहा था कि बहूत से मामलों को जांच करने पर उन्हें यह मालूम हुआ था कि मंत्रणा बोर्ड के सदस्यों का झुकाव निरुद्ध व्यक्तियों की तरफ

[डा० काटजू]

होता है। मैं मंत्री, कांग्रेसी अथवा वकील होने के नाते आपसे फिर कहता हूं कि यदि बोर्ड का सभापति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो तथा उसके सामने सारी सामग्री तथा वह व्यक्ति खड़ा कर दिया जाये तो वह सच बात जानने का पूरा प्रयत्न करेगा। जब आप कानूनी सहायता की बात कर रहे हैं तब व्यवहार में यह होगा कि निरुद्ध व्यक्ति के पक्ष में ३ योग्य अधिवक्ता होंगे। तब आप किस प्रकार की कानूनी सहायता चाहते हैं? कोई परीक्षण नहीं होना है न कोई जांच या जिरह। वहां वह व्यक्ति होगा तथा सारी सामग्री न्यायाधीश के सामने होगी और जब हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि निरुद्ध व्यक्ति अपनी सुनवाई करा सकता है, बोर्ड आवश्यक सूचना मांग सकता है। यह तो पुरानें खंडों के अनुसार भी वह कर सकता था। मुझे इसमें संदेह था कि वे किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर सकते हैं इस लिये यह बात इस विधेयक में स्पष्ट कर दी गई है। बोर्ड के सदस्य स्वर्गीय सर एस० पी० सिन्हा, सर बी० एल० मित्तर अथवा पं० मोतीलाल नेहरू जैसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति अथवा वैसी ही योयग्ता के वकील अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। वे प्रस्तुत की गई सारी सामग्री पर विचार करेंगे तथा ठीक निश्चय कर सकेंगे। फिर आप कैसी कानूनी सहायता चाहते हैं? आप ५-६ साल का अनुभव रखने वाले वकील को लगाना चाहते हैं। आप मान जाइये कि वकील के होने से तथा उसके बोलने से न्यायाधीशो को संदेह होगा। मेरा यह वैयक्तिक अनुभव है।

डा० एस० पी० मुखर्जी: हमारा कहना है कि यह बात न्यायाधीश पर ही छोड़ दी जाये, निरुद्ध व्यक्ति पर नहीं।

डा० काटजू: वे नहीं चाहते। उन्हें बाध्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे खुद वकील बन जाएंगे। मैं कारण नहीं बतलाना चाहता। यह केवल कानूनी सहायता की बात नहीं है, और भी कई बातें हैं। मान लीजिये कि मामला ऐसा है कि उस में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता पड़े—आवश्यक वस्तुओं की, विदेशी जासूसों की, भारत की सुरक्षा की और लोक-शान्ति की। यदि व्यक्ति को कानूनी सहायता दी जायेगी तो वकील कहेगा कि सलाह देने के पूर्व मुझे सारी सूचना चाहिये। फिर गुप्त कुछ भी न रखा जा सकेगा। यह कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति को उसके निरोध के कारण बतलाए जात हैं तथा बन्दीप्रत्यक्षी करण की याचना की जाती है तब कारण प्रकट हो जाएंगे अतएव राज्य की सरकारों से कहा जा सकता है कि यदि वे ठीक समझें तो खास खास मामलों में वे निरुद्ध व्यक्ति को वकील से मिलने की सुविधायें दे सकते हैं जिससे कि उसका अभ्यावेदन ठीक रूप में बनाया जा सके। उस स्थिति में उसे कोई गुप्त बात नहीं बतलाई जाती परन्तु जब मामला मंत्रणा बोर्ड के सामने पहुंचता है तब बात विस्तृत हो जाती है। हो सकता है कि कई गुप्त बातें हों तथा वकील कठिनाईयां उत्पन्न कर दें तथा राज्य की सरकार उनका सामना न कर सके। देशहित में दूसरे व्यक्तियों का उस मामले में लाना ठीक न हो। इसलिये यह बात हमे मंत्रणा बोर्ड पर छोड़ देनी चाहिये। जैसे मैंने कहा वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। कुछ तो वकालत करने वाले होंगे। कुछ न्यायाधीश बनाये जाने के पहिले वकालत करने वाले होंगे। इस लिये मेरा निवेदन है कि मंत्रणा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को पर्याप्त कानूनी सहायता मिलेगी। यहां हर्बर्ट मारीसन ने कहा था।

मैं श्री पटसकर के संशोधन को स्वीकार कर लूंगा। मैंने पहिले सोचा कि उसका

प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था । मैं सोच रहा था कि इसके जोड़ देने पर धारा का क्या रूप होगा ? वह निरुद्ध व्यक्ति को पूर्ण संरक्षण देगा । वह धारा ऐसी बन जायेगी :

"सामने रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद तथा और आवश्यक सूचना प्राप्त करने के पश्चात्, मंत्रणा बोर्ड....."

मूल सामग्री में निरोध के कारण अभ्यावेदन और निरोध करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट थे । इसके पश्चात् मेरे माननीय मित्र का संशोधन आता है :

"... उस सरकार द्वारा सूचना के लिये बुलाये गये व्यक्ति से . . ."

हमें यहां न्यायाधिकरण की आवश्यकता नहीं है । हम आह्वान नहीं चाहते, न बैलीफ या न्यायालय के अधिकारी और उस तरह की कोई वस्तु ही चाहते है । मंत्रण बोर्ड सरकार को लिखेगा कि वे अमुक मुक व्यक्ति चाहते हैं । यदि सरकार को इसमें कोई आपत्ति होगी तो वह बोर्ड को ऐसा कहेगी । यदि कोई निदेशों से संबन्ध रखने वाली बात हो जिसका स्रोत बिलकुल गुप्त रखना आवश्यक हो तो सरकार को आपत्ति होगी ।

संशोधन के पश्चात् धारा का जो रूप होगा उससे लोगों को पूर्णतः संतुष्ट हो जाना चाहिये । उन्हें और क्या चाहिये ?

श्री नाम्बियार : वकील ।

डा० काटजू : मेरा निवेदन है कि अपना मामला पेश करने के लिये हमने निरुद्ध व्यक्ति को काफ़ी मौका दिया है । महान शक्ति वाला मंत्रणा बोर्ड उसका ध्यान रखेगा तथा सब प्रकार की कानूनी सहायता देगा और यदि उन्हें नई सूचना मिली तो वे उससे पूछेंगे "ये नई बात क्या है ?" आप विश्वास करें चाहे नहीं पर अलाहाबाद के हाईकोर्ट में मुझे उस विरोधी का सब से अधिक भय लगता था जिसका कोई वकील नहीं होता था । ऐसे मामले म मैं सोचता था कि मुकद्दमा जीतने में मुझे तिगुनी शक्ति लगानी पड़ेगी क्योंकि किसी के न रहने पर न्यायाधीश स्वयं ही उस पक्ष का वकील बन जाता है । प्रत्येक वकील इस बात को जानता है । अतः मेरा निवेदन है--इसे मैं किसी एक दल की बात नहीं बनाता अपितु सारे सदन से कहता हूं--कि वे इसे इस कार्य के लिये पर्याप्त समझ लें । अब मैं कहता हूं कि खंड ८, ९ और १० आदर्श खंड बन गये हैं ।

इसके पश्चात् श्री पाटसकर ने अपना संशोधन पढ़ कर सुनाया ।

डा० काटजू : मुझे यह संशोधन स्वीकार है । अन्य सब संशोधनों का मैं विरोध करता हूं । मुझे आशा है कि संयुक्त समिति द्वारा संशोधन किये गये ये तीन खंड हर्ष पूर्वक पारित कर दिये जायेंगे ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने श्री पाटसकर के संशोधन को छोड़ सारे संशोधन क्रम से प्रस्तुत किये तथा वे अस्वीकृत हुए । इसके पश्चात् श्री पाटसकर का संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय:

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ में ३४ से लेकर ४१ पंक्तियों के स्थान में यह रख दीजिये :

(a) for sub-section (1) the following shall be substituted, namely :—

"(1) the advisory Board shall, after considering the materials placed before it and after calling for such further information as it may deem necessary from the appropriate

[उपाध्यक्ष महोदय]

Government or any person called for the purpose through the appropriate Government or from the person concerned and if in any particular case it considers it essential so to do or if the person concerned desires to be heard after hearing him in person, submit its report to the appropriate Government within ten weeks from the date of detention." '

[(क) उपधारा (१) के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जाय :

" (१) सामने रखी गई सामग्री पर विचार करके, उस सरकार से आवश्यक सूचना मंगाने के बाद, या उस सरकार द्वारा सूचना के लिये बुलाए मनुष्य से अथवा उसी व्यक्ति से सूचना लेने के बाद और यदि किसी मामले में आवश्यक समझा गया अथवा वह मनुष्य चाहता है कि उस की सुनवाई हो तो उसे सुनने के पश्चात् निरोध की तिथि से १० सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट संविधित सरकार को देगा । "]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

" खंड ७ और ८ विधेयक का अंग बने " ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ और ८ विधेयक का अंग बना लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

" कि खंड ९ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड १० और ११

इन खंडों पर श्री बी० डी० शास्त्री, श्री एस० एस० मोरे, श्री के० के० बसु, श्री एच० एन० मुखर्जी, श्री विट्ठलराव, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री विट्ठल राव श्री एस० एस० मोरे, श्री के० के० बसु, डा० रामाराव, श्री एच० एन० मुखर्जी, श्री विठ्ठल राव, श्री बी० डी० शास्त्री, श्री विठ्ठलराव, श्री के० के० बसु, डा० रामाराव, और श्री के० के० बसू ने संशोधन प्रस्तुत किये ।

नये खंडों पर श्री नम्बियार, श्री विठ्ठल राव श्री एस० एस० मोरे, श्री मोहन राव, श्री नम्बियार, श्री वी० जी० देशपांडे, जनाब अमजद अली और श्री बी० डी० शास्त्री ने संशोधन प्रस्तुत किये ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव का संशोधन इस प्रकार था ।

पंडित टाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति ५० में "the date on which the said order has been so confirmed "["जिस तिथि को उक्त आदेश की पुष्टि हुई हो"] के स्थान में "the date of detention" [निरोध की तिथि "] रख दीजिये; और

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ६ और ७ में "the date on which it was confirmed under section *11*" [" जिस तिथि को वह धारा ११ के अधीन पुष्ट हुआ था "] के स्थान पर " the date of

"detention "निरोध की तिथि" रख दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह अच्छा होगा कि सारे संशोधन और खंड सदन के सामने रखे जायें जिससे कि सब माननीय सदस्यों को केवल एक बार बोलने का मौका मिले, चाहे जिस खंड अथवा संशोधन पर वे बोलना चाहें।

श्री नम्बियार : धारा ११क के अनुसार किसी भी व्यक्ति का निरोध अधिक से अधिक १२ महीने तक किया जायगा तथा यह अवधि निरोध आदेश पुष्ट होने के दिन से गिनी जायेगी। यदि गृह मंत्री जी की इच्छा है कि १२ महीने से अधिक निरोध न हो तो फिर गिरफ्तार होने की तिथि से ही यह अवधि गिनी जानी चाहिये क्योंकि वास्तविक निरोध उसी दिन से आरम्भ हो जाता है।

जो व्यक्ति पहिले से ही निरुद्ध हैं उन की अवधि १५ महीने से भी अधिक हो जायेगी क्योंकि प्रस्थापित धारा ११ क की उपधारा (२) के अनुसार उनका निरोध १ अप्रेल १९५३ तक किया जा सकेगा। मेरा सुझाव यह है कि उनका निरोध १ अप्रेल १९५३ तक यह निरोध किये जाने से लेकर १२ महिने हो जाने की तिथि में से उस तिथि तक किया जाना चाहिये जो १२ मास से कम हो।

धारा १३ में यह संशोधन प्रस्थापित किया गया है कि निरोध आदेश का अवसान हो जाने पर उसी व्यक्ति का धारा ३ के अधीन फिर से निरोध किया जा सकता यदि नये तथ्यों का पता लग जाय। मेरे अनुसार फिर से तब निरोध किया जाना चाहिये जब निरोध करने के नये कारणों का पता चले।

मैं ने एक अतिरिक्त खंड का सुझाव दिया है। वह संसद् तथा विधान सभाओं के सदस्यों के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय : निरोध के कारण ४ वर्गों में बांटे गये हैं तथा वे धारा ३ में आते हैं यदि नये तथ्यों से निरोध करने के कारणों का पता नहीं चलता तो निरोध नहीं किया जा सकता। कारण बताते समय तथ्य संभवतः न बताये जायें परन्तु तथ्य बताने में कारण बतलाना ही पड़ेगा।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, तेलंगाना में बहुत से व्यक्ति एक दो साल से निरुद्ध हैं तथा वे एक तिथि को छूटने वाले हैं। निरोध में रहने के कारण उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसके आधार पर उन्हें फिर से निरुद्ध किया जाय। पर उन्हें छोड़ते समय नई बातें सामने आ जाती हैं। मान लोजिये भूमि सम्बन्धी कोई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उन को फिर से निरुद्ध किया जा सकता है। परन्तु यदि धारा में 'नई बात' के स्थान पर 'नये कारण' ये शब्द हों तो नया निरोध आदेश नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि २ साल निरुद्ध रहने के कारण उसने स्वयं ऐसा कोई काम नहीं किया है। निरोध का कुछ आधार होना चाहिये। यह पर्याप्त नहीं है कि कोई नई बात उठ खड़ी हुई हो। यदि हमारा अभिप्राय यह है कि नए आधार पर ही नया निरोध आदेश दिया जाय तो 'तथ्य' के स्थान पर 'कारण' रख देना चाहिये।

विधान सभाओं के सदस्यों के बारे में मुझे यह कहना है कि यदि वह निरुद्ध किये गये हों और संसद् या विधान सभा का सत्र जारी हो तो क्या उन्हें सदन में उपस्थित होने दिया जायगा। यह अधिकार तो उन्हें संविधान से प्राप्त है, परन्तु इस का कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिये मैं ने दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। एक संशोधन में कहा गया है कि जो समासद निरुद्ध हों और वे चाहे राज्य विधान-मंडल के सदस्य हों चाहे संसद् के। उन्हें वचन पर मुक्त कर दिया जाना चाहिये जिस से कि वे विधान मंडल या संसद् में अपना कर्तव्य निभा सकें।

[श्री नम्बियार]

मूल अधिनियम की धारा १४ में इस प्रकार का सामान्य उपबन्ध है। यदि सरकार चाहे तो उन्हें मुक्त किया जा सकता है। यह सामान्य खण्ड है। मेरे अनुसार एक विशेष प्रकार का खण्ड बनाया जाना चाहिये जिसमें यह उपबन्ध हो कि जब कभी भी संसद् या विधान-मंडल का सत्र हो तब निरुद्ध सदस्य वचन पर छोड़ दिये जायें। गृह-मंत्री या गृह सचिव की मर्ज़ी पर कुछ न छोड़ा जाय। बिना इस विशेष खंड के उन्हें मुक्त करने के लिये कोई बाध्य न कर सकेगा।

१२ मध्याह्न

यदि आप उक्त संशोधन स्वीकार न करें तो दूसरा संशोधन मैं रखता हूं वह यह है कि संसद् भवन या विधान मंडल भवन तक निरुद्ध सदस्य को पहरे में लाया जाय। दरवाज़े पर पहुंचने पर ही उसकी हथकड़ियें खोली जायें। पर उसे अन्दर जा कर बोलने अवश्य दिया जाय। सारे भवनमें खुपिया पुलिस बैठा दीजिये तथा आवश्यक हो तो मशीन गने रखवा दीजिये पर उसे अन्दर जा कर बोलने तथा अपना कर्तव्य निभाने दीजिये। ये मेरे दो संशोधन हैं। आशा तो नहीं है फिर भी आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी इन पर विचार करेंगे।

इसके पश्चात् श्री वी० जी० देशपांडे ने एक नई धारा १५क को जोड़ देने का संशोधन प्रस्तुत किया और यह कहा।

श्री बी० जी० देशपांडे: उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक यहां यह बताया गया है कि हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों में स प्रिवेंटिव डिटैंशन एक्ट निवारक रोध अधिनियम का प्रयोग अपने प्रतिस्पर्द्धियों को दबाने के लिये किया गया है। यहां पर व त से व्यक्तियों ने बहुत से उदाहरण पेश किये जिन में ऐसे लोगों का स्थानवद्ध किया गया कि जिन का राजनीति से और इस प्रिवेंटि डिटैंशन एक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं था। अब मैं इस के बारे में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुझे मालम है कि एक स्त्री को इस लिये डिटेन किया गया कि उस के पति प्रांतीय संघ के संचालक थे, इस लिये कमला बाई सोने को डिटेन किया गया। यह भी बताया गया कि पार्लिमामेंट सभाओं के सदस्यों को डिटेन किया गया। इस सम्बन्ध में हमारे यहां के गृह मंत्री जी थे, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, उन्होंनें बताया कि प्रिवेंटिव डिटैंशन एक्ट का जो कोई कर्मचारी गलत कार्य करेगा तो वह एनीमी आफ दी रिपबलिक (गणराज्य का शत्रु) है, वह राज्य का शत्रु हैं और उस को उस के अनुसार दंड दिया जायेगा। लेकिन हम ने अभी तक नहीं देखा कि राष्ट्र के शत्रु को दंड दिया गया हो। वह बातें कहने के लिये तो ठीक हैं, लेकिन प्रिविलैज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) की रिपोर्ट आप के सामने आई है और उस से साफ पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह चोजें बताई कि देशपांडे ग्वालियर में था और ग्वालिर में बंठा वह दिल्ली में बगावत मचा रहा था। इस प्रकार की बातें हमारे कर्मचारी करते हैं। यह सब के सामने आई हैं और वाकई जैसा हमारे पूर्व गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था उस के अनुसार कार्यवाई नहीं हुई। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी वह माना गया है कि कहीं कहीं गलतीयां जरूर हुईं। गलतियां जब आप मानते हैं तो गलतियों से जब आप नागरिकों का व्यक्तिगत स्वतंत्रता ले रहे हैं तो आप को पूरी सावधानी रखनी चाहिये, और बिना अपराध के, बिना कानून के, या किसी के दबाव से कोई डिटेन किया जाता है तो उसकी इनक्वारी

और इनवैस्टिगेशन होना अत्यन्त आवश्यक है और मैं समझता हूं कि इस के लिये हमारे गृह मंत्री और कांग्रेस पार्टी भी इस का विरोध नहीं करेगी कि समय समय पर एक ऐसा ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) नियुक्त किया जाए और उस के सामने जितने लोग डिटेंशन में रखे गये हों उन के केसेज रखे जायं जिस से पता लगे कि कितने गलत केसेज़ हैं। पिछले वर्ष भी कई केसेज़ ऐसे थे कि जो ऐडवाइज़री बोर्ड के सामने गये और वहां जा कर उन को छोड़ दिया गया। इसी से पता चलता है कि बहुत से लोग बिना अपराध के पकड़े जाते हैं। इसी के लिए हम पार्लियामेंट की तरफ़ से यह कम से कम मांग करते हैं कि आप हम को जेल में रखते हैं, आप मानते हैं कि गलतियां होती हैं, तो जो कर्मचारी गलतियां करते हैं, उन के लिये उन के ऊपर शासन होना चाहिये। यही हमारी मांग है और मैं आशा करता हू कि यह जो संशोधन है इस को गृह मंत्री स्वीकार करेंगे।

इसके पश्चात् श्री बी० डी० शास्त्री जी ने अपना संशोधन संख्या १७० प्रस्तुत किया तथा उस के पक्ष में यह कहा :

श्री बी० डी० शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, डिटेंशन ऐक्ट (निरोध अधिनियम) पुलिस की मनमानी कार्यवाही के लिये एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। चूंकि यह ला (विधि) की बात है इस लिये क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड (दाण्डिक प्रक्रिया संहिता) के अनुसार पुलिस जो केस अदालत में पेश करती है मुमकिन है कि उस में कुछ ज़िम्मेदारी महसूस करती हो। वह मुकद्दमे एक न्याय विभाग के सामने बड़ी अदालतों तक जाते हैं और इस कारण जो चीज़ ताईद के लिये लानी पड़ती है, अपने गवाह वगैरह लाने पड़ते हैं, उसके लिये काफी प्रमाण अपेक्षित होते हैं। लेकिन जहां डिटेंशन एक्ट का प्रश्न है, वहां यह देखा गया है कि पुलिस कतई कोई ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करती। मैं दावे के साथ इस बात को सप्रमाण रखने को तैयार हूं कि ५० प्रतिशित ऐसे केस होते हैं जिन में निरपराध व्यक्ति डिटेंशन (निरोध) के शिकार होते हैं। यह कहा जाता है कि वारंट (अधिपत्र) जारी करने वाले तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन यह भी कोई युक्तियुक्त चीज़ नहीं है। पुलिस जैसी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देती है, अपने शक के मुताबिक, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वारंट जारी करते हैं। वास्तव में अधिकांश ऐसे लोग पुलिस के शिकार होते हैं कि जिन की पुलिस से रंजिश होती है, जो पुलिस की मनमानी कार्यवाही में रोड़ा अटकाते हैं और जो पुलिस द्वारा जनता पर अत्याचार को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग उस डिटेंशन ऐक्ट के शिकार होते हैं।

मैं जो एक उदाहरण रख रहा हूं उस को जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा कि पुलिस के लोग कहां तक ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, किसी भी व्यक्ति को डिटैन करने के सम्बन्ध में। मिरज़ापुर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक वारंट ईशू करते हैं, "बैजनाथ दुबे, साकिन वैरदहा के नाम पर," और वह वारंट रीवा स्टेट आता है। पुलिस उस वारंट में जो "वैरदहा" गांव था, उसे काट कर "वारही" गांव जोड़ती है, इस लिये कि उसे किसी भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करलेना है जिस का नाम बैजनाथ दुबे हो, चाहे दरअसल वह व्यक्ति हो या नहीं कि जिस के लिये मिर्जापुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वारंट इशू (निकाला) किया है। कोई भी व्यक्ति बैजनाथ दुबेके नाम से मिल जाना चाहिये और वह जेल में भेज दिया जाना चाहिये। उस ने यह ज़िम्मेदारी महसूस नहीं की कि उसे सब से पहले तहसील

[श्री बी० डी० शास्त्री]

में इस बात का पता लगाना चाहिये कि वैरदहा नाम का कोई गांव है या नहीं । अगर दरअसल वैरदहा नाम का कोई गांव नहीं होता तो फिर यह शक कर सकती थी कि दूसरे गांव में हो सकता है कि वह व्यक्ति हो । लेकिन पुलिस के अधिकारी प्रस्तुत अभियोग के सम्बन्ध में कतई तहसील से सम्पर्क नहीं रखते और उस गांव के नाम का पता लगाने के बजाय हो सकता है कि उन्हों ने अपने मातहत पुलिस कर्मचारियों से कहा हो कि भाई जहां दूबे लोगों की बस्ती ज़्यादा हो कम से कम उस गांव का पता लगाओ उन्हें पता लगता है कि वरदी गांव है जहां दुबों की ज्यादा आबादी है । तो वहां पुलिस गई और बेचारे एक किसान को जिस का राजनीति से कोई सम्पर्क नहीं था, मिरज़ापुर ज़िले को जिस ने स्वप्न में भी नहीं देखा था, ऐसे किसान को डिटेन कर लिया । उस के घर में स्त्री बच्चे रोने लगे बेचारा किसान भी रोने लगा, और कहने लगा कि मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि मैं नहीं जानता कि राजनीति किस चिड़िया को कहते हैं, मिरज़ापुर ज़िले को मैं ने स्वप्न में भी नहीं देखा, फिर मुझे आप क्यों पकड़ते हो । लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुना और उस बेचारे किसान को ले गई ।

बाद में जो ठीक बैजनाथ दुबे थे उन को पता लगा कि हमारे नाम के पीछे एक बेचारे किसान को पकड़ा गया है और वह जेल में यातना भोग रहा है । तो उन्हों ने किसी न किसी तरह पुलिस के कानों तक आवाज़ पहुंचाई कि मैं बैजनाथ दुबे हूं और हो सकता है कि मेरे नाम का वारंट हो । अन्त में पुलिस को पता चला तो वह वैरदहा गांव गई और उन बैजनाथ दुबे को गिरफ्तार किया और बहुत परेशानियों के बाद वह बेचारा किसान छूटा । तो पुलिस की जिम्मेदारी का यह नमूना है । जहां पुलिस यह पता नहीं लगाती जब कि उस के पास सारे साधन हैं कि जिन के द्वारा वह आसानी से पता लगा सकती है कि वैरदहा नाम का कोई गांव है या नहीं । तो इस प्रकार की ग़ैरज़िम्मेदारी के बावजूद, उस के कामों पर कहां तक विश्वास किया जा सकता है । क्या आशा की जा सकती है कि वह ज़िम्मेदारी और उत्तरदायित्व को इस डिटेंशन एक्ट में महसूस करेंगी ।

इस लिये मैं अपना संशोधन इस आशय का पेश कर रहा हूं कि जो ऐसे लोग डिटेन किये जाते हैं जिन का कोई अपराध नहीं, कोई जुर्म नहीं, महज़ पुलिस की रंजिश के कारण, पुलिस की मनमानी न होने देने के कारण डिटेन किये जाते हैं, और इस डिटेंशन के सम्बन्ध में एक अरसे तक डिटेंड (निरुद्ध) रहते हैं, महीनों बीत जाते हैं, ऐसे लोगों को कम्पेनसेशन (प्रतिकर) मिलना चाहिये । मैं तो उस दिन देख रहा था कि जब नन्दलाल जी अपना श्लोक पढ़ रहे थे : ''

—''अदण्ड्यान्दण्डयन्राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन् ।
अयशो महादाप्नोति नरकञ्चैव गच्छति'' ।

तो हमारे माननीय मंत्री बहुत पुलकित हो रहे थे । इस का मतलब यह है कि न्यायशीलता उन के हृदय में है । तो वस्तुतः यदि वह न्याय की रक्षा चाहते हैं, और चाहते हैं कि डिटेंशन के शिकार ऐसे व्यक्ति न हों जिन्होंने कोई अपराध न किया हो । उन की यह भावना है । फिर भी पुलिस की निन्दनीय गलती से, सम्भव है, ऐसे निरपराध लोग डिटेन किये जायें और फिर वह बोर्ड के ज़रिये निरपराध सिद्ध हों तो उन्हें उस का कम्पेनसेशन मिलना बहुत ज़रूरी है । जब आज हमारी बेहद उदार सरकार राजाओं को कम्पेनसेशन देने में नहीं हिचकती,

ज़मींदारों को कम्पेनसेशन देने में नहीं हिचकती तो क्या वजह है कि बिला वजह, बिला कारण, जो लोग डिटेन किये जाते हैं उन को कम्पेनसेशन न मिले। मैं इस संशोधन की ताईद में पुनः इस बात को स्पष्ट करना हूं कि उन को कम्पेनसेशन मिलना बहुत आवश्यक है और मुझे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री इस को स्वीकार करेंगे ।

जनाब अमजद अली ने प्रतिकर देने के बारे में अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय कहा :

जनाब अमजद अली : यदि झूठी फरियाद की गई हो तो दाण्डिक प्रक्रिया संहिता की धारा २५० के अनुसार अभियुक्त को न्यायालय द्वारा प्रतिकर मिल सकता है । मैं चाहता हूं कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय न जाना पड़े तथा इस नई उपधारा के अनुसार मंत्रणा बोर्ड को प्रतिकर देने का अधिकार हो यदि उसे विश्वास हो जाये कि उस व्यक्ति का व्यर्थ में निरोध किया गया था। प्रतिकर दिया जाना चाहिए क्योंकि वकीलों, व्यापारियों आदि लोगों को निरुद्ध कर देने से उनकी बहुत आमदनी मारी जाती है ।

मुझे ऐसे मामले मालूम हैं जिनमें व्यक्ति व्यर्थ ही में निरुद्ध कर दिये गये थे। कुछ लोग इसलिये जेल में डाल दिये गये थे क्योंकि मुख्य मंत्री के आगमन पर वे जिले के अधिकारियों के कुशासन की चर्चा कर रहे थे। यदि सरकार की आलोचना न करने दी जाये तो फिर लोकतंत्र का अंत समझिए। भगी हुई औरत को पकड़ कर उसके पति को सौंपने के लिए एक बार निवारक निरोध अधिनियम का उपयोग किया गया था ।

जिन व्यक्तियों का अकारण निरोध किया गया हो उन्हें उतना प्रतिकर मिलना चाहिए जितना मंत्रणा बोर्ड उचित समझे। आशा है कि मेरा संशोधन स्वीकृत कर लिया जाएगा।

इसके पश्चात् श्री मोहन राव ने निरुद्ध व्यक्तियों के शील की रक्षा करने, पत्र-व्यवहार करने और भेंट करने के अधिकार के संबंध में दो धाराएं जोड़ देने का संशोधन प्रस्तुत किया जो बाद में अस्वीकृत हुआ। उन्होंने यह कहा :

श्री मोहन राव : मैं कह चुका हूं कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बहुत से स्त्रियों के साथ खुले आम बलात्कार किया गया है। मेरी बहिन को बहुत यातनाएं दी गईं थीं क्योंकि जांच आयोग के सामने उसने वक्तव्य दिया था कि पुलिस कैम्प में सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उसके साथ बलात्कार किया गया था। रायवैल्लूर जेल में बहुत सी औरतों को नंगी कर के पीटा गया था क्योंकि उन्होंने खुद अपने कपड़े उतारना अस्वीकार कर दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : वैल्लूर में औरतों के लिए अलग जेल है तथा अधीक्षक आदि को छोड़ कर वहां कोई पुरुष नहीं जाने दिया जाता। आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। यदि ये सच हैं तो बड़ी बुरी बात है। यदि माननीय सदस्य के पास विश्वस्त साक्ष्य न हो तो दूसरे मामले न बतलाएं । केवल एक उदाहरण ही यह बताने के लिए पर्याप्त होगा कि परित्राण की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

श्री मोहन राव : अनुसूय्या जिसके कपड़े जबरदस्ती उतरवाए गए थे अभी जीवित है । मैं उसे सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं । ऐसे कई उदाहरण तथा उनके साक्ष्य दिए जा सकते हैं। अतएव प्रार्थना है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुरदास भार्गव ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संविधान के अनुच्छेद २२ पर चर्चा करते समय हमने इस बात पर वाद-विवाद किया था कि निरोध की अवधि क्या हो। अंत में हमने १२ महीने की अवधि तय की थी और यह संसद् के ऊपर छोड़ दिया था। मुझे समझ में नहीं आता कि

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

यह अवधि आदेश के पुष्ट होने की तिथि से क्यों गिनी जाए। निरोध के दिन से ही इसकी गिनती की जानी चाहिए।

श्री नम्बियार ने खंड ११ के विषय में कहा कि प्रतिकूल वातावरण नया तथ्य कहलाएगा। वास्तव में उसे नया तथ्य नहीं माना जायगा। यह कैसे हो सकता है कि ऐसे नए तथ्य के आधार पर किसी मनुष्य को फिर से कारागार में डाल दिया जाए जिसके ऊपर उस मनुष्य का कुछ भी नियंत्रण नहीं है।

कुभावना संबंधी एक खंड रखने के विषय में तर्क सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है। जो व्यक्ति सद्भावना से कार्य करते हैं उनको विधि से संरक्षण मिलता है। उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं चलाया जा सकता। पुलिस जितने मामलों का चालान करती है उसमें से आधे तो छूट जाते हैं। निचले न्यायालय जिन मामलों में सजा दे देते हैं वे ऊपर के न्यायालयों में जाकर छूट जाते हैं। तो क्या सरकार ऐसे सब मामलों में प्रतिकर दे ? हमारा देश इस खर्चे को सह सकेगा ? अमेरिका में भले ही यह संभव हो।

अनुच्छेद २२ निरुद्ध व्यक्ति को वकील की सहायता लेने का अधिकार नहीं देता। खंड ३ में लिखा गया है कि यह अधिकार निवारक निरोध वालों को नहीं मिलेगा। गृहमंत्री जी से केवल प्रार्थना की गई थी कि उत्तर तैयार करने में निरुद्ध व्यक्ति को यह सहायता देने की कृपा की जाए।

यह कहना बड़ा सरल है कि पुलिस ने यह किया और पुलिस ने वह किया तथा स्त्रियों के शील को नष्ट किया गया। जब भी पुलिस के अधिकारी ऐसे अपराध करें तब उन्हें दंड दिया जाए। बहुत से पुलिस के अधिकारियों को दंड दिया जा चुका है। हम नहीं चाहते कि वे बचाए जाएं। पर निवारक निरोध अधिनियम में खास बात कोई ऐसी नहीं है जिसके कारण हम यह उपबन्ध करें कि जो अधिकारी गलती करेगा उसे दंड दिया जाएगा। कई मामलों में गलतियां हो सकती हैं। मालूम नहीं कि विद्यानाथ दुबे के मामले में यह बात जानबूझकर शत्रुता होने के कारण की गई। परन्तु यदि सब मामलों में सरकार को क्षतिपूर्ति देना पड़े तो बड़ी कठिन बात हो जायगी। सरकार वह बोझ न सम्हाल सकेगी।

श्री राघवय्या: श्रीमान् जी यह बड़े खेद की बात है कि निवारक निरोध अधिनियम विधान-मण्डलों तथा संसद् के सदस्यों पर भी लागू होता है। अधिनियम में यह उपबन्ध नहीं है कि वह उन पर लागू न हो।

मेरा निवेदन है कि संसद् तथा विधान-मण्डलों के सदस्यों पर निवारक निरोध अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेवारी रहती है, प्रत्येक विधान पर उन्हें ध्यान देना पड़ता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को विधानों के विषय में बतलाना पड़ता है। यदि वह निरुद्ध कर दिया जायगा तो वह अपने कर्तव्य का पालन न कर सकेगा। अतएव गृहमंत्री से प्रार्थना है कि यह निश्चय कर लेने के पश्चात् कि उसके द्वारा देश की शान्ति और सुरक्षा भंग न होगी, वे सदस्यों को निरुद्ध न करें। फ्रांस में बिना उपाध्यक्ष महोदय अथवा अध्यक्ष महोदय से पूर्व सहमति लिए सदस्य निरुद्ध नहीं किये जाते। ऐसे मामलों में हमें फ्रांस जैसे लोकतंत्रीय देशों का अनुसरण करना चाहिए।

यदि लोकसभा या विधान-मंडल का सदस्य निरुद्ध भी किया जाए तो जब वह बीमार पड़े तब उसके सम्बन्धियों को सूचना भेजी जानी चाहिए। जब उसे फांसी दी जाए तब भी सूचना भेजी जानी चाहिए। फांसी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऐसी बातें

हो रही हैं। निरुद्ध किये गए व्यक्ति मार भी डाले जाते हैं। अतएव मेरा निवेदन है कि संशोधन संख्या १४१ स्वीकार कर लिया जाए। गृह मंत्री जी में इतनी मानवता अवश्य होगी।

श्री के० के० बसू: श्रीमान् धारा ११ क की उपधारा (२) के अनुसार वे निरोध आदेश १ अप्रेल १९५३ तक अथवा आदेश पुष्ट होने की तिथि से बारह महीने तक लागू रहेंगे जो निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम १९५२ के आरंभ होने से पहिले पुष्ट हो चुके थे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग २–३ साल से निरुद्ध हैं वे १ अप्रेल १९५३ तक निरुद्ध रहेंगे। बंगाल में कुछ लोग २॥ साल से अधिक निरुद्ध रह चुके हैं। मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोग छोड़ दिए जाएं। धारा ११ क की उपधारा १ के अनुसार कोई भी व्यक्ति १ वर्ष से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा निवेदन यह था कि फिर से निरुद्ध करने के पहिले उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए मुक्त करना चाहिए जिससे कि उसे भद्र पुरुष के समान व्यवहार करने का अवसर मिले। अभी खंड ११ के अनुसार यह बात स्पष्ट नहीं होती। प्रायः होता यह है कि नये निरोध आदेश निरुद्ध व्यक्ति को जेल ही में मिलते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: सारे संशोधन प्रस्तुत हो चुके।

डा० काटजू: श्रीमान्, जो बातें उठाई गई हैं उन्हें मैं क्रम से लूंगा। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री नम्बियार की इच्छाओं के अनुसार में उस संशोधन को स्वीकार करता हूं जिसमें यह चाहा गया है कि अधिकतम १२ महीने की अवधि पुष्ट होने की तिथि से न गिनी जाकर निरोध होने की तिथि से गिनी जाए। (विपक्ष में हर्ष ध्वनि)। मुझे हर्ष है कि एक बार तो मुझे विपक्ष से बधाईयां मिलीं।

कलकत्ते के मेरे मित्र ने उन लोगों को छोड़ देने की बात उठाई जो निरुद्ध हैं। मैं इस बारे में, विशेषतया जहां तक बंगाल का संबंध है, स्पष्ट बात करूंगा। सदन को मालूम है कि पिछले ३–४ महीनों में निरुद्ध व्यक्तियों के मामलों का बड़ा सूक्ष्म पुनर्विलोकन हुआ है तथा जिन लोगों को राज्य सरकार ने छोड़ना उचित समझा वे छोड़ दिए गए हैं। परिणाम यह हुआ है कि आज केवल वे ही वास्तविक साम्यवादी जेलों में हैं जिनके बारे में यह समझा गया है कि वे भारत के साम्यवादी दल के सदस्य हैं। मेरी समझ में उनकी संख्या बहुत कम है।

बंगाल के साम्यवादी—वे जो भी हों, मैं उनके नाम नहीं बतलाता—जो १–२ साल से अधिक निरुद्ध रह चुके हैं, उनका परीक्षण किया जा चुका है और राज्य सरकार इस मत पर पहुंची है कि उनको मुक्त करना ठीक न होगा। यदि हम यह कहें कि निरोध के १२ महिने बाद उन्हें छोड़ देना चाहिए तो यह राज्य सरकार के निश्चय को एकदम टालना कहलायगा क्योंकि वे तो एक वर्ष से अधिक समय से निरोध में हैं। इसलिए मैंने यह उपबन्ध किया है कि जो लोग १२–१३ मास से निरुद्ध हैं वे १ अप्रेल १९५३ को अर्थात् पुरानी तिथि ३० सितम्बर के छः महीने बाद छोड़ दिए जाएंगे। जो पिछले २ या ३ महिने में निरुद्ध किए गए हैं वे निरोध की तिथि से १२ महिने बाद या १ अप्रेल १९५३ को—जो भी अवधि अधिक होगी—छोड़ दिए जाएंगे। इस पुनर्विलोकन के संबंध में सारे भारत में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए इससे अधिक नहीं किया जा सकता, मैं अधिक से अधिक यही कर सकता था क्योंकि जैसा मैंने कई बार कहा है कि शांति और सुरक्षा स्थापित करने की प्रथम जिम्मेवारी राज्य की सरकारों

[डा० काटजू]

की है, मेरी नहीं । जब उन्होंने प्रत्येक मामले की बड़े ध्यान से जांच कर ली है तो मैं उनके निश्चय को नहीं टाल सकता ।

दूसरी बात प्रतिकर के बारे में उठाई गई थी । सदन को स्मरण होगा कि यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत कुभावना से कोई काम किया जायगा तो मुख्य अधिनियम की पंद्रहवीं धारा में उपबन्ध है । उससे केवल उन अधिकारियों का नियंत्रण होता है जिन्होंने सद्भावना से काम किया है । यदि उन्होंने कुभावना से काम किया है, सद्भावना से नहीं तो उन पर क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जा सकता है । इसके लिए कोई रोक नहीं है । यदि वैसे मामले हों जिनका वर्णन हमारे ग्वालियर के मित्र ने किया है, तो कार्यवाही की जा सकती है । मुझे मालूम नहीं कि उन लोगों को प्रतिकर दिलाने की इतनी चिन्ता क्यों की जा रही है जिनका निरोध सद्भावना से किया गया था जो बाद में छोड़ दिए गये थे क्योंकि फिर यही सिद्धान्त हजारों उन परीक्षण-अधीन लोगों पर लागू होगा जिन्हें जिला-दंडाधीश या न्यायाधीश छोड़ देते हैं और जिन्हें प्रतिकर नहीं मिलता अतः मेरा निवेदन है कि इन दो मामलों में कोई भेद न करें ।

निरुद्ध व्यक्ति की बीमारी के विषय में हम कल पूरी तरह बहस कर चुके हैं । यह विषय राज्य-सरकार का है । वे नियम बनायेंगे । मेरे विचार में उन्होंने यह नियम बना लिया है कि यदि निरुद्ध व्यक्ति बीमार पड़ जाये तो वह जेल से अस्पताल पहुंचाया जायगा तथा उसके सम्बन्धियों को सूचना भेज दी जाएगी ।

उन विधान मण्डलों के सदस्यों के बारे में बड़ा प्रश्न उठाया गया है जो इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध होंगे । उनके साथ क्या व्यवहार किया जायगा यह बात तो बड़े महत्व की है । कुछ समय पहिले विशेषाधिकार समिति में यहां के एक सदस्य के बारे में यही प्रश्न उठा था । समय पर वह प्रतिवेदन सदन के सामने आएगा तब लोगों को उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा । यह बड़ा प्रश्न है, केवल निवारक निरोध तक ही यह सीमित नहीं है । पहली बात हमें यह देखनी है कि जहां तक निवारक निरोध अधिनियम का संबंध है क्या एक नागरिक और विधान सभा के सदस्य म भेद किया जाए । यह प्रश्न यहां नहीं उठाया गया है पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर उठाया जाएगा । ये बातें भी कही गई हैं कि उन्हें पुलिस के पहरे में आने दो वचन पर छोड़ दो तथा यहां आने दो । मेरे विचार में निरोध में रहने के कारण उन्हें मालूम न हो सकेगा कि देश में और उनके निर्वाचन क्षेत्र में क्या हो रहा है अतएव वे शायद वादविवाद में शामिल होकर कुछ विशेष उपयोगी बात न कह सकेंगे । यह बात छोड़ दीजिए । यह स्मरण रखिए कि हम तो उस कार्यवाही की बात कर रहे हैं जो सामान्यतया दाण्डिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की जायगी । १०७ से लेकर ११० तक की निरोधक धाराओं का अभिप्राय अपराधों को रोकना है । एक व्यक्ति जिसने चोरी की वस्तुएं ली हैं उसे इसलिए जेल में डाल दिया जाता है अथवा प्रतिभूति देने के लिए कहा जाता है जिससे कि भविष्य में वह चोरी का माल न ले । उसी तरह डकैत को इसलिए दंड दिया जाता है जिससे कि वह आगे डकैती न करे । अब आप क्या यह कहना चाहते हैं कि यदि अभाग्यवश विधान सभा के किसी सदस्य से प्रतिभूति देने के लिए कहा जाता है और वह नहीं देता है अथवा वह एक वर्ष के लिये विद्रोहात्मक साहित्य फैलाने के अपराध में निरुद्ध कर लिया जाता है तो उसे उन्मुक्ति मिलनी चाहिए चाहे न्यायिक परीक्षण के उपरान्त ही दंडाधीश ने उसका निरोध करने

का आदेश क्यों न दिया हो। आप निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्ति तथा दांडिक प्रक्रिया संहिताओं की निवारक धाराओं के अन्तर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्ति में भेद नहीं कर सकते। इस महत्व-पूर्ण बात पर खंडशः एक धारा में चर्चा नहीं की जा सकती। यदि सदन विधान मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकारों के विषय में उत्सुक है तो यह अच्छा होगा कि हम इसके उन बड़े सिद्धान्तों पर पूरी तरह चर्चा करें जो सब को लागू हों। आपको यह सोचना होगा कि निर्वाचक गणों का यहां प्रतिनिधि उपस्थित रखने का अधिकार, किसी सदस्य की सेवाएं प्राप्त करने का सदन का अधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्रों का अपने चुने गये सदस्य की सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार केवल निवारक निरोध अधिनियम तक ही सीमित हो अथवा उन सामान्य लोगों पर लागू हो अथवा न हो जो दांडिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरुद्ध कर लिए गए हैं अथवा सिद्ध दोष हैं। मान लीजिए कि एक गांव में झगड़ा होता है तथा विधान मण्डल का एक सदस्य गुस्से में किसी को पीटता है तथा उसे ९ महीने की कैद हो जाती है। अब निर्वाचक गण कह सकते हैं कि हमने इस सदस्य को चुना है अतएव हमें इसकी सेवायें मिलनी चाहिए। उसे सदन के भवन तक जाने दीजिए वचन पर छोड़िये पुलिस का पहरा दीजिए और उसे संसद में लाइए। श्रीमान् जी, मेरा निवेदन है कि यह ऐसा प्रश्न है जिस पर बहुत सोचने की आवश्यकता है।

१ अध्याह्नोपरान्त

श्रीमान् जी, अब १ बज गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन मुझे स्वीकार है। दूसरे लोग कृपया दबाव न डालें।

श्री नम्बियार: माननीय मंत्री जी इस बात को अधिनियम में चाहे न रखें पर वे कृपया यह आश्वासन दे दें कि निरुद्ध किए गये विधान मण्डल और संसद के सदस्य वचन पर छोड दिए जाएंगे जिससे कि जब संसद चल रही हो तब वे उसमें आ सकें।

डा० काटजू: यह बात राज्य की सरकारों के ऊपर निर्भर करेगी। ईश्वर जाने वैसे लोग यहां आकर न जाने क्या करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब संशोधनों को मत के लिए रखूंगा। पहिले पंडित ठाकुरदास भार्गव का संशोधन रखूंगा। प्रश्न यह है कि:

(१) पृष्ठ २ पंक्ति ५० में "the date on which the said order has been so confirmed" ["जिस तिथि को उक्त आदेश की पुष्टि हुई हो"] के स्थान में "the date of detention" [निरोध की तिथि] रख दीजिये; और

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ६ और ७ में "the date on which it was confirmed under section 11" ["जिस तिथि को वह धारा ११ के अधीन पुष्ट हुआ था"] के स्थान पर "the date of detention" [निरोध की तिथि"] रख दीजिए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने शेष सारे संशोधन प्रस्तुत किए और वे अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खंड १० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।" खंड १० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खंड ११ विधेयक का अंग बने" प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११ विधेयक का अंग बना लिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

खंड १–(संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ)

श्री एस० एस० मोरे: खंड १ के कुछ संशोधन हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: खंड १ पर पहिले ही चर्चा हो चुकी है ।

प्रश्न यह है कि:

"खंड १ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ विधेयक का अंग बना दिया गया।

शीर्षक और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना दिए गए ।

डा० काटजू: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"संशोधित रूप में विधेयक पारित कर दिया जाए"

श्रीमान् जी, मैं इस संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: आप ३ बजे बोलियेगा ।

अब सदन की बैठक ३ बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक ३ बजे तक के लिए स्थगित हो गयी ।

सदन की बैठक ३ बजे पुनः समवेत हुई

[श्री **पाटसकर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

डा० काटजू: श्रीमान् जी, अब एक बड़ी लम्बी बात समाप्त हो गई है और इस समय मैं विवादास्पद बातों की चर्चा नहीं करना चाहता । इस विधेयक का विश्लेषण करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है न यह कहना चाहता हूं कि हमने क्या क्या परिवर्तन किए, इस अधिनियम को कितना उदार बनाया तथा संयुक्त समिति में तथा इस सदन में हमने कितनी रियायतें कीं । विश्वास कीजिए कि मुझे और इस पक्ष के सदस्यों को और न उस पक्ष के सदस्यों को ऐसा विधान बनाने में कोई हर्ष नहीं हुआ है । ब्रिटिश राज्य के होने पर भी हमें शुद्ध तथा सामान्य न्याय करने की परम्परा का पालन करना सिखाया गया था । यद्यपि हम भारतीयों को राष्ट्रीय सेवा का अवसर न था फिर भी हमें इस बात का गौरव है कि विदेश के अधीन होने पर भी हमने उत्तम विधिवेत्ता और न्यायाधीश उत्पन्न किए और स्वाभाविक न्याय की परम्परा का हमने पालन किया । यही हमारी मांग थी तथा हमारी प्राचीन परम्परा और सभ्यता के अनुकूल भी थी । लगभग एक हजार वर्ष के पश्चात् भारत फिर स्वतंत्र हो गया है और जहां तक भारत गणराज्य का संबंध है मेरे विचार में हमारे राष्ट्रीय इतिहास में पहली बार हमारे देश वासियों ने बिना जाति तथा धर्म के भेदभाव के सेवा का समान अवसर तथा समान स्वतन्त्रता प्राप्त की है । गांधी जी के नेतृत्व में हमने सच्चे और वास्तविक गणराज्य की स्थापना करने का प्रयत्न किया है जिसमें धन, पद और स्थिति का कोई भेद भाव नहीं किया जाता । मुझे निश्चय है कि हम सबकी यह सबसे तीव्र इच्छा है कि जिस स्वतंत्रता को हमने बहुत परिश्रम बड़े प्रयास और कठिनाईयां झेल कर प्राप्त किया है उसकी रक्षा सब तरह से की जाए । दूसरी तीव्र इच्छा यह है कि हम इतिहास से सबक लें तथा किसी भी तरह देश की एकता का नाश न होने दें । यह केवल एक नारा नहीं है अपितु बिलकुल सत्य बात है कि एकता ही में हमारी शक्ति है हमारी शान, हमारा गौरव तथा हमारी उन्नति है । फूट होने से अव्यवस्था फैल जाएगी ।

ये दो बातें हम सबको महत्वपूर्ण हैं । और यदि आजादी और एकता बनी रही तो

वे आर्थिक प्रश्न जिन्हें हम कठिन कहते हैं हल हो जाएंगे। क्योंकि उनको हल करना हमारे हाथ में रहेगा। हम नहीं चाहते कि कोई विदेशी ––चाहे वह कहीं का ही क्यों न हो––हमारी इन समस्याओं को सुलझाए। हम अपने खुद मालिक रहेंगे जिससे कि हम खुद अपने भाग्य विधाता बने रहें। सदन में ऊपरी विरोध दीखता हो पर हम सब एक मन से चाहते हैं कि हमारी एकता और स्वतंत्रता की रक्षा हो और सारी समस्याएं हल हो जायं जिससे कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को स्थायी लाभ हो सके। यह हम सबका उद्देश्य और यही हमारी अभिलाषा है। लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं बड़ी सामान्य बात कह रहा हूं पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून का आधार यही बात है। मैं कह आया हूं कि मैं सूक्ष्म विवेचन न करूंगा। क्या आपको मालूम है कि यदि ऐसा विधान न होता तो प्रधान मंत्री जी से अधिक खुश और कोई न होता। मैं तो छोटा सा आदमी हूं अतएव मैं इसे और ऐसे दूसरे अधिनियमों को समाप्त कर देना चाहूंगा जो वैयक्तिक स्वातन्त्र्य में बाधक होते हैं। पर इस ओर बैठे होने के कारण हमें अपने उत्तर-दायित्व का विचार करना पड़ता है। मुझे संशय नहीं है कि वहां बैठे हुए कुछ कम आयु के सदस्य कभी न कभी इस ओर बैठेंगे। यह बात नहीं है कि यह पक्ष दूषित तथा वह पक्ष पवित्र है। परन्तु हम चाहते हैं कि वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा व्यवस्थित स्वातंत्र्य रहे। यह उस अधिनियम का आधार है। यदि हमें सबका यह आश्वासन हो कि भारत की स्वतंत्रता खतरे में न पड़ेगी तो किसी को भी ऐसा विधान बनाने में खुशी न होगी। २ मास की रियायत करने पर जब हर्ष ध्वनि हुई थी तब मुझे वास्तव में दुःख हुआ था। वास्तविक रियायत तो तब होगी जब ऐसा विधान सर्वथा ही न हो। लोग कानूनों का पालन करें, सत्याग्रह उपवास और नियम भंग, करने तथा धारा १४४ या अन्य धारा तोड़ने की बात न करें। तब हम शांति से रह सकेंगे। हमारी जाति की परम्परा क्या है? मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति देश में गो वध बंद करने के लिए आमरण अनशन कर रहा था। यह हमारे देश की परम्परा तथा हमारी जाति की प्रकृति है। गांधी जी ने इसी को अर्थात् अहिंसा और स्वेच्छा से यातनायें सहकर दूसरों के हृदयों को परिवर्तित करने की विधि को ग्रहण किया था। उसी से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यदि हम इन का पालन करें तो ऐसे विधान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यह विधान आवश्यक हो गया है क्योंकि हम विदेशी सिद्धान्तों का अनुसरण करने लगे हैं। हमें यह जान लेना चाहिए। यह खुली हुई बात है। इसी से हमें खतरा है।

गत दस दिनों की बहस में मैंने खुद हिंसा का प्रश्न उठाया था। दूसरे पक्ष से आरोप लगाये गये थे। एक सदस्य ने हिंसा की फिलासफी बतलाने पर विरोध प्रकट किया था। हम बिलकुल हिंसा नहीं चाहते। हम इसके बिलकुल अभ्यस्त नहीं हैं कि जनता उठ खड़ी हो और किसी को मार डाले। जब आप यह करने की सोचते हैं तब ऐसा विधान बनता है। चाहे कोई भी सरकार क्यों न हो आप यदि जनता को विप्लव करने के लिये कहेंगे तब वह सरकार अपना अवसान देखने के पहिले ऐसा अधिनियम अवश्य बनायेगी। आप उसका औचित्य बताने के लिए और कोई तर्क कर सकते हैं पर मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह बड़ी नम्रता से कह रहा हूं। हमारा प्रयत्न यह है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा बनी रहे चाहे १ साल का निरोध क्यों न करना पड़े। यह कहा जा सकता है कि जब दूसरे व्यक्तियों के हाथों में सत्ता आ जाएगी और देश में दूसरे सिद्धान्त मान्य हो जाएंगे तब एक वर्ष के लिए निरोध न होगा अपितु कुछ और

[डा० काटजू]

हित कर होगा—शरीर को आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। हिन्दू होने के नाते मैं इसका स्वागत करूंगा क्योंकि जीवन ही एक कारागार है और मैं उससे पीछा छुडाना चाहूंगा। (**एक माननीय सदस्य**: यह धर्मातीत राज्य है।) यह आधारभूत बात है। सदन इस पर विचार करे।

यह विधेयक श्री वल्लभ भाई पटेल ने बड़े सोच विचार कर अन्तर्कालीन संसद द्वारा अधिनियमित कराया था। राजाजी ने भी ऐसे ही उद्गार प्रकट किय थे। क्या मुझे इसमें सुख हुआ है ? मैं अन्य उपयोगी काम कर सकता था। आप लोगों ने इस विधेयक पर जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इसपर व्यतीत किया गया सारा समय व्यर्थ गया। आप इसे बड़ा काम समझते होंगे पर इस विधेयक को बनाने को मैं बड़ा नहीं समझता। मैं इसे नम्रता के भाव से देखता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूगा कि हममें एकता आ जाय तथा स्थिति सामान्य हो जाए, तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों का तथा फ़िलासफ़ी का प्रचार कर सके तथा भुखमरी बीमारी, गरीबी आदि की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने सुझाव दे सके जिनसे दूसरों को हानि न पहुंचे। संसद और लोकतंत्र इसी के लिए ही तो हैं। यदि लोग आपकी बातों पर ध्यान दें तथा आपकी विचारधारा पर विश्वास करने लगें तो आप शासन की बागडोर अपने हाथों में लें। परन्तु हम किसी भी प्रकार का आतंक नहीं चाहते। परन्तु हम यह नहीं चाहते कि लोग यह कहने लगें कि या तो आप हमारे कहे अनुसार चलिए, नहीं तो हम तुम को कुछ नहीं करने देंगे।

वादविवाद के दौरान में हमने बहुमत वालों की कठोरता के विषय में बहुत सुना पर अल्पमत वालों की अनीति के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा मालूम होता है कि संसदीय वादविवाद में सारे रचनात्मक सुझाव केवल अल्पमत वाले देते हैं तथा इस ओर के लोग केवल विध्वंसात्मक होते हैं। बात ऐसी नहीं है। मेरे मत में अल्पमत वाले बहुमत वालों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने सिद्धान्त और अपनी इच्छाएं लादने का प्रयत्न न करें। प्रति दिन क्या हो रहा है ? उत्तर प्रदेश के पूर्वीय जिलों की दशा दुर्भिक्ष जैसी ही है। पश्चिमी बंगाल में बड़ा अभाव है। ऐसा होगा ही। हमारा देश बहुत बड़ा है जिसमें ३६ करोड़ लोग रहते हैं। हमें ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए कि मानसून की वर्षा एक रूप से सारे देश में ठीक हो। कहीं न कहीं कुछ तो होगा ही और उसकी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें शिक्षा, औषधि आदि सब बातों का प्रबन्ध करना है। यह हम तब कर सकते हैं जब देश में शान्ति हो, एकता हो और स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना हम अपना प्रबंध खुद नहीं कर सकते।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरे विषय में दूसरी ओर से मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। हो सकता है कि मैं बहुत भावुक हूं, पर अब वह बात समाप्त हो चुकी है। केवल एक बात यह है कि पदाधिकारियों और राज्य की सरकारों के विषय में जो कुछ कड़ी बातें कही गई हैं वे नहीं कही जानी चाहियें थीं। राज्य की सरकारें हमारी महत्वपूर्ण साथी हैं। (**एक माननीय सदस्य**: आपकी।) यह प्रश्न नहीं है कि वहां कांग्रेस की सरकारें हैं। अन्य सरकारों की भांति पेप्सू सरकार भी हमारे सहयोग की पात्र है। देश में शान्ति स्थापित करने की उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी रहती है।

पदाधिकारी भी अपने ही हैं। यह न्याय्य नहीं है कि हम हर दम उनकी भर्त्सना करें और उनके दोषों को बढ़ा चढ़ा कर कहें। इसको

प्रतिक्रिया क्या होगी ? यदि आप उनकी भर्त्सना करते जाएंगे तो उनके मनोबल का क्या हाल होगा ? जिला के दंडाधीश, पुलिस के अफ़सर और ऊंचे नीचे पद वाले प्रत्येक अधिकारी की इस स्वतंत्र भारत में बड़ी जिम्मेवारी है ।

श्री **एस० एस० मोरे**: शक्ति में आने के पहिले क्या आपने उनकी भर्त्सना नहीं की थी ?

डा० काटजू: मेरे ऊपर जिम्मेवारी है ।

दशाएं असामान्य हो चुकी हैं । भारत छोड़ते समय अंग्रेज़ कुछ पदाधिकारी छोड़ गए । हम सब की सहमति से पाकिस्तान बना । उन्होंने (डा० मुखर्जी) भी सहमति दी थी ।

डा० एस० पी० मुखर्जी: पाकिस्तान के लिए नहीं ।

डा० काटजू: कोई बात नहीं । उन्होंने यह नहीं किया । वे बंगाल गए और कहा कि विभाजन कर दीजिए । अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता । पर विभाजन का परिणाम यह हुआ कि यहां से बहुत से पदाधिकारी चले गए । यहां जो रह गए उन पर बड़ा उत्तरदायित्व पड़ा । कुछ लोग अनुभवी नहीं थे । सरदार पटेल और प्रधान मंत्री जी जैसे महान् नेता संचालन करने वाले थे । नीचे के लोग काम करने वाले थे उन्होंने शायद गलतियां की हों । मैंने कुछ सदस्यों से यह कहते हुए सुना कि वे कांग्रेस समितियों के आदेशों का पालन करते हैं । वे कठोर तथा आततायी हैं । यह कहा जा सकता है कि बार बार, लगातार उनकी भर्त्सना करने के कारण संभव है कि आपके जिला दंडाधीश तथा पुलिस के पदाधिकारी समय पर अपने उत्तरदायित्व को सम्हालने का साहस न कर सकें । आप चाहते हैं कि वे खुद अपने जिम्मेवारी पर काम करें । आप चाहते हैं कि समय पर वे अपना कर्तव्य कर सकें तथा जिम्मेवारी सम्हाल सकें । मैं कहूंगा कि आपका वैसा कहना उन्हें बहुत बुरा लगा है । आप उन लोगों को अर्थात् मंत्रियों की आलोचना तथा भर्त्सना कर सकते हैं जो वहां हों ! वे यहां नहीं हैं और अपना बचाव नहीं कर सकते । बहुमत दल के सदस्यों के ऊपर भी इसकी जिम्मेवारी है । आप उन्हें भी जितना चाहें भला-बुरा कहें परन्तु पदाधिकारियों को कुछ न कहें क्योंकि वे यहां नहीं हैं और जवाब में कुछ नहीं कह सकते । मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहना चाहता ।

ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि सब धर्म के लोगों में बुद्धि दे कि वे खुद को पहिले भारतीय समझें तथा और बाद में कुछ और; तभी हम स्वतंत्र रह सकेंगे. देश में शान्ति होगी तथा हमारी एकता बनी रहेगी । इसके बाद हम अपने मन के अनुसार मिल कर प्रयत्न कर दैनिक समस्याओं का हल कर सकेंगे । इसी भाव से यह विधेयक बनाया गया था ।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि मैंने फ़रवरी में वायदा किया था । मैं इसे मानता हूं । एक प्रकार से मुझे इसका अनुभव नहीं है । मुझे वह वचन नहीं देना चाहिए था । चाहिए यह था कि मैं कह देता कि यह विधेयक १२ महीने अथवा १२ वर्ष के लिए बनाया जा रहा है ! तब इस पर एक ही दिन छोटा सा वादविवाद हुआ होता । पर मैंने गलती की । मैंने इस को कम कठोर बनाने की कोशिश की । हम इसे नहीं चाहते । हमें इससे घृणा है । पर वह बात तो अब समाप्त हो गई है । मैं चाहता हूं कि सदन उस भाव से विचार करे तथा शेष दो घंटे में उसकी प्रशंसा करे अथवा बुराई करे । पर मुझे आशा है कि अगले वर्ष तक सरकार सारी स्थिति पर विचार करेगी । संभव है कि विदेशी. आंतरिक और अन्य राजनैतिक दलों संबंधी बातें सुधर जाएं तथा विभिन्न समस्याओं पर उनका दृष्टिकोण ऐसा बदल जाय कि भारत सरकार कह सके कि हमें इस विधान की

[डा० काटजू]

आवश्यकता नहीं है । हम इसका उपयोग न करेंगे । यदि उस समय मैं यहां हुआ तो मुझ से ज्यादा खुश और कोई न होगा । पर वैसा करने में मेरी सहायता कीजिए । मुझे आशा है कि मुझे आपका सहयोग मिलेगा ।

श्री एस० एन० दास : (दरभंगा मध्य) : सभापति महोदय, जब से यह नजरबन्दी का कानून इस संसद् में विचारार्थ उपस्थित हुआ है और इस संसद् के सदस्यों ने इस पर पक्ष में या विपक्ष में विचार प्रकट करना शुरू किया है, तब से मैंने बराबर इस संसद् में रह कर उन को समझने की कोशिश की है । यद्यपि इसके पहले मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका नहीं मिला फ़िर भी आज मौका मिलने पर सब से पहली बात इस सभा के सामने मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विचार करते समय इस सभा में एक कृत्रिम वातावरण पैदा हो गया था । हम सभी, चाहे वह पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, इस सभा में जनता के द्वारा इस उद्देश्य से भेजे गये हैं कि देश की परिस्थिति का ख्याल रख कर, देश की अवस्था का ख्याल रख कर जनता के हित को सदा सामने रखते हुए, जो भी हम उचित समझें उस के सम्बन्ध में कानून बनावें । लेकिन मुझे यह अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जो वाद विवाद यहां हुआ उस में अधिकांश सदस्यों ने इस मंच को इसलिये इस्तेमाल किया कि एक पार्टी बहुत गन्दी है, खराब है, प्रतिक्रियावादी है, जनता के हित को मद्देनज़र न रख कर काम करती है और सारी प्रतिक्रियावादी जितनी शक्तियां हैं उनकी वह प्रतिमूर्ति है, और साथ ही साथ मुझे यह कहने में भी कुछ हिचकिचाहट नहीं है कि इस तरफ़ के बहुत से सदस्यों ने इस मौके पर अपने विपक्षी को, चाहे वह उस लांछन के योग्य पूरे तौर पर हों या न हों, बराबर इसी रंग में रंगने की कोशिश की है कि वह हिंसा के अवतार हैं, देश में तमाम उपद्रव उन्हीं की वजह से हो रहे हैं और इस कानून का बनाया जाना इसलिए जरूरी है कि वह जनता में उपद्रव कराना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि अगर इस बात को हम यहां मान लें कि जितने भी सदस्य विरोध पक्ष के यहां आये हैं वह सब हिंसावादी हैं और इस विधान में उन का पूरा विश्वास नहीं है तो मुझे इस परिणाम पर पहुंचना होगा कि जनता ने अगर उन को हिंसावादी समझ कर के वोट दिया है तब तो इस देश में लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं । लेकिन मेरा ऐसा ख्याल नहीं है ।

मैं समझता हूं कि जो विरोधी पक्ष के लोग आये हैं चाहे उन के सिद्धान्त से हमारा मतभेद क्यों न हो, फिर भी इस बात को मानने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि वे कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनमें जनता रस लेती है और इस लिये उन्हें यहां भेजा है । इस लिये जब हमें किसी बिल पर, और खासतौर से इस प्रकार के बिल पर, विचार करना हो तो किसी पार्टी के मत का ख्याल न कर के जनता के हित को ख्याल में रख कर विचार करना चाहिये था । इस कारण इस संसद में जो अधिकांश भाषण हुए उन से मुझे दुःख हुआ । यह बात सही है कि इस तरह का कानून, कि जिस कानून की वजह से व्यक्ति के अधिकार का, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, का हनन हो, ऐसे कानून को देख कर किसी भी प्रजातंत्र के प्रेमी को दुःख हुए बिना नहीं रह सकता । कोई भी प्रजातन्त्र का मानने वाला और खास कर के जो विधान हम ने अपने यहां हिन्दुस्तान के लिये कबूल किया है और जैसे ऊंचे आदर्श हमने उस में रखे हैं और जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये हमने संरक्षण रखा है, उसको देखते हुए किसी भी माननीय सदस्य को खुशी नहीं होगी कि

ऐसे समय में इस सभा को इस तरह का बिल पास करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी महसूस करते हैं कि प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को लेकर हम किसी खाली जगह में काम नहीं करते। हम तो इस दुनिया में रहे हैं कि जहां चारों तरफ आज संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दे रहा है। जहां सब के सब रहने वाले कानून को पूरे तौर से मानने वाले नहीं हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहां प्रजातांत्रिक सिद्धान्त के पक्ष में करोड़ों हैं तो विपक्ष में भी कुछ लोग जरूर हैं। इस तरह के कानून की जिन्दगी को बढ़ाने के लिए हम जनता के द्वारा चुनी हुई संसद् के सामने उपस्थित करेंगे। उस सरकार के जो हमारे माननीय नेता हैं, उन्होंने और सरकार ने पूरी तरह से गौर कर के इस बात को विचारा, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि अगर इस तरह का कानून आज संसद् में पेश कर रहे हैं तो यह हमारे लिये हिम्मत का काम है, तो सचमुच में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और उस के वह नेता, जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता में, विश्वास करते हैं, उन के लिये यह कानून लाना हिम्मत का काम है। वह सरकार जो अधिकार में थी, वही सरकार चुनाव में जाती है, अपने तमाम विरोधियों को मुकाबला करने का मौका देती है और उस मुकाबले के बाद जनता के द्वारा चुनी जा कर बहुत बड़ी तादाद में यहां आती है। जब वह इस कानून को इस लिये पेश करती है कि चूंकि वह समझती है कि हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र की रक्षा के लिये, समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये यह कानून आवश्यक है, तब विरोधी पक्ष के लोग जिन्हें जनता के द्वारा चुने जाने का अधिकार है, वह हल्के तौर पर, हंसी और मजाक उड़ाते हुए इस सरकार को प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रतिरूप बता कर यह कहें कि यह कानून लाने का हक इस सरकार को नहीं है, यह प्रजा को दबाने का कानून है, यह राजनीतिक पार्टियों को दबाने का कानून है मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य अपने चुनाव को जितना महत्व देते हैं, इसी तरह जो सैकड़ों की तादाद में चुन कर इधर के लोग आये हैं, उन के महत्व की तरफ ध्यान नहीं देते। सभापति महोदय, जहां बहुत मतान्तर के लोग रहते हैं और इस बात को मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस देश में गांधी जैसा महान् व्यक्ति गोली का शिकार हो उस देश में यह मान लेना कि यहां साधारण अवस्था है, मैं नहीं समझता कि यह किसी भी व्यवस्थापक, कानून बनाने वाले के लिये शोभनीय है। हम जिस हिन्दुस्तान में रह रहे हैं, जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने बताया था कि, यद्यपि हम स्वतन्त्र हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, निर्माण के काम में लगे हुए हैं, फिर भी आज समाज में विध्वंसकारी शक्तियां, कहीं जमीन के ऊपर, और कहीं जमीन के अन्दर, नीचे विद्यमान हैं। मुझे यहां यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होता कि यदि महात्मा गांधी गोली का शिकार न हुए होते तो हिन्दुस्तान में स्वराज्य के जिस बच्चे का जन्म हुआ था, उस का हनन हो गया होता। महात्मा गांधी ने अपने खून से इस हिन्दुस्तान के स्वराज्य के नये बच्चे को बचाया और आज इस बात का हमें गौरव है कि हम इस छोटे स्वराज्य के बच्चे की हर तरह से रक्षा कर के, बचा करके, आगे बढ़ायें, ताकि यह देश के लिये और दुनिया के लिये भी कल्याणकारी हो।

इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार आज अधिकार में है, वही सरकार चुनाव के पहले अधिकार में थी और चुनाव में जाने के पहले उस ने कहा कि इस तरह के कानून की आवश्यकता हम समझते हैं। लेकिन चूंकि आम चुनाव होने वाला है और जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलेगा, इस लिये जब हम अधिकार में आयेंगे तो फिर इस सभा में बराबर कई

[श्री एस० एन० दास]

सदस्यों ने जो हम यहां बहुमत में आज इधर उधर बैठे हुए हैं, उन की तरफ हिकारत की नजर से बहुत से रिमार्क्स किये हैं, खास कर हमारे माननीय सदस्य खंडेकर साहब वह इस समय नहीं हैं, वह जब बोलते हैं तो कहते हैं कि यह सदस्य जितने यहां बहुमत के पक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने सोचने का पूरा भार माननीय मंत्री को दे दिया है । यह सोचने समझने वाले जीव नहीं हैं । जैसा हमारे नेता कहते हैं हम आंख मूंदकर दिमाग बन्दकर के वैसा ही करना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह उन की उदारता है कि वह कहते हैं कि इतने सैकड़ों आदमियों के सोचने का भार एक आदमी को दे दिया । क्या वे किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं ? जिस समय इस सरकार ने इस कानून को यहां लाने के लिये सोचा उस के पहले और उसके बाद भी हर एक सदस्य को इस पर विचारने का मौका मिला है । अगर हम समझते कि देश की अवस्था वह नहीं है कि जिस में इस तरह का कानून पेश करना चाहिये तो एक ही नहीं, सैकड़ों मेम्बर यहां मौजूद हैं जो हमारे नेता के मत का विरोध कर सकते थे । लेकिन जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम यहां आ कर सोचते हैं । हम ने पहले भी देखा और आज भी देखते हैं और जो विधेयक जो कानून हमारे गृह मंत्री ने हमारे सामने पेश किया उस को सब समझते हैं । और बावजूद इस बात के कि किसी भी प्रजातन्त्र के प्रेमी के लिये किसी भी प्रजातान्त्रिक सरकार के लिये इस तरह का कानून लाना दुःख का विषय है, फिर भी देश के सुख के लिये, देश में शान्ति और व्यवस्था के लिये जरूरी है कि थोड़ी सी बड़ाई का बरतावा हम करें । इस लिये हम ने और हमारी तरफ से हमारे गृह मंत्री ने इस कानून को पूरे विश्वास के साथ उपस्थित किया है । जब हम आम जनता में चुना लिये गये थे तो जनता जानती थी कि हम ने नजरबन्दी का कानून पहले पास किया था और और वह जनता जानती थी कि हम चुनाव लड़ने आये हैं तो यह तय करके आये हैं कि हम बहुमत में जायेंगे तो संसद् में इसी तरह का कानून पास करेंगे । तो इस तरह का कानून पेश करते हुए हमारे पीछे जनता का समर्थन है ।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बिल पर यह दलील दी गई कि नजरबन्दों की तादाद बहुत घट गई है । और इस वजह से अब इस तरह के कानून की कोई जरूरत नहीं है । मैं अपने साथी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कोई भी कानून हम बनाते हैं उस के पीछे दो विचार होते हैं । एक विचार यह होता है कि जनता में इस प्रकार की भावना का प्रकाश हो कि वह स्वयं उन कामों के करने से बाज आये कि जिनको रोकना हम कानून से चाहते हैं । एक विचार तो यह है । दूसरा काम यह होता है कि जो इस तरह का काम करने वाले हैं कि जिन कामों को हम रोकना चाहते हैं तो अगर वह इच्छा से न करें, मन से न करें, तो कम से कम डर से करें । मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून को लागू करने के बाद देश की स्थिति में अवश्य सुधार हुआ है और नजरबन्दों की तादाद कम होने के साथ साथ ऐसे कामों के करने वाले भी कुछ कम हो गये हैं । लोग डर के मारे रुक गये हैं । इस लिये कानून की एक मंशा यह होती है कि कानून की किताब में यह बातें रहनी चाहियें कि बहुत से लोग जो कानून की वजह से ऐसे काम कर सकते हैं कि जो समाज के अहित में हों तो उन को डर रहे ।

मेरा ख्याल है कि देश में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अगर आजादी मिल जाये, स्वतंत्रता मिल जाये, सजा का डर न रहे, और नजरबन्दी का डर न रहे, तो वे स्वेच्छापूर्वक इस देश के न्दर ऐसी स्थिति लाने में नहीं

हिचकेंगे जिस से कि देश का कल्याण होने वाला है। इसलिये इस कानून के रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं यह समझता हूं और जैसा कि इस सदन में बहुत से सदस्यों ने पक्ष के और विपक्ष के यह कहा कि इस कानून का अमल और व्यवहार जैसे ठीक ठीक और सही मानों में होना चाहिये, वैसा ठीक ठीक और सही मानों में नहीं हुआ है और इस के विषय में हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने भी अपने भाषण के सिलसिले में कहा कि हो सकता है कि इस तरह की गलती हुई हो। इस मौके पर जब कि हम इस कानून को पास करने जा रहे हैं, एक सदस्य की हैसियत से मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहूंगा कि जिस तरह से जनता में सभी लोग कानून के मानने वाले नहीं हैं, उसी प्रकार से सभी सरकारी कर्मचारी देवता नहीं हैं और सभी सरकारी कर्मचारी जिन को अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से करना चाहिये लेकिन अक्सर देखा गया है कि वे ऐसा नहीं करते, इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि जब सरकार इस तरह का कानून इस संसद् के सामने रखती है और देश की वर्तमान अवस्था में उस कानून को जरूरी बता कर उसे पास कराना चाहती है, उस समय सरकार का यह जबर्दस्त कर्तव्य हो जाता है कि वह सदा जागरूक रहे और सदा इस बात को देखती रहे कि इस कानून का दुरुपयोग न हो, और वह अधिकारी, जिन पर इस कानून के अमल करने की जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्य को सही माने में, सही आदमी के प्रति और ठीक समय पर पूरा करते हैं, ऐसा न हो जिन्हें इस कानून के लागू करने का अधिकार दिया गया है, वह अपने कर्तव्य को ठीक तरह से न निबाहें।

श्री सारंगधर दास: क्या भाषण का समय सीमित करना आवश्यक होगा ?

सभापति महोदय: मैं इसके बारे में सोच रहा था। आरंभ में समय सीमित करना मैं ने ठीक न समझा। आपने केवल दस मिनट भाषण दिया है।

श्री सारंगधर दास: माननीय सदस्य ने लगभग २० मिनिट ले लिए हैं।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, मैं थोड़े ही समय में दो, एक मिनट के अन्दर खत्म कर दूंगा। मैं कह रहा था कि हमारी सरकार जिस के कहने से यह कानून यह सभा पास करने जा रही है, उस कानून के बर्तने में पूरे ऐहतियात से काम लेगी और इस बात की सावधानी रखेगी कि जो उस कानून को अमल में लाने वाले हैं, वह उस कानून का दुरुपयोग न करें। इस विषय पर इस सभा में जो बादविवाद चला, उसके दौरान में बराबर इस बात की आशंका प्रकट की गई कि यह पार्टीज विशेष और ग्रुपस् (समूह) के खिलाफ इस्तेमाल होगा, बावजूद इसके कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री तथा और सदस्यों न इस बात पर बराबर जोर दिया कि यह कानून किसी पार्टी के खिलाफ या विचार प्रकट करने के खिलाफ इस्तेमाल करने का विचार नहीं है। हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, उन के मन में इस बात का डर बना हुआ है कि यह यहां पर बहुमत में हैं, और वह सब विरोध को समाप्त कर के भारत में अपना निर्बाध राज्य, एकछत्र राज्य हमेशा के लिये कायम करना चाहते हैं और वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता, वह विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता को सहन नहीं करते, इस प्रकार की जो एक आशंका उन के मन में है उस का तो निराकरण हमारे काम से ही होने वाला है, समय ही इस बात को प्रमाणित करेगा कि उन की यह आशंका ठीक सिद्ध हुई, निर्मूल साबित हुई। बार बार गृह मंत्री व प्रधान मंत्री ने इस सभा को वचन दिया है कि यह कानून किसी पार्टी के

[श्री एस० एन० दास]

खिलाफ नहीं बर्ता जायगा, यह तो कुछ व्यक्तियों के खिलाफ अमल में लाया जायेगा जो समाज और देश के हित में खतरनाक सिद्ध होंगे, अगर इस पर भी विरोधी पक्ष के दिल में कोई आशंका बनी रहती है, तो फिर इस भय का निराकरण अगले एक वर्ष में ही हो जायेगा । और वे इस कानून को जिसे संसद् पास करने जा रही है अपने विरोध में न पायेंगे । अन्त में, मैं हर सदस्य से और विपक्षी सदस्यों से सरकार के साथ इस विषय में सहयोग देने की प्रार्थना करूंगा और मुझे पूरी आशा है कि वे सरकार के साथ पूरा पूरा सहयोग करेंगे ।

बहुत से सदस्य बोलना चाहते थे परन्तु केवल दो घंटे शेष बचे थे अतएव सभापति महोदय ने आरंभ के भाषणों का समय १५ मिनट तथा बाद के भाषणों का समय १० मिनट निश्चित किया तथा आश्वासन दिया कि सब वर्गों के लोगों को बोलने का अवसर दिया जायगा ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं इस सारे विधेयक का विरोध करता हूं । गृह मंत्री जी ने सुंदर भावनाएं व्यक्त की हैं तथा सारी स्थिति हिन्दू दृष्टिकोण से देखी है इस के लिये पहिले मैं उन को बधाई देता हूं । उन्होंने हिन्दू महासभा के नेता वी० राचचंद्र शर्मा की बात की जो गोहत्या बंद कराने के लिये उपवास कर रहे हैं । मालूम होता है कि गृहमन्त्री जी को यह बात जच गई है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । अगले सत्र में गोवध बन्द करने के लिए संभवतया विधेयक बनाएं । उस के बाद उन्होंने पाकिस्तान बनने की बात का जिक्र किया । उस के बनाने में हिन्दू महासभा बिल्कुल सहमत न थी । इस मामले में मैं ३ जुलाई १९४७ को गिरफ्तार कर लिया गया था । पाकिस्तान इन्हींने बनाया है तथा सारी आपत्तियां इन्होंने खड़ी की हैं । अब ये चाहते हैं कि बिना परीक्षण किए लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार इन्हें दिया जाए । श्रीमान्, हम भी देश में शान्ति और सुरक्षा चाहते हैं । हम भी एकता और स्वतंत्रता के पक्ष में हैं । विधि-विडम्बना तो यह है कि देश के टुकडे कर डालने वाले ही देश में एकता की बातें करें । हमारा क्या अपराध है ? हम अखंड भारत का प्रचार करते हैं इसलिए यह अखंडता का नारा लगाने वाले हमें कारागार में डालेंगे । सरकार के पास धारा ३०७, ३०२, १४४, १०७ और ११० के अंतर्गत अत्यधिक शक्ति है पर वे कहते हैं कि बिना इस विधान के वे शांति स्थापित नहीं कर सकते यदि उन धाराओं से काम नहीं चलता तो क्या इस विधान में कोई जादू है कि शांति स्थापित हो जाएगी? अशांति तो इन के ही कारण पाकिस्तान बनाने से तथा दमन के लिए निवारक निरोध अधिनियम का उपयोग करने से हुई थी । अब तो स्थिति आप से आप सामान्य और शांतिमय हो गई है । ये संविधान का नाम भी लेते हैं । यह दूसरी विडम्बना है । इन के अनुसार बिना परीक्षण के गिरफ्तार किया जाना ही भारतवासियों का मूलभूत अधिकार है । यही इन्होंने हमें दिया है ।

गृहमंत्री जी की यह आशा व्यर्थ है कि यह अधिनियम समाप्त किया जायगा । यह तो तब तक लागू रहेगा जब तक इस दल को सारी शक्तियां हथियाने की इच्छा रहेगी । यह दल तो तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहा है । वे दूसरों पर हिंसावादी होने का आरोप लगाते हैं । वे दूसरों पर साम्प्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं पर अनजाने में वे खुद कह गए कि वे इस को हिन्दू दृष्टिकोण से देख रहे हैं । इस देश में साम्यवादी हैं पर किस देश में साम्यवादी नहीं हैं ? १८० वर्ष से इसके सिद्धान्तों का प्रचार किया जा रहा

मारे प्रधान मंत्री ने ही इस देश में इस को

आरंभ किया है । सब लोकतंत्रीय देशों में साम्यवादी हैं और वहां हिंसा का दमन किया जा सकता है, फिर हमारे देश के लोगों की प्रकृति ही शांतिप्रिय तथा कानून मानने की है । वे अहिंसा में विश्वास नहीं करते । ऐसे शांतिप्रिय लोगों के लिये बिना किसी विशेष बात के होते हुए इस विधेयक की क्या आवश्यकता पड़ी ? मालूम होता है कि सत्ता का आनंद चख लेने के पश्चात् ये और अधिक सत्ता तथा शक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं । पिछले चुनाव में ५० प्रतिशत मत इनके विरुद्ध पड़े थे । इसलिए अपना अधिकार बनाए रखने के लिए ये इस विधान का उपयोग करना चाहते हैं । मैं इस विधान का विरोध करता हूं ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय: आप ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है इस के लिये मैं आप का आभारी हूं । हमारे माननीय गृह मंत्री जिस योग्यता से, जिस सहनशीलता से और जिस शान्ति से इस बिल को इस स्टेज पर लाये है उस के लिये मैं उन का अभिनन्दन करता हूं ।

वास्तव में जो कानून पिछले सालों से यहां रायज था उस पर काफी विचार करने के बाद उस को हमारे गृह मंत्री महोदय ने हाउस के सामने उपस्थित किया और उस के बाद जब वह प्रवर समिति में गया तो प्रवर समिति में भी उस में काफी सुधार हुआ और उस के बाद जब बिल फिर सदन के सामने आया तो माननीय गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि एक वर्ष के बाद फिर वह नये आंकड़ों के साथ, नये तथ्यों के साथ नई परिस्थिति से हाउस को अवगत करते हुए अगर इस बिल को आगे बढ़ाने की जरूरत हुई तो फिर हाउस के सामने आयेंगे । तो इस प्रकार से इस में जो कुछ भी थोड़ी बहुत खामियां हैं वह भी दूर कर दी गई ह । और इस बिल को अधिक से अधिक उदार रूप में पास करने के लिये उन्होंने हाउस से आग्रह किया है । लेकिन मुझे बहुत नम्रता से हाउस के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है: अगर एक साल के बाद फिर इस बिल की आवश्यकता भी हुई, माननीय गृह मंत्री कहें कि इसे और भी आगे बढ़ाया जाय तो इस की बहुत कुछ जिम्मेदारी माननीय गृह मंत्री पर या कांग्रेस पार्टी पर नहीं बल्कि उस की अधिकतर जिम्मेदारी हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्यों के ऊपर होगी ।

माननीय सभापति जी, इस बिल के सम्बन्ध में जो कुछ बातें कही गई थीं उन में से एक दो को सुन कर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ । हमारे विद्वान सदस्य माननीय श्री चटर्जी ने तो यहां तक कहा कि जो यह बिल सामने लाया जा रहा है तो जब रौलट ऐक्ट आया था तो क्या वह ऐसा ही नहीं था ? क्या उस के इतिहास को भुला दिया गया कि सारे देशव्यापी हड़ताल हुई, प्रदर्शन हुए, सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग हुआ ? कांग्रेस का एक लम्बा इतिहास था, क्या कांग्रेस पार्टी उस को भूल गई कि वैसा ही कानून आज हमारे सामने ला रही है । वह एक विद्वान वकील हैं, सफल वकील हैं, कमजोर से कमजोर मुकद्दमे को बहुत अच्छी तरह अदालत के सामने रख सकते हैं । जब मैं ने उस को सुना तो मालूम हुआ कि वह कमजोर मुकद्दमे को कितनी अच्छी दलील के साथ रख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के विचार के बाद मालूम हुआ कि उस दलील में कोई तथ्य नहीं है । वह बात यहां लागू नहीं हो सकती है । अगर एक शस्त्र के लिये कहा जाय कि वह बहुत बड़ा शस्त्र है, वह गला काट सकता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, पर जब उसी शस्त्र का प्रयोग किसी आदमी की बीमारी को दूर करने के लिये जो कि

[श्री राधेलाल व्यास]

सेप्टिक (पूयिक) हो जाय, किया जाय तो उस शस्त्र के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह खराब शस्त्र है । रौलट ऐक्ट के समय यहां पर एक विदेशी हुकूमत थी लेकिन आज यहां का शासन आप के हाथों में है, आप के देश की हुकूमत है वह जो कुछ करते हैं उस से देश में अमन रखना चाहते हैं देश की शान्ति की रक्षा के लिये, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये, देश के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, देश के हित में, अगर वह इस का प्रयोग करना चाहते हैं और योग्य और सफल प्रकार से कर रहे हैं, उस के लिये यह कहना कि रौलट ऐक्ट ही की यहां के शासन की नीति है यह बहुत बड़ी भूल होगी और मैं समझता हूं कि यह यहां पर लागू नहीं होता ।

हमारे माननीय प्रोफैसर मुखर्जी के कहा था कि गांधी जी की एक अमरीकन से बात हुई तो उन्होंने अमरीकन से कहा कि अगर इस तरह की कोई चीज अमरीका में हो तो सारे अमरीका में सत्याग्रह करना चाहिये और उस की खिलाफवर्जी करनी चाहिये । यह सुन कर मुझे एक कहावत याद आ गई और मुझे मुखर्जी साहब माफ करेंगे मैं उन के लिये यह नहीं कहना चाहता । हां तो कहावत यह है कि "बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद" । जिन व्यक्तियों ने गांधी जी की विचार धारा का रसास्वादन नहीं किया, जिन्होंने उनके दर्शन नहीं किये, जिन्होंने कभी गांधी जी की विचार धारा का अनुभव नहीं किया उन का गांधी जी की विचार धारा की दुहाई दे कर समझाना कि हम आज गांधी जी की विचार धारा का पालन नहीं कर रहे हैं, कहां तक ठीक है ? गांधी जी की विचार धारा में सत्य भी था, उस में अहिंसा भी थी, **उस में छल, द्वेष** नहीं था । वह शासन को किसी प्रकार की उलझन में डालना नहीं चाहते थे, वह प्रेम से, मुहब्बत से, अपने सत्य से, अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिये सत्याग्रह करने की बात कहते थे ।

उस में कोई छुपाव नहीं, उस में कोई दुराव नहीं, उस में हिंसा की भावना नहीं । उस में प्रेम और मुहब्बत होती थी और वह तरीका भी तब काम में लाया जाता था जब कि तमाम कांस्टीट्यूशनल मैथड्स (संवैधानिक रीतियां) खत्म हो जायें । वह सत्यग्रह के शस्त्र को आखिर में ही हाथ में लेना चाहते थे । और इतिहास इस बात का साक्षी है कि गांधी जी उन महापुरुषों में से हैं कि जब भी उन के साथियों ने उन के सिद्धान्तों के विपरीत अमल किया तो सब से पहले उन्होंने उस के खिलाफ आवाज उठाई । वह कभी भी यह बरदाश्त नहीं कर सकते थे । उन्होंने इसी कारण चौरी चौरा का सत्याग्रह बन्द कर दिया था । जब हमारे हिन्दुस्तानी भाई अंग्रेजों की हत्यायें करते थे तो सब से पहले गांधी जी उन के खिलाफ आवाज उठाते थे । राउंड टेबिल कानफ्रेंस में गांधी जी ने कहा था कि चाहे गंगा जी के पानी की तरह आजादी हासिल करने में हिन्दुस्तानियों का खून बह जाये लेकिन एक अंग्रेज का खून नहीं बहेगा । इस बात को हमारे साथी ने नहीं देखा पर जो कुछ गांधी जी ने एक अमरीकन से कहा उस को ले लिया । मैं समझता हूं कि हमारे भाई जो विरोधी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के हैं अगर वह गांधी जी के सिद्धान्तों को अपना लें और उन के अनुसार चलें तो मैं समझता हूं कि देश का बहुत कल्याण हो सकेगा । आज देश में जितनी बुराइयां और खराबियां हैं उन को दूर करने में सब से पहले उन का हाथ होगा और वह उसी

तरह से पूजे जायेंगे जिस तरह से कि गांधी जी के कट्टर से कट्टर अनुयायी पूजे जा रहे हैं और पूजे जायेंगे । तो उन की इस दलील में भी कोई तथ्य नहीं है ।

अभी हमारे पुन्नूस साहब ने कहा कि अगर पुलिस किसी पर अत्याचार करती है तो फिर चाहे उस को, किसी नाम से पुकारा जाय वह मानते हैं कि ऐसे पुलिस-वालों को कत्ल किया जाय । मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ क्योंकि जिस विचार-धारा को वह मानते हैं उस के अनुसार और जिस देश से वह प्रेम करते हैं वहां का एक किसान और मजदूर अगर उसे जितना उत्पादन करना चाहिये नहीं करता है तो यह समझा जाता है कि उस ने डिसिप्लिन (अनुशासन) को नहीं माना और उस को सजा हो सकती है । ऐसे लोगों को एनीमी आफ़ दी नेशन (राष्ट्र-शत्रु) माना जाता है और अगर वह थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो उन को फ़ांसी की सजा हो सकती है और शूट (गोली से मारा) तक किया जा सकता है । ऐसे एक देश में जहां कि कानूनी शासन हो, जहां वह डिमाक्रेसी में बैठ कर काम करना चाहते हों, वहां अगर वह कानून को हाथ में ले कर मुकाबला करेंगे और इस में आनन्द का अनुभव करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह गलत तरीका है । उस से देश में शान्ति नहीं हो सकती है और हमारे देश के लोग ऐसे भाइयों का साथ नहीं देंगे । अगर आप चाहते हैं कि इस कानून का उपयोग न हो तो मैं विरोधी दल के नेताओं से और खास तौर से अपने माननीय डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब से यह अपील करूंगा कि जिस तरह से गांधी जी ज्यादा से ज्यादा अच्छाई की ओर ध्यान देते थे और कांग्रेस में जो बुराई होती थी उस को दूर करने के लिये वह बार बार आव्हान करते थे और आवाज उठाते थे, लिखते रहते थे उसी तरह से वह भी करें । हम ने पिछले चुनावों में देखा है कि कितनी बातें हुई हैं, कितना गलत प्रचार किया गया है विरोधी दल की तरफ़ से, किस तरह से जोर जबरदस्ती की गई है । वह एक लम्बा इतिहास है । लेकिन आज राजस्थान में क्या हो रहा है, सौराष्ट्र में क्या हो रहा है ? मध्य भारत की कहानी तो मैं आप को बतला ही नहीं सकता । वहां एक एक दिन में छः छः कत्ल चुनाव के बाद किय गये हैं । उन हरिजन भाइयों ने, जिन्होंने मुरेना आदि में जागीरदार आदि प्रतिक्रियावादियों को वोट नहीं दिया था, उन को आज यह कह कर सताया जा रहा है कि तुम ने हम को वोट नहीं दिया है । एक जगह ६ चमार एक दिन में मार दिये गये और एक जगह ६ बलाई भी इसीलिये मारे गये । उन से कहा जाता है कि तुम फी आदमी दस दस रुपया का चन्दा हम को दो । अगर वह नहीं देते हैं तो उन को सताया जाता है, मारा जाता है और कत्ल किया जाता है । यह स्थिति है राजस्थान की और यही स्थिति मध्य भारत में भी होने वाली है । लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेताओं ने इस लालैसनैस (विधिहीनता) के खिलाफ़ एक शब्द भी नहीं कहा । इन हत्याओं, डकैतियों और इस लूटके खिलाफ़ उन्होंने कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाई । उन को यह समझना चाहिये कि देश हमारा है और हम सब को मिल कर इस देश में शान्ति कायम रखनी चाहिये । इसी में देश का भला है और सभी का भला है । हमारे डाक्टर श्यामा प्रसाद जी कहते हैं कि वह हिंदुस्तान को उस रूप में देखना चाहते हैं जैसा कि स्वामी विवेकानन्द चाहते थे । मैं उन से अपील करूंगा कि वह बहुत बड़े आदमी हैं । उन की आवाज में वजन है । अगर वह चाहें तो हिन्दुस्तान में जो आज बुराई और खराबी है उस को दूर करने में अपनी शक्ति का

[श्री राधे लाल व्यास]

उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं ने इस बारे में एक चीज़ भी उन से नहीं सुनी। मैं उन से अपील करूंगा कि वह देश में दौरा करें, अपनी संस्था के लोगों से कहें और दूसरी संस्थाओं के लोगों से कहें कि वह शान्ति से रहना सीखें। मैं यह नहीं कहता कि वह शासन की बुराई को बरदाश्त करें। उस के विरुद्ध ज़रूर आवाज़ उठायें और मैं समझता हूं कि अगर वह शासन के सामने कोई बुराई ला सकेंगे तो निश्चय ही शासन उस को दूर करने की कोशिश करेगा क्योंकि आखिर वह जनता का शासन है, वह ब्रिटिश हुकूमत का शासन नहीं है जिस का उद्देश्य यहां अपनी सत्ता कायम रखना था।

हमारे देशपांडे साहब ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य विरोधी दलों के सदस्यों को गिरफ्तार करने का है। लेकिन वह एक भी ऐसी मिसाल नहीं दे सके। वह चुनाव में खड़े हुए और कामयाब हुए और उनके प्रेसीडेंट डा० खरे भी कामयाब हुए। उन्होंने शिकायत नही की कि उन को प्रचार करने में रुकावट हुई। चाहे जितना गन्दा और झूठा प्रचार उन्होंने किया लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार ने उसे बरदाश्त किया और उन को पूरा मौका दिया। लेकिन यह परिस्थिति ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। और कोई भी शासन ऐसी चीज़ को बरदाश्त नहीं करने वाला है। हम तो एक बड़ा नरम बिल पास करने जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि अच्छा हो कि हम सब मिल कर देश में शान्ति और अमन कायम करने में लग जायें और कानून की कोई जरूरत न पड़े। हम शान्तिमय और वैध तरीकों से जो कुछ खराबी है उस को दूर करने में लग जायें। अगर हम इस काम में लग जायें तो एक साल बाद इस को आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं आयेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कह देना चाहता हूं कि अगर इस मौके से फ़ायदा न उठाया गया और ठीक अमल नहीं किया गया तो शासन न चाहे लेकिन मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी शासन को इस के लिये मजबूर करेगी कि ज्यादा सख्त कदम उठाया जाय। हिन्दुस्तान में ढीले शासन से काम नहीं चल सकता। आज कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में बहुत क्रोध है वह यह अनुभव करते हैं कि शासन कमजोरी से चल रहा है। वह अनुभव करते हैं कि आज खराबी है और इस वातावरण में यह खराबी बढ़ती ही जाती है। अगर यही स्थिति रही तो पार्टी शासन को मजबूर करेगी कि वह ज्यादा सख्ती से काम ले। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह जो कुछ हो चुका है उस को भूल जायें और देश में शान्ति कायम करने में और कानून का राज्य कायम करने में सहायता करें। जो खराबी है, जो हिंसा है और जो गलत वातावरण पैदा किया जाता है और गन्दी गन्दी बातें फ़ैलाई जाती हैं उन से उन स्कूल और कालिजों के बालकों पर क्या असर पडता होगा? झूठा प्रचार उन पर कितना बुरा असर डाल सकता है यह हम को सोचना चाहिये। कल इन्हीं लोगों के हाथों में देश का शासन आने वाला है। अगर इन लोगों पर यह प्रभाव डाला जायगा तो देश का भविष्य कैसा होगा? इस प्रश्न पर हम को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हम सब की भलाई चाहते हैं। इसलिये जो कुछ हम बोलें सोच समझ कर और गम्भीरता से बोलें। देश का हित अच्छी तरह से समझ कर बोलें। मझे कुछ और अधिक नहीं कहना है। पर मैं डाक्टर श्यामा प्रसाद मखर्जी साहब के चेहरे पर ऐसे भाव देखता हूं कि अब वह मिनिस्टर साहब को कांग्रेच्युलेट (बधाई) करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सन्तोष है कि इस में बहुत कुछ उन्नति

हो गई है। इतना ही कह कर और आप को धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इसके बाद प्रत्येक सदस्य केवल १० मिनिट तक भाषण दे।

श्री पोकर साहेब : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। देश की जसी दशा आज है उस में ऐसा विधान आवश्यक है। देश में जब विध्वंसात्मक कार्य किए जा रहे हैं तब देश में सुरक्षा और शांति की स्थापना करने के लिए इस विधान की आवश्यकता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मलाबार के कुछ जिलों में बड़ी अशांति है। पुलिस अदक्ष है। जनता के सहयोग के कारण ही वहां की स्थिति सम्हल सकी है। फिर भी इस विधान पर अपनी अनुमति देने के पूर्व पूरा पूरा विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि इस विधान से हमारे मूलभूत अधिकारों पर आघात पहुंचता है। बिना परीक्षण हुए गिरफ्तार न किए जाने का अधिकार इस विधान से चला जाता है। यदि देश की शांति और सुरक्षा का प्रश्न न हो तो यह अधिकार न लिया जाना चाहिए। पहिले इस अधिनियम का उपयोग बड़ी दुष्टता पूर्वक किया गया था। उसका दुरुपयोग किया गया था। मैंने इस अधिनियम के अंतर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण लेख के बहुत से मामले किए हैं। इन मामलों में निरोध करने के जो आधार दिए गए हैं थे वे कभी कभी तो बड़े हास्यास्पद और अमानवीय होते थे। एक बार निरोध करने का यह आधार दिया गया था कि वह व्यक्ति सदैव से मुस्लिम लीग का सदस्य था। यह निरोध का ठीक कारण नहीं है क्योंकि वहां मुस्लिम लीग ने शांति और सुरक्षा स्थापित करने में बड़ी सहायता दी थी। एक न्यायाधीश ने तो यह कहा था कि निरोध के आधार बताने के लिए साइक्लोस्टाईल्ड कापियां तैयार रखी जाती हैं और इसका ध्यान नहीं दिया जाता कि प्रत्येक मामले में निरोध के आधार क्या हैं। इस से स्पष्ट हो जाता है कि उस अधिनियम का ठीक उपयोग नहीं किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा होने पर भी मैं इस विधेयक का समर्थन क्यों कर रहा हूं। कारण यह है कि यदि ऐसा विधान न हो तो देश में सरकार का अंत हो जायगा। देश में आज विध्वंसात्मक कार्य करने वाले दल हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता। वे कोई भी हों—आतंकवादी या साम्यवादी —मुझे उस से मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का सामना करने के लिए सरकार के पास शक्ति होना आवश्यक है। ऐसे लोगों की आर्थिक योजना भिन्न है। वे भूमिगत भी हो जाते हैं। इस विधान की सहायता से ही उनका नियंत्रण किया जा सकता है।

पर इस शक्ति को पा कर सरकार इस का अंधाधुंध उपयोग न करे। मद्रास में इस का निर्दयतापूर्वक उपयोग किया गया था। फल यह हुआ कि पिछले छः मंत्री इस बार चुनाव में न आ सके। सरकार इस से सबक लेगी। मुझे इस बात का खेद है कि सरकार ने निरुद्ध व्यक्ति को वकीली सहायता देने का संशोधन स्वीकार नहीं किया।

पंडित क० सी० शर्मा (मेरठ जिला—दक्षिण) : सभापति महोदय, इस कानून पर जब यहां बहस हो रही थी तो मैं बडी गौर और तवज्जह के साथ उस को सुन रहा था। हमारे प्रोफैसर मुखर्जी ने हमें बतलाया कि जो असली समस्या जनता के सामने है, वह भूख और बेकारी को दूर करना है और मैं भी उन के इस कथन से सहमत हूं कि हमारी यह स्वतन्त्रता अधूरी है और बेमानी है, अगर जनता में खुशहाली न हो, कोई स्मृद्धि न हो, कोई इंडिपेडेंस (स्वतंत्रता) वगैर अबंडेंस (प्रचुरता) के कुछ महत्व नहीं रखती। अगर देश में लोगों के पास खाने को खाना न हो, तो भूखे और नंगे आदमी का स्वतन्त्र होना कोई मानी नहीं रखता। । अगर खाना

[पंडित के० सी० शर्मा]

हमारे पास न हो, तो भूखे और नंगे आदमी का स्वतन्त्र रहना अर्थहीन है । हम को इस प्रकार की अर्थहीन स्वतन्त्रता में जान डालने के लिये कुछ न कुछ प्रबन्ध करना है । इस को करने के लिये तीन चीजों की आवश्यकता है । पहली यह कि हमारे अन्दर एकता हो, दूसरी यह कि हम काम करना सीखें और तीसरी यह कि हम में अनुशासन हो । इन तीनों चीजों के लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में पूर्ण शान्ति बनी रहे, हमारे देश के आसपास जो पडोसी देश हैं, उन से हमारी दोस्ती और मित्रता बनी रहे, हमारी जनता सुखी हो, उस में अमन चैन हो, उस में जान हो, और आपस में वह एक दूसरे का गला न काटें, एक दूसरे के साथ लडाई झगडा न हो और मारधाड न हो और उस को देश में जो कुछ कपडा व रोटी मयस्सर हो, वह उस को आसानी के साथ सुलभ हो, इन चीजों के वगैर देश में शान्ति नहीं रह सकती । अगर देश में शांति नहीं रहती है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते और कोई उन्नति नहीं कर सकते और अगर आप आगे नहीं चल सकते, तो वह स्वतन्त्रता जो कागज के कान्स्टीट्यूशन (संविधान) में लिये बैठे हैं, उस का कोई महत्व नहीं है । क्या आप समझते हैं कि जिस स्वतन्त्रता को देशवासियों ने हजारों वर्ष के बाद पाया और जिस की प्राप्ति में लगातार तीस, चालीस वर्ष तक देश ने कांग्रेस के नेतृत्व में इतनी मुसीबतें झेलीं और कठिनाइयों का सामना किया, उस नवप्राप्त स्वतन्त्रता को भारत के देशवासी महज आप के इस तरह शोर और एक होहल्ला मचाने से या आप के एक दो किताब अपनी सपोर्ट (समर्थन) में पढ़ देने से और इधर उधर का प्रचार करने से खामोशी से इस स्वतन्त्रता को अपने हाथ चला जाने देंगे ? अगर आप का ऐसा मत है तो मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आप बडी भूल में हैं और में कहने पर मजबूर हूं कि आप बेवकूफी की बातें करते हैं । मेरी समझ में देश शान्ति का इच्छुक है । मैं डाक्टर मुखर्जी के इस मत को नहीं मानता कि यह कानून बहुत बुरा है, मैं समझता हूं कि इस से सख्त से सख्त कानून अगर देश के हित और स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिये आवश्यक हो, तो सरकार को उसे जरूर लागू करना चाहिये । जिस स्वतन्त्रता के हेतु हजारों आदमियों ने अपनी जानें दी और जिस के लिये इतनी मुसीबतें झेलीं, उस को आप समझते हैं कि क्या इन लोगों के महज इधर उधर की किताबें पढ़ देने और लेक्चर देने से जनता उस आजादी को अपने हाथ से निकल जाने देगी ? यदि आप का ऐसा ख्याल हो, तो मैं कहूंगा कि आप ख्वाब देख रहे हैं, देश और जातियां केवल मीठी मीठी और लम्बी लम्बी बातों से आगे नहीं बढ़ती हैं, जिस मेहनत के साथ और जिस मुसीबत के साथ वह यहां तक पहुंचे हैं, उसी मेहनत और शक्ति के साथ वह आगे चलना चाहते हैं । और जनता के रास्ते में चाहे वह हिन्दू सभा के रूप में या कम्युनिस्ट के रूप में कोई रुकावट आती है उसे वह कुचल डालेगी, यह बात पक्की है । यह कहना कि हम क्या करते, हम तो अलग खडे थे और देश बंट रहा था, मैं अपने उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि जब देश बंट रहा था तो आप क्या सो रहे थे ? आप ने उस का उस समय विरोध क्यों नहीं किया, और यदि आप की कोई आवाज नहीं थी तो मैं कहूंगा कि वह आदमी जिस में कोई जान न हो नपुंसक है । इस के क्या मानी कि देश बंट रहा हो, आप उस के खिलाफ हों, और आप सोते रहें, मैं कहता हूं कि ऐसे नपुंसक इंसानों

की कोई कद्र नहीं होनी चाहिये और इतिहास उस को बुरी दृष्टि से देखता है और वह सब जगह तिरस्कृत होता है। एक बात यह भी याद रखिये कि यह रामराज्य परिषद् व हिन्दू महासभा आदि जो संस्थायें हैं यह भूत जीवित संस्था है। इस का जीवन उस बच्चे के समान है जिस के दरवाजे के सामने कोई रीछ नाचता हो और वह बच्चा रीछ से डर कर मां की गोद में रोता हुआ जाता हो। जो जातियां और संस्थायें भूत को पकड़ कर जिन्दा रहना चाहती हों, संसार में उन के लिये कोई जगह नहीं है, रामराज्य परिषद् व हिन्दू सभा मुर्दा संस्थायें हैं, उन में कोई जान नहीं है और इन संस्थाओं की मौजूदगी हमारे राष्ट्र में बदबू पैदा कर रही है। जहां तक कम्यूनिस्टों का सवाल है वह उस बच्चे के समान हैं जो एक स्वप्न देख रहा हो और अंधेरे में स्वप्न में देख रहा हो कि एक बड़ा महल खड़ा है, उस में बहुत सी सामग्री पड़ी है और हम को बहुत आनन्द आ रहा है, लेकिन एकाएक सूरज दिखाई देता है और मालूम पड़ता है कि वह खराब घर है, उस में न चिराग है और न कोई रोशनी है और न जिस में खाने को सामान है। सामने मैदान पड़ा है, वक्त का तकाजा है कि तुम हल ले कर खुद जा कर खेत में मेहनत करो, खेती करने में काफी मेहनत पड़ती है और खून पसीना एक करना पड़ता है, काफी मशक्कत उठानी पड़ती है। यह चीज हमारे उन दोस्तों के लिये जो ६ हजार मील का ख्वाब देखते हैं और जिन्होंने १८वीं और १९वीं शताब्दी की किताबें पढ़ी हों और जो इधर उधर की बात सोचते हों, उन के लिये यह हल और बैल के साथ जा कर खेत में मेहनत करना और मशक्कत करना असंभव है, क्योंकि वह तो एक दूसरी दुनिया में विचरते रहते हैं और स्वप्न देखा करते हैं। वर्त्तमान काल की जो समस्यायें हैं उन के लिये कष्ट उठाने की न उन में हिम्मत है और न बहादुरी, उन का सिर्फ दिमाग चलता है, इसलिये उन का यहां होना और शोर मचाना और इधर उधर प्रचार करना कोई ज्यादा मानी नहीं रखता, उस में कोई अर्थ नहीं, तत्व नहीं। इस वक्त जो देश की समस्या है, वह यह है कि हम सब मिल कर किस तरह काम करें और यकीन मानिये कि इस देश को बनाने में जो भी रुकावट आयगी, उस को जनता कुचल डालेगी।

यह कहना कि साहब, यह एलेक्शन (चुनाव) के लिये हुआ, या किसी पार्टी को पावर (शक्ति) में रखने के लिये यह किया जा रहा है, यह बहुत भूल है। सीधी बात यह है कि इस वक्त जो समस्या है वह यह नहीं है कि यह पालिसी (नीति) सही है, या यह पार्टी और गवर्नमेंट सही है, या यह कानून खराब है और वह कानून खराब है। इस वक्त समस्या यह है कि कौन से जरिये अख्त्यार किये गये हैं। किस तरह की कोशिश की जाय कि देश आगे बढ़े, देश के लोगों को काम करना आये, देश के आदमियों को मेहनत करनी आये और वह हिम्मत से काम कर सकें, इस के लिये जो करना आवश्यक हो वह करना जरूरी है। चाहे वह कानून सख्त हो चाहे नर्म हो। इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि यह बिल अति आवश्यक था और मैं काटजू साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत से काम लिया।

श्री कक्कन (मदुरई-रक्षित---अनुसूचित जातियां) : गरीबों और हरिजनों की ओर से मैं गृह मंत्री जी को इस विधेयक के लिए बधाई देता हूं। इस विधेयक के कारण हरिजन उन साम्यवादियों तथा समाज विरोधी लोगों से बच जाएंग जो हरिजनों का अनुचित लाभ उठाते हैं तथा वर्ग संघर्ष द्वारा उन्हें भड़काते हैं। वे भोजन की ओर बोलते हैं तथा साथ

[श्री कक्कन]

ही साथ वे हरिजनों को हड़ताल करने तथा धान के खेतों में आग लगाने के लिए उकसाते हैं। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में वे इस तरह सरकार की सहायता करते हैं। मद्रास सरकार ने हरिजनों के उद्धार के लिये बहुत कुछ किया है। हरिजन विद्यार्थियों को सहायता दी गई है, निर्योग्यता हटाने के लिए कानून बनाए गए हैं तथा उन्हें कानूनी सहायता दी गई है। चुनाव के समय साम्यवादियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि ताड़ी की दुकानें चालू की जायगी तथा नियंत्रण हटा दिया जायगा। जब राजा जी ने नियंत्रण हटाया तो वे उस का विरोध करने लगे। गांधी जी ने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया। सरकार को भी चाहिये कि वह हरिजनों की सहायता करे। वे देश में गांधीवाद फैला देंगे तथा साम्यवादियों से नहीं मिलेंगे।

मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस विधान का उपयोग भोले लोगों को पकड़ने के लिए न करें अपितु उन लोगों को पकड़ें जो छिपे छिपे सारी कार्यवाहियां करते रहते हैं।

श्री जी०एच०देशपांडे : श्रीमान जी, देश-भक्त होने के नाते मैं इस विधान का समर्थन करता हूं। मुझे लोक तंत्र से बहुत प्रेम है इस के लिए मैं काफी समय जेल में रह चुका हूं तथा जीवन के उत्तम वर्ष मैंने लोकतंत्र तथा देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने में लगाए हैं।

मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ जब ग्वालियर के सदस्य ने इस ओर के दल को कठोर बहुमत कहा। २०–२५ वर्ष से हम सब मिलकर अनुशासन के साथ काम न करते तो देश स्वतंत्र न हो पाता। ग्वालियर के सदस्य ने यह आरोप लगाया कि हम ने देश का विभाजन किया है तथा वे अखंड भारत चाहते हैं। महासभा और जनसंघ के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि महासभा के प्रधान वीर सावरकर ने ही १९३५ में अहमदाबाद के सत्र में दो राष्ट्र के सिद्धात को व्यक्त किया था। अतएव देश विभाजन की जिम्मेवारी उन पर भी है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस की हाल ही में कोई आवश्यकता भले ही न हो पर सरकार के पास यह शक्ति होना आवश्यक है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग किया जाएगा। लोग अमेरिका ओर इंगलैंड का नाम लेकर कहते हैं कि वहां ऐसा विधान नहीं है। वे रूस का उदाहरण क्यों नहीं देते ? वहां नागरिक स्वतंत्रता की क्या दशा है ? विरोधी दल के साथ क्या व्यवहार किया जाता है ? स्टैलिन और लेनिन के पोलिटब्यूरो के साथियों का क्या हुआ ? हम से कहा जाता है कि अमेरिका और इंगलैंड का अनुकरण करो परन्तु जब यह विरोधी दल शक्ति में आ जाएगा तब वह रूस का अनुकरण करेगा। हम अमेरिका या इंगलैंड का इस मामले में अनुकरण करना चाहते हैं परन्तु क्या विरोधी पक्ष के लोग यह आश्वासन दे सकते हैं कि अपने साध्य को प्राप्त करने के उन के साधन शुद्ध होंगे ?

मुझे विश्वास है कि इस विधान के बिना देश मे शांति स्थापित नहीं की जा सकती। हमें इस का अनुभव है। पर केवल इस विधान द्वारा ही हम अपनी स्वतंत्रता नहीं बनाए रख सकते। यह तो साधन मात्र है। हम आर्थिक और सामाजिक उन्नति चाहते हैं। उस के लिए हमारे पास योजनाएं हैं परन्तु बिना शान्ति और सुरक्षा के हम इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकते। यदि कोई शान्ति भंग करना चाहता है तथा स्वतन्त्रता और लोकतंत्र को खतरे में डालता है तो उसे देश सहन न कर सकेगा। ऐसे लोगों का सामना करने के लिए ही यह विधान बनाया जाता है।

अमेरिका में साम्यवादी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह देश बहुत पहिले स्वतंत्र हो चुका है तथा उसका बहुत आर्थिक विकास

हो चुका है । उन का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है । इसलिये उन्हें साम्यवादियों से कोई भय नहीं है। हमें अभी भय है। विरोधी पक्ष के सदस्य चाहें हमें भला बुरा कहें परन्तु हम अपने कर्त्तव्य पर अडिग रहेंगे । हम पद-लोलुप नहीं हैं न चोर बाजार करने वाले ही। १९३६ में जब कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी तब ऐसे लोग कांग्रेस के सदस्य बन गए थे पर शोलापुर के सदस्य के नेतृत्व के कारण ऐसे सब लोगों ने अब कांग्रेस छोड़ दी है तथा वे कामगार और किसान सभा के सदस्य बन गए हैं । वहां वे अपने पाप छिपा सकते हैं । कांग्रेस में अब सच्चे लोग हैं । मैं इस विधेयक का समर्थन कर्त्तव्य समझ कर कर रहा हूं ।

श्री ए० के० गोपालन : इस विधेयक को लगातार पांच वर्ष से पारित करने की बाहर क्या प्रतिक्रिया होगी ? इस वर्ष यह दो सालों के लिये पारित किया जा रहा है । लोग यह समझेंगे कि देश में कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है तथा सरकार देश में शान्ति स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी है ।

पिछले सदस्य ने हिंसा के विषय में कहा। इस के उत्तर में मैं यह कहूंगा कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से ही देंगे । सरकार के लोगों ने तथा दलों ने जो हिंसा की है उस की जांच करवाइए । यहां कहा गया है कि लोगों ने थानों पर हमला किया और लोगों को मारा । हम ने इस बात को नकारा है । हमें मालूम है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है ।

गृह मंत्री और प्रधान मंत्री ने कहा कि देश में भयानक स्थिति है । वह क्या है यह किसी ने नहीं बतलाया । यहां कहा गया कि देश में सामाजिक क्रांति हो रही है, क्षेत्रिक क्रांति हो रही है । बात ठीक है । पर क्या वह निरोध अधिनियम के पारित करने से रोकी जा सकती है ? उसे दमन, गोलियां और निवारक निरोध अधिनियम नहीं रोक सकते । जो किसान सालों से जमीनें जोत रहे हैं उन को अब बेदखल किया जा रहा है । वे इस का विरोध कर रहे हैं । क्या यही भयानक स्थिति है । यह अधिनियम तो उसे और भयानक बना देगा ।

देश में समाज-विरोधी लोग हैं, हिंसा करने तथा आतंक फैलाने वाले लोग हैं । ये बातें वे लोग कहते हैं जो खुद को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं । वे किस के प्रतिनिधि हैं ? श्रमिकों के? किसानों के? मध्यम वर्ग के ? क्या ये लोग इस अधिनियम को चाहते हैं ? आप मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में जा कर लोगों को इस अधिनियम के विषय में भाषण दीजिए तब आप को मालूम पड़ेगा कि उन की प्रतिक्रिया कैसी होती है । कांग्रेस संसदीय दल के साठ सदस्य गांवों में जा रहे हैं । यदि वे यह कहें कि नागरिक स्वतंत्रता की हामी भरने वाले हम लोगों ने यह अधिनियम बनाया है तो उन्हें अगले सत्र तक उन की प्रतिक्रिया का पता लगा जायगा । संसद में बोलना बड़ा सरल है । जरा बाहर जा कर जनता को तो समझाइए कि यह विधेयक उन के लाभ के लिए है । इस विधेयक से आप उन की आर्थिक दशा नहीं सुधार सकते । तुम्हें मालूम ही नहीं कि वे क्या चाहते हैं । गत पांच वर्षों में तुम उन के लिए कुछ नहीं कर सके । तुम यह विधेयक दो साल के लिए चाहते हो क्योंकि तुम अपनी नीति नहीं बदलना चाहते ।

माना मलाबार में अशान्ति थी । पर किस के लिए ? उन लोगों के लिए जिन्होंने चावलों के बोरे घर में छिपा रखे थे जब कि जनता भूखों मर रही थी और मूल्य चुकाने के लिये तैयार थी । ऐसी दशा में स्वाभाविक था कि लोगों ने उन्हें चैन न लेने दी । यह साम्यवादियों का काम नहीं था । वे तो जेलों में थे ।

बहुत सी जमीन बेकार पड़ी है। किसान उसे जोतना चाहते हैं तथा लगान देने

[श्री ए० के० गोपालन]

को तैयार हैं। सरकार उन्हें उस भूमि को जोतने की आज्ञा नहीं देती। होता यह है कि किसान राज्य के हित के लिए, अधिक अन्न उपजाने के लिये, उसे जोतना आरंभ कर देते हैं।

पांच सालों से यह निवारक निरोध अधिनियम लागू किया गया है और इसके अंतर्गत सैंकड़ों लोगों को आप ने जेल में डाला है तथा गोलियों से उड़ा दिया है। पांच सालों से देश में शांति नहीं है। १९४७ में स्थिति अच्छी थी। उस समय सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था तथा गिरफ्तार करने की शक्ति कार्यपालिका को दी गई थी। अगले वर्षों में उस शक्ति का दुर्पयोग किया गया था। उस समय जब लोगों को पीटा गया तथा उन के मकान जलाए गए तब उन्होंने पुलिस पर हमला करना शरू किया। यदि आप फिर वैसी ही स्थिति चाहते हों तो इस अधिनियम की अवधि बढ़ा दीजिए। मैंने सोचा था कि मंत्री जी इस बात पर शर्मिन्दा होंगे कि ५ साल शासन करने पर भी उन्हें इस अधिनियम का आसरा लेना पड़ा जिससे कि बिना परीक्षण किये लोगों को जेलों में डाला जा सके।

नागपुर में २०,००० मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। उन की मांग है कि उन्हें ३५ रुपये वेतन तथा महंगाई दी जाए। उन की इस मांग को समाज-विरोधी ठहराया गया तथा कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। आप उन दो दर्जन मिल-मालिकों को समाज विरोधी नहीं कहते जो वर्षों से धन आसंचित किए हुए हैं। आप उन किसानों को समाज-विरोधी ठहराते हैं जो खेती करने के लिए भूमि चाहते हैं तथा उन मजदूरों को शांति भंग करने वाला कहते हैं जो अधिक मजदूरी चाहते हैं और उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बिना परीक्षण किए जेलों में डालना चाहते हैं।

आप जनता को भूल गए हैं। आप को मालूम नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। जब संसद का सत्र समाप्त हो जाए तब आप लोगों से मिलिए। आप को मालूम पड़ जाएगा कि देश के सारे लोग इस के विरुद्ध हैं। आप इस अधिनियम को पारित कर लीजिये पर यह भी समझ लीजिए कि ऐसे कामों से आप की सरकार का अंत हो जाएगा।

श्री **बी० शिवाराव**: गृह मंत्री जो ने इस विधेयक के विषय में जो कहा उस की पूर्ति करने के पहिले मैं पिछले भाषण के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। श्री गोपालन ने यह प्रश्न किया कि हम किस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सदन में कांग्रेस दल को ५२५ लाख मतों में से ३८१ लाख २५ हजार मत मिले। इन मनुष्यों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप किस का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह दल जो किसानों और मजदूरों के बारे में बोलता है उस के इस सदन में ५९ से अधिक उम्मेद वार नहीं चुने गए।

श्री गोपालन ने अशांति का एक उदाहरण देने के लिये कहा। मैंने आज के ही "स्टेट्समैन" में पढ़ा है कि पंजाब के आरक्षी बल के महानिरीक्षक ने घोषित किया है कि २७ जून को सोनेपत के पास की रेल की लाइनें काट देने वाले व्यक्तियों का जो कोई पता देगा उसे वे दस हजार रुपये इनाम देंगे।

विपक्ष के सदस्यों ने जो कहा उस में से दो बातें मझे स्मरणे रहीं। जब सशस्त्र साम्यवादी को पुलिस आत्मरक्षा में या कर्तव्य-वश मार डालती है तब उसे निर्दयता कहा जाता है। पर जब वे पुलिस को मार डालते हैं तब उसे आवश्यक दुखद बात कहा जाता है। जब तक यह मनोवृत्ति बनी रहेगी तब तक इस अधिनियम की आवश्यकता रहेगी।

संयुक्त समिति में और सदन द्वारा इस विधेयक में जो परिवर्तन किए गये हैं उस पर मंत्री जो ने कुछ नहीं कहा और न विपक्ष के सदस्यों ने ही उस की सराहना की है। अब मत्रंणा

बोर्ड को किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने की शक्ति रहेगी। दूसरा परिवर्त्तन यह किया गया कि निरोध की अवधि निरोध आदेश की पुष्टि से नहीं अपितु निरोध के दिन से ही गिनी जायगी। इसके अलावा गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अगले वर्ष शरद में वे इस बात का विचार करने के लिए संकल्प प्रस्तुत करेंगे कि क्या सरकार को इस अधिनियम का उपयोग करने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि सदस्यों को विवरण दिया जायेगा जिसमें बताया जायगा कि १२ महीनों में अधिनियम का कैसा उपयोग हुआ। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि वे राज्यों के निरोध नियमों की जांच करवायेंगे तथा यदि आवश्यक हुआ तो वे उन राज्यों को मंत्रणा देंगे कि निरुद्ध व्यक्ति यदि प्रार्थना करे तो वे उसे अपने वकील से मिल लेन देंगे जिससे कि उसको बतलाए गए निरोध के आधारों का उत्तर बनाने में वह उस वकील से सहायता ले सके। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि परिवार भत्ता विषयक नियमों में एकरूपता होनी चाहिये जिससे कि कठिनाई न हो।

पिछले शुक्रवार को मैंने कहा था कि निरोध के मामले क्रमशः घटते जा रहे हैं। ऐसे मामले भी घट गए हैं जहां लोगों को जल्दबाजी में बिना पर्याप्त आधार पर पकड़ लिया गया हो। १९५० में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने ५८३ मामलों में लोगों को मुक्त कर दिया था। १९५१ में केवल ३२४ लोग मुक्त किए गये और इस वर्ष अब तक वह संख्या घटकर केवल ५२ रह गई है। संभवतया इनमें से बहुत से मामले उस समय से पहले के हों जब फरवरी में इस अधिनियम का संशोधन हुआ था।

श्री पोकर ने बतलाया कि उनके जिले में विध्वंसात्मक कार्य किए जा रहे हैं। आशा है अगले चुनाव में वे उनसे सहयोग न करेंगे। परन्तु उन्होंने यह आरोप लगाया कि कुछ लोगों को केवल इसलिए निरुद्ध कर लिया गया था क्योंकि वे मुसलमान थे। क्या वास्तव में निरोध का यह आधार उन्हें बतलाया गया था? मेरे स्थान में भी काफ़ी मुसलमान हैं। चुनाव के समय वे पाकिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर घूमते थे।

श्री **पोकर साहब**: मद्रास सरकार ने पता लगा लिया है कि यह विवरण असत्य है।

श्री **बी० शिवा राव**: इस प्रकार के भाषण दिये जाते थे कि दक्षिण भारत के मुसलमानों के लिए दूसरा पाकिस्तान नहीं बना। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही है कि राज्य सरकार ने उचित कार्यवाही की। यदि अन्याय हुआ है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र कहते हैं तो उन्हें चाहिए कि गृह मंत्री का ध्यान उस ओर आकर्षित करें। इस पक्ष के लोगों को भी इस अधिनियम को दो वर्ष के लिए बढ़ा देने पर हर्ष नहीं है परन्तु जब तक विपक्ष के लोगों की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक इस विधेयक का समर्थन करना ही पड़ेगा।

सभापति महोदय: औचित्य प्रश्न क्या है?

श्री रघवय्या: मेरा निवेदन है कि वक्ता जिस बात को सिद्ध न कर सके या जिसका उत्तर सरकार द्वारा दिया जा चुका है उसकी चर्चा अपने भाषण में न करे। मेरी यह प्रार्थना भी है कि दोनों ओर के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाए।

डा० एस० पी० मुखर्जी: श्रीमान्, ४५ मिनट में यह अधिनियम बन जाएगा। इसके बनाने में लगभग एक मास लग गया है तथा एक दूसरे को भला बुरा कहा गया है। इसका मुझे बिल्कुल संताप नहीं है। मैं यह

[डा० ए ० पी० मुखर्जी]

मानने को तैयार हूं कि सरकार ने सद्भावना से यह विधान बनाया है । सरकार को भी यह मान लेना चाहिए कि हम केवल प्रचार करने के लि इसका विरोध नहीं कर रहे हैं । हमें यह प्रतीत होता है कि स्वतंत्र भारत में ऐसे विधान की कोई आवश्यकता नहीं है । एक वक्ता ने कहा कि हम लूट पाट के मामलों का जिक्र नहीं करते । यदि ऐसे मामले हों तो उन्हें अवश्य रोका जाना चाहिए । स्वतंत्रता और हिंसा को तो मैं परस्पर विरोधी बातें मानता हूं । पर केवल इस कारण सरकार यह विधान नहीं बना सकती कि विरोधी पक्ष के लोग सरकार की नीति से सहमत नहीं हैं । यह सही तरीका नहीं है । गृह मंत्री जी ने कहा कि अब परिस्थिति बदल गई है । मैं उनसे पूछूंगा कि क्या विदेशी सरकार के होने पर ही लोग विद्रोह करते हैं । इंगलैंड में क्या हुआ था ? वहां के राजा को किसने कत्ल किया था ? विदेशियों ने उसका वध नहीं किया, जनता ही ने किया था । वहीं केलोगों ने राजा को स्वतंत्रता-पत्र देने के लिए बाध्य किया । फ्रांस और रूस में क्या हुआ । गृह मंत्री जी कहेंगे कि वहां के राजा निरंकुश थे, वे जनता द्वारा नहीं चुने गये थे । क्या हिटलर का दावा यह नहीं था कि वह लोगों द्वारा चुना हुआ है ? मुसोलिनी का भी यही दावा था । उनका क्या हुआ ? बात यह है कि यदि सरकार केवल पाशविक बल से काम ले तथा लोगों की कठिनाइयां दूर न करे तो जनता उसे किसी न किसी दिन हटा ही देगी । हम यह नहीं चाहते । हम स्वतंत्रता बनाये रखना चाहते हैं । माना कि इसमें जनता का सहयोग आवश्यक है पर उस दशा में जनता क्या करे जब उसे मालूम पड़े कि सरकार बड़ी भूलें कर रही है ? अगले चुनाव तक ठहरा जा सकता है पर संभव है फिर भी कांग्रेस को चुनाव में बहुमत प्राप्त हो । ऐसी दशा में जनता क्या करे ? मैं यह नहीं कहता कि वह हिंसा करे । वह अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकती है पर बहुमत होने के कारण सरकार उन बातों की चिंता भी नहीं करती और ऐसे क़ानून बनाती है जो उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं तथा उनके मूल भूत अधिकारों का नाश करते हैं तो विरोध करने का अधिकार उन्हें अवश्य रहेगा ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीनथे]

अफ्रीका के प्रधान मंत्री ने घोषित किया है कि वे लोगों को गिरफ्तार कर कर के थक गये हैं अतएव वे अब कोड़े लगवाना आरंभ करेंगे । क्या वे कोड़े लगवाकर उस अहिंसात्मक आन्दोलन को दबा देंगे जो वहां के लोग वहां की संसद् द्वारा बनाए गए विधान के विरोध में कर रहे हैं ? सामान्य दशाओं में लोगों को चाहिए कि वे देश के क़ानून को मानें तथा जनमत के बल पर ही उसे बदलने का प्रयत्न करें तथा हिंसा का उपयोग न करें । परन्तु यदि असामान्य परिस्थिति हो तथा सरकार ने ऐसा विधान बनाया हो जिसे लोग पसंद न करते हों तो लोगों को सत्याग्रह करना ही चाहिए ।

यह स्वतंत्र भारत की चुनी गई पहली संसद् है इसमें यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विधान बनाया गया है। माना कि उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिनके कारण उनके दुर्पयोग किए जाने की संभावना कम हो जाती है फिर भी उस में सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात रह जाती है तथा कार्यपालिका को यह शक्ति मिल जाती है कि वह किसी भी व्यक्ति का न्यायिक परीक्षण कराए बिना उसे निरुद्ध कर सकती है ।

इस विधान का फल यह होगा कि सरकार के चाहने पर देश जासूसों से भर

जाएगा । बंगाल में बीस साल पहिले यही हुआ था । आतंकवादी आंदोलन के समय में श्री प्रेंटिस वहां के गृह मंत्री थे । उसने यह स्वीकार किया था कि यद्यपि पूर्वी बंगाल में देशभक्त और आतंकवादी लोग अत्यधिक हैं पर साथ ही में वहां सबसे योग्य जासूस भी हैं जिनकी सहायता से स्थिति को काबू में रखा जा सका है । हम नहीं चाहते कि देश में वैसी दशा हो । आशा है यह विधान अस्थायी होगा तथा यथाशीघ्र इसे हटा दिया जायगा ।

जनता के प्रति हमारी ज़िम्मेवारी भी है । हम नहीं चाहते कि हिंसा को प्रोत्साहन दें । परन्तु इस विधान द्वारा हमने सरकार को इतनी विस्तृत शक्तियां दे दी हैं कि सरकार अपने विरोध की सारी बातों को बन्द करवा सकती है, चाहे वैसा करना राष्ट्रहित में हो अथवा नहीं ।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह विधेयक उन साम्प्रदायिक, साम्यवादी और आतंकवादी लोगों तथा जागीरदारों के लिये है जो हिंसा का उपयोग करेंगे । विधेयक में इस प्रकार की बात नहीं लिखी गई है । अतएव इसके द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसका सम्भालना बड़ा कठिन होगा ।

मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब इस विधान के लगाने का अवसर आए तब वे समस्या के मूल तक पहुंचने का प्रयत्न करें । यह जानने का प्रयत्न करें कि यह किसानों और मज़दूरों की कठिनाई का परिणाम है अथवा ढाका में जो हुआ है उसकी प्रतिक्रिया है । केवल यह अधिनियम लागू करने से तो स्थिति बिगड़ जाएगी ।

यह विधेयक पारित हो जायगा परन्तु हम इसे नहीं चाहते । पहला कारण यह है कि इसका आधारभूत सिद्धांत ही अशुद्ध है । बिना परीक्षण के निरोध नहीं होना चाहिए । दूसरा कारण यह है कि इस विधेयक के बनाने का कोई उपयुक्त कारण नहीं दिखाई देता । सरकार जब इसे लागू करे तो यह ध्यान में रखे कि उसकी प्रतिक्रया सरकार के ऊपर न हो तथा देश में असंतोष फैले ।

गृह मंत्री जी ने कहा कि यदि सबका सहयोग प्राप्त हुआ तो इस विधान को अगले वर्ष हटा दिया जायगा । हमारे मत आपसे न मिलते हों परन्तु हम देशद्रोही नहीं हैं । हम सरकार का उस प्रत्येक बात में सहयोग करने के लिए तैयार ह जिससे जनता का भला हो । हम उस का विरोध करेंगे जब हमें मालूम पड़ेगा कि वह गलती कर रही है । हमारें आदर्श भिन्न हैं पर हम देश के शत्रु नहीं हैं । भविष्य की बात सोचिये । इस विधान से देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति न होगी । इसका प्रयोग बड़े सम्हल कर करना होगा । उसके उपयोग करने की ज़िम्मेवारी गृह मंत्री पर होगी । अच्छा हो यदि लोगों को यह प्रतीत हो कि देश में से सारे निर्बन्धन हट गए हैं तथा नियम के अनुसार ही शासन होता है ।

अध्यक्ष महोदय: अब दूसरों के लिये समय नहीं है । माननीय गृह मंत्री जी ।

डा० काटजू : मैं इस बात से सवथा सहमत हूं कि लोगों की दशा सुधारने के लिये किये गए उपायों में हम सबको सहयोग देना चाहिए परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि कुछ देर दिये गये भाषणों का उपयोग उन लोगों ने किया है जो इस विधान को अनावश्यक कहते हैं । हमारा इस बात पर कोई मतभेद नहीं है न यह किसी ने कहा ही है कि लेख लिखकर तथा भाषण देकर लोगों को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य न होना चाहिए । सारा प्रश्न तो लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाने का है । मैं बार बार यही बात कहता हूं ।

[डा० काटजू]

मेरे माननीय मित्र ने बड़ी जोरदार भाषा में अपना पहलू सामने रखा। उन्होंने कहा कि मलाबार के किसान भूखे थे और उन्हें चावल चाहिए थे। वे जमींदारों के पास गए जिन्होंने चावलों का आसंचयन किया था। उन्होंने जमींदारों के साथ कुछ किया तथा वैसा करना न्याय्य था। उन्होंने क्या किया यह मलाबार के लोग ही जानते हैं। पेप्पसू के किसानों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देश में अन्नाभाव है। उनके पास खाने को नहीं है, बहुत सी भूमि बंजर पड़ी है तथा वे लोग उसे जोतना चाहते हैं। वे दीर्घावधि से वहां किसान हैं तथा वे चाहते हैं कि भूधारण सम्बन्धी नियम उन्हें सुरक्षा दें। मैं इन सब बातों से पूर्ण सहमत हूं। परन्तु साथ ही में उन्होंने सुझाव दिया कि पांच साल तक सान्त्वना रखने के पश्चात भी जब हमने वैसा कानून नहीं बनाया तो उनका कानून को अपने हाथों में ले लेना न्यायसंगत था। यही सारी बात है। यही तो सारी समस्या है जिस पर माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को दोष नहीं देना चाहता और उत्तेजित होकर बोलने का यह अवसर भी नहीं है। परन्तु आप यहां बैठे देख रहे हैं कि वे किस प्रकार बोलते हैं। जब ये इस प्रकार बोलते है तब ईश्वर ही जाने कि ये बाहर किस प्रकार बोलते होंगे। लोकमंच पर खड़े होकर ये कहते होंगे कि छापामारों के दल बनाओ। तुम्हारे पास भुजायें हैं, उनका उपयोग करो। जमीन छुड़ा लो। यदि कोई आये तो उसे गोली से उड़ा दो। ये बातें कही गई हैं। इस तरीके से ये किसानों को भूमि दिलाते हैं। यही सारी समस्या है। मैं यह वाक्यांश फिर से कहता हूं। क्या कलकत्ते के मेरे मित्र इसका समर्थन करेंगे ?

जनता तथा बेचारे मजदूरों द्वारा बल-पूर्वक किए गए इन कामों के पूर्व इतिहास के विषय में मैं कुछ न कहूंगा। मैं किसी दल के व्यक्ति को इसके लिए दोष नहीं दे रहा हूं। कलकत्ते की जैसप कम्पनी के इन बेचारे मजदूरों ने पांच आदमियों को भट्टी में झोंकने की साधारण बात की। यह उन्होंने साम्यवादियों की प्रेरणा से नहीं किया, हो सकता है कि और कोई दल रहा हो पर उन्होंने ऐसा काम किया अवश्य ही। जैसा प्रधान, मंत्री ने बतलाया इन लोगों ने ट्रामें रोक ली उन में यात्रा करने वाली स्त्रियों और बच्चों ने तथा कार्यालय जाने वालों ने क्या किसी का कुछ बिगाड़ था। उनके ऊपर बम तथा एसिड बल्ब फेंके गये तथा ट्रामों को जला दिया गया। क्यों उन्होंने क्या किया था ? यही तो प्रश्न है।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिस से कि कोई कठिनाई न हो। मैं निवारक निरोध अधिनियम को नहीं चाहता। प्रधान मंत्री वैयक्तिक स्वतंत्रता के जीवन भर भक्त रहे हैं। न जाने वे कितने साल जेल में रहे हैं। स्थिति को सुधारने तथा आर्थिक समस्या को सुलझाने में समय लगेगा। उसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। वे समस्याएं एक दिन में हल न हो जायेंगी। परन्तु यदि कोई ऐसा दल, समूह अथवा व्यक्ति जनता के कष्टों का लाभ उठाकर, भूख का लाभ उठाकर, उन अभागे मजदूरों के कम वेतन का लाभ उठाकर उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि "आग लगाओ", "हिंसा करो" तो फिर क्या किया जाए ? इसी पर मेरे मित्र विस्तृत दृष्टि से विचार करें। विपक्ष के मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा कि सरकार से विद्रोह करने का हमें अधिकार है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। छः महीने पहिले जनवरी और फरवरी के मास में लोगों को सरकार से विद्रोह करने का मौका आया था जब संसार का अद्वितीय चुनाव हुआ था। प्रौढ़ मतदान द्वारा चुने गए इस संसद की दक्षिण अफ़्रीका की संसद से तुलना कीजिए। लोग वहां पर विरोधकर रहे हैं तथा संघर्ष कर

रहे हैं। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि लोग विद्रोह करेंगे। उन्हें रोक कौन रहा है? अपने मत को व्यक्त करने का उन्हें पूर्ण तथा अबाध अवसर मिला था तथा उन्हें यह अधिकार था कि वे यह घोषित कर दें कि उन्हें इस सरकार में विश्वास है अथवा नहीं जो इन मित्रों के अनुसार १९४७ से, निवारक निरोध अधिनियम का उपयोग कर देश का ठीक प्रकार से शासन नहीं कर रही है। श्री गोपालन ने कहा कि १९४७ से पहिले स्थिति बहुत ठीक थी। इसी लिए ना, कि तब अंग्रेज थे और ये उनके साथ सहयोग कर रहे थे। उन्होंने यह कहा कि १९४७ के बाद देश स्वतंत्र हुआ तथा तब ये अधिनियम बने और लोगों को कष्ट दिया गया। १९४७ से १९५० तक हजारों लोगों को निरुद्ध किया गया तथा उन्हें बड़ी बुरी तरह से रखा गया। जिस सरकार ने यह सब किया उसके प्रति विद्रोह करने का मौका लोगों को गत वर्ष मिला। जो परिणाम हुआ वह सब को मालूम है। श्री शिवा राव ने पहिले से ही आंकड़े बता दिए हैं मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता। इसका अर्थ क्या हुआ? स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि फिर से चुनाव करने की बात से मैं प्रभावित नहीं हुआ हूं और न इस बात में विश्वास करता हूं कि जनता इस अधिनियम के विरुद्ध है। गांव की ९९.९ प्रतिशत गरीब जनता ने इस अधिनियम का नाम तक नहीं सुना है और न उन्हें कोई निरुद्ध ही करेगा। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह अधिनियम उन लोगों के लिये है जो जनता को हिंसा करने के लिए भड़काते हैं। जब तक यहां पर कोई भी सरकार है तब तक ऐसे लोगों का दमन किया ही जायगा जिससे कि जनता द्वारा की गई हिंसा और अराजकता के कारण देश की शांति भंग न हो। यह बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने यह बात अपने हृदय से कही थी कि यह अधिनियम मुझे प्रिय नहीं है। पर इससे कुछ गलत न समझ लीजिये क्योंकि कुछ भाषणों के आधार पर कार्यवाही की जा सकती है। यह प्रश्न तो हिंसा में अथवा अहिंसा में विश्वास करने का है। आप चाहे जैसा विश्वास कीजिए। मुझे कलकत्ते के हिन्दुओं की भावनाओं का पता है जो काली में विश्वास करते है। मैं उसका अनादर नहीं करता यह तो विश्वास की बात है। परन्तु यदि इस विश्वास को व्यवहार में लाया जाता है--मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो जनता मध्य वर्ग के लोगों और श्रमिकों को यह कह कर भड़का रहे हैं कि तुम बड़े कष्ट में हो इस कारण हथियार लो और हिंसा करो तो यहीं पर सारी समस्या खड़ी हो जाती है। एक मित्र चाहते हैं कि सरकार समस्या की जड़ में जाए। उन्होंने यह कई बार कहा है और सरकार से कहा है कि वह आर्थिक कष्ट हटाए तथा सबको भोजन तथा काम दे। पर यह सब झटपट नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ समय लगेगा। संभव है पांच-छः साल लग जाएँ। आपके सहयोग से सरकार भरसक कोशिश कर रही है। पर उन पांच सालों में शांति स्थापित रखना आवश्यक है। हम यह सहन नहीं कर सकेंगे कि कोई दल या व्यक्ति इस अवधि में शांति-भंग करे। मैं किसी विशेष दल के विरुद्ध नहीं कह रहा हूं और न उन्हें कोई नाम दे रहा हूं। शांति का अर्थ है आर्थिक और सामाजिक शांति तथा प्रधान मंत्री जी के शब्दों में जागीरदारी शांति।

एक माननीय सदस्य: और सरकारी शांति।

डा० काटजू: देखिए श्रीमान, विपक्ष के माननीय सदस्यों को क्या पसंद है? अब मैं आवश्यक वस्तुओं के प्रश्न को लेता हूं। मेरे मित्र गोपालन ने मलाबार के गरीब और भूखे लोगों के विषय में बड़ा जोरदार भाषण दिया। जब मैंने इन भूखे लोगों के बारे में सुना तब मेरी आंखों में आंसू भरने लगे। उनके लिये अन्न आवश्यक है। हमने उन लोगों को जल में

[डा० काटजू]

डाला है जिन्होंने उन्हें चावल देना अस्वीकार किया था। अब हम उन गरीब और भूखे लोगों को चावल दिला सकेंगे। पर मेरे मित्र चाहते हैं कि यह बात अधिनियम में न रखी जाए। इन्होंने स्वयं यह संशोधन प्रस्तुत किया था कि इन लोगों पर निवारक निरोध अधिनियम लागू न हो।

श्री ए० के० गोपालन : मैं कह रहा था कि यह मजदूरों पर लागू न हो। मेरा अशुद्धोपस्थापन न कीजिए।

डा० काटजू : ये कह रहे थे कि आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं के मामले में यह लागू न किया जाना चाहिए।

श्री ए० के० गोपालन : मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह समाज-विरोधी व्यापारियों तथा चोर बाजार करने वालों पर लागू किया जाए, श्रमिकों के ऊपर नहीं।

डा० काटजू : श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा नियम बना दिया जाए जिससे कि श्री गोपालन इस तरह उठकर मुझे बाधा न दें।

श्री ए० के० गोपालन : यदि आप चाहें तो ऐसा अधिनियम भी पारित कर सकते हैं।

डा० काटजू : मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता।

श्री ए० के० गोपालन : श्रीमान्, कार्यवाहियां देख लें तथा मालूम कर लें कि मैं ने क्या कहा था।

डा० काटजू : यह चाहा जा रहा था कि यह अधिनियम भारत की प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा के मामलों तक ही सीमित रहे। कुछ लोग 'Foreign powers' (विदेशी शक्तियों) को छोड़ देना चाहते थे क्योंकि कुछ लोगों को पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चीन, रूस या अंग्रेज-अमेरिकी गुट से आपत्ति है। लोग "public order" ('लोक शान्ति') को निकालना चाहते थे क्योंकि उन्हें वह पसन्द नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं को भी निकाल दो क्योंकि वे चाहते थे कि रेल, डाक, तार के कर्मचारियों को खुली छुट्टी मिल जाए और उनमें जो चाहे वह प्रचार करें। जैसा कि मैं कह चुका हूं यह अधिनियम इसी प्रयोजन के लिए रहेगा। मुझे मालूम नहीं; संभव है उन्हें चोर बाजार वालों से पैसा मिलता हो। मैं इन विभिन्न प्रकार के चोर बाजार करने वालों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता पर मैं यह कहता हूं कि इन लोगों पर उनका दबाव पड़ सकता है। (**अन्तर्बाधा**) श्रीमान, मैं इस तरह भाषण नहीं कर सकता। श्रीमान, उस समय आप यहां नहीं थे जब मैंने आप लोगों की शुभ इच्छाओं की याचना की थी पर मुझे केवल हिंसात्मक प्रकार के भाषण प्राप्त हो रहे हैं।

किसी ने लोगों के विरोध करने के मूलभूत अधिकार की चर्चा की। जब विदेशियों का राज था तब यह भाषा अच्छी लगती थी। पर प्रौढ़ मतधिकार द्वारा चुनी गई इस संसद के होने के कारण वह बात अब समझ में नहीं आती। संविधान में लिखा है कि प्रति पांचवें वर्ष सामान्य निर्वाचन होगा। यदि आप चाहते हैं कि जन मत का निर्माण शीघ्र हुआ करे तो संविधान का संशोधन करवा कर प्रति दूसरे या तीसरे वर्ष निर्वाचन करवाइए। जनमत सदस्यों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। शस्त्रों अर्थात बन्दूकों और स्टेनगनों द्वारा रोध करने के इस मूलभूत अधिकार की आवश्यकता मैं स्वतंत्र भारत में उचित नहीं समझता। श्रीमान्, यही मुझे कहना था। मुझे विश्वास है कि इस सदन में हरएक दल के लोग हर्ष से इस विधेयक को पारित कर देंगे। मुझे इस बात का पूर्ण संतोष है कि यह विधान बड़ा सुविधाजनक, पर्याप्त और न्याय्य है तथा देश में शान्ति,

सुरक्षा स्थापित करने तथा उसकी उन्नति करने में यह सहायक होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ।

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

मत विभाजन हुआ : पक्ष में २९६ और विपक्ष में ६१ मत आए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : कल की बैठक के समय में कुछ परिवर्तन किया गया है । कल महत्वपूर्ण वाद-विवाद होंगे इसलिए सुबह भी बैठक होगी जिससे लोगों को अधिक समय दिया जा सके । सदन ९ बजे सुबह लगेगा । दोपहर के पश्चात बैठक ३.३० से ६ बजे तक होगी ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार ७ अगस्त, १९५२ के ९ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।